लोक-सभा

वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड २, १९६२/१८८४ (शक)

[३० अप्रैल से ११ मई, १९६२/१० से २१ वैशाख, १८८४ (शक)]

3rd Lok Sabha

Chamber Fumig. 18.10.73.

पहला सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड २ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

विषय-सूची

[तृतीय माला खंड २, अंक ११ से २०—३० अप्रैल से ११ मई, १९६२/१० से २१ वैशाख, १८८४ (शक)]

अंक ११—सोमवार, ३० अप्रैल, १९६२/१० वैशाख, १८८४ (शक) पृष्ठ

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण ६६९

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६९, २७०, २७२, २८३, २७३ से २८१, २८४ से २८६ और २८८ से २९० ६६९—९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २७१, २८२, २८७ और २९१ से २९८ ६९४—९८

अतारांकित प्रश्न संख्या २५० से ३२६ और ३२८ से ३६२ ६९८—७४८

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ७४८

आवेलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना ७४८—५१

१. आन्ध्र प्रदेश में बिजली की कमी . . ७४९—५१

२. पाकिस्तान उच्च आयोग द्वारा एक ऐसे मानचित्र का परिचालन जिसमें भारत के कुछ राज्य क्षेत्रों को पाकिस्तान का भाग दिखाया गया है ७५१

३. पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर मुसलमानों का कथित जमा होना ७५१

समितियों के लिये निर्वाचन . ७५१–५२

१. भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति . ७५१

२. भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति ७५२

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयक—पुरस्थापित ७५२

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . ७५३

दैनिक संक्षेपिका . ७९०—९६

अंक १२—मंगलवार, १ मई, १९६२/११ वैशाख, १८८४ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . ७९७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २९९, ३०१, ३०२, ३०४ से ३०६, ३०८, ३११ से ३१५ और ३१७ से ३१९ . . ७९७—८२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ३००, ३०३, ३०७, ३०९, ३१०, ३१६, ३२० से ३३६ . . . . . ८२२—३३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ से ४१२, ४१४ से ४२२, ४२४ से ४३५, ४३७ से ४४८, ४५० और ४५१ ८३३—७३

प्रक्रिया के बारे में ८७३–७४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . ८७४—७८

१. बिहार को कोयले का अपर्याप्त संभरण . . ८७४—७५

२. लाल किले के समीप शरणार्थियों की झोपड़ियों को आग लगना ८७५–७८

३. सशस्त्र नागा विद्रोहियों के एक दल का पूर्व पाकिस्तान की ओर जाने का समाचार . ८७८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ८७९-८०

तारांकित प्रश्न संख्या २०५ के उत्तर में शुद्धि ८८०

बोकारो इस्पात संयंत्र के बारे में वक्तव्य ८८०–८१

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव ८८१—९१६

कार्य मंत्रणा समिति--

पहला प्रतिवेदन ९१६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ९१७—२३

अंक १३—बुधवार, २ मई, १९६२/वशाख १२, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ३३७ से ३४४, ३४६, से ३४९, ३७०, ३५१ और ३५३ ९२५—५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ३४५, ३५०, ३५२, ३५४ से ३६९ और ३७१ से ३७९ ९५०—६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४५२ से ५२३ . . ९६३—९६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ९९६—९८

१. कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड की पुनर्रचना की आवश्यकता ९९६–९७

२. गुजरात में कपास का अधिग्रहण . . ९९७–९८

३. पूर्वी पाकिस्तान में ढाका तथा राजशाही में दंगे ९९८

सभा पटल पर रखे गये पत्र ९९८—१०००

कार्य मंत्रणा समिति--

पहला प्रतिवेदन . . १०००

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . १००१—११

अनुदानों की मांगें (रेलवे) . . . . १०११—५७

दैनिक संक्षेपिका १०५८—६७

अंक १४—गुरुवार, ३ मई, १९६२/१३ वैशाख, १८८४ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण—

प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . १०६७

तारांकित प्रश्न संख्या ३८०, ३८२ से ३८९, ३९३ से ३९६ और ३९८ १०६७—९१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . १०९२—९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३८१, ३९० से ३९२, ३९७ और ३९९ से ४१५ १०९४—११०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२४ से ६०२, ६०५ से ६२१ और ६२३ से ६३७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —

१. स्माल स्केल वुलन मैन्युफेक्चरर्स एसोसियेशन और स्क्रीन प्रिन्टर्स द्वारा अपने समवाय बन्द कर देने की धमकी . ११५१–५२

२. हुगली के पायलेटों द्वारा त्याग पत्र देने की धमकी ११५२—५४

स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में—

सभा पटल पर रखे गये पत्र ११५५–५६

समितियों के लिये निर्वाचन—

१. पशु कल्याण बोर्ड . ११५६

२. भारतीय लाख उप-कर समिति . . . ११५६–५७

३. भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद का प्रशासी निकाय ११५७

अनुदानों की मांगें (रेलवे)—

स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

(१) भारत को चीन को कथित अलटीमेटम ; तथा . ११९३–९४

(२) १५० नागा विद्रोहियों का पूर्वी पाकिस्तान में चले जाना ११९४—९६

बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के बारे मे आधे घंटे की चर्चा—

दैनिक संक्षेपिका १२०६–१२१४

अंक १५—शुक्रवार, ४ मई, १९६२/१४ वैशाख, १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण १२१५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४१६ से ४१९, ४२१ से ४२५ और ४२८ से ४३३ । १२१५—३७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . १२३७–३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४२०, ४२६, ४२७ और ४३४ से ४५० १२३८--४७

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३८, ६३९, ६४२ से ७१३ और ७१५ से ७२१ . १२४७--८१

निधन सम्बन्धी उल्लेख १२८१

सभा पटल पर रखे गये पत्र १२८२

राष्ट्रपति का संदेश १२८२

सभा का कार्य १२८३

अनुदानों की मांगें (रेलवे) . . १२८३--१३१७

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक--

पुरःस्थापित और पारित . . . १३१८-१९

जनता एक्सप्रैस गाड़ियों के बारे में संकल्प १३१९--३८

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में संकल्प १३३८

दैनिक संक्षेपिका १३४४-५०

अंक १६--सोमवार, ७ मई, १९६२/१७ वैशाख १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण १३५१

प्रश्नों के **मौखिक** उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४५१, ४५३ से ४६१, ४६३, ४६४, ४६६ और ४६७ . . १३५१--७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ४६२, ४६५ और ४६८ से ४९६ . १३७६--८९

अतारांकित प्रश्न संख्या ७२२ से ७५२, और ७५४ से ७७२ १३८९--१४१०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

काश्मीर और चीन के सिंक्यांग क्षेत्र के बीच सीमा निर्धारण के बारे में बातचीत करने का पाकिस्तान और चीन का कथित निर्णय १४१०-११

सभा पटल पर रखे गये पत्र--

समितियों में निर्वाचन--

१. राजघाट समाधि समिति और . . १४१२

२. कर्मचारी राज्य बीमा निगम १४१३

सामान्य आय-व्ययक--सामान्य चर्चा १४१३--३८

दैनिक संक्षेपिका १४३९--१३

अंक १७, मंगलवार, ८ मई १९६२ / १८ वैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९७ से ५०४ और ५०६ से ५१४ . . १४४५—६९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . १४६९—७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०५ और ५१५ से ५४६ . . १४७१—८५

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७३ से ८६०, ८६२ से ८७८, ८८०, ८८१, ८८३, ८८४, ८८६ से ९१० और ९१२ से ९२३ . . १४८६—२५५२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नागा लैंड में भारतीय वायु सेना के एक डकोटा विमान का गिरना . १५५३–५४

सभा पटल पर रखे गये पत्र— १५५५—८७

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा १५७६–७७

राष्ट्रपति की विदाई के बारे में . . . . १५८८—९६

दैनिक संक्षेपिका—

अंक १८, बुधवार, ९ मई १९६२ / १९ वैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५४७ से ५५६ और ५५८ . १५९७—१६१९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . १६१९–२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५५७ और ५५९ से ६०९ . . १६२०—४३

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२४ से १०२६ . . . १६४३—८७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नागा विद्रोहियों द्वारा भारतीय वायु सेना के अधिकारियों की कथित रिहाई १६८७

विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में १६८८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . १६८८—९०

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . १६९०—१७१४

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १७१५—२३

अंक १९, गुरुवार, १० मई, १९६२ / २९ वैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६१० से ६१५, ६१७ से ६२०, ६२३, ६२६ से ६२८, ६३८ और ६२९ से ६३२ . . . १७२५—५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६१६, ६२१, ६२२, ६२४, ६२५, ६३३ से ६३७ और ६३९ से ६४५ . १७५०—५७

अतारांकित प्रश्न संख्या १०२८ से १०६९ और १०७१ से १०७७ . १७५७—८०

हुगली पोत चालकों की हड़ताल के बारे में . . . . १७८०—८२

सूचना प्राप्त करने के बारे में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में—

चीनी वाणिज्य दूतावास कलिम्पोंग से एक सिपाही पर गोली चलाया जाना . १७८२—८३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

मद्रास में छपाई के कागज की कमी १७८३—८४

सभा पटल पर रखे गये पत्र १७८४

सामान्य आयव्ययक--सामान्य चर्चा . . . १७२४—१८२८

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १७२९—३२

अंक २०, शुक्रवार ११ मई, १९६२ / २१ वैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६४६ से ६४९, ६५१ से ६५५ और ६५७ से ६६३ . १८३३—५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . . . १८५४—५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६५०, ६५६ और ६६४ से ६९१ . . १८५६—७०

अतारांकित प्रश्न संख्या १०७८ से १०८२ और १०८४ से ११८६ १८७०—१९२३

स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

माल गाड़ी और ट्रक की टक्कर १९२३—२७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

१. फिजी के सम्बन्ध में जानकारी और विद्रोही नागाओं के एक ओर दल का पाकिस्तान को कथित प्रस्थान १९२८

GMGIPND—LS III—811 AI LSD—12-7-62—150

लोक-सभा

बुधवार, ९ मई, १९६२

१९ वैशाख, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

+

†*५४७. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री सं० चं० सामन्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री भक्त दर्शन :
श्री अच्युतन :
श्री ब० ना० सिंह :
श्रीमती जमना देवी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री बसुमतारी :
श्री ह० च० सौद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित आदिम जातियों संबंधी समिति के प्रतिवेदन की पूर्ण रूप से जांच कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ; और

(ग) इन सिफारिशों को लागू करने के लिये कौन से कदम उठाये गये अथवा उठाये जा रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित आदिम जातियों की सिफारिशें अभी परीक्षणाधीन हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

743 (Ai) LSD—1.

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या तृतीय योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के दौरान आयोग ने सरकार को विचारार्थ एक अन्तरिम प्रतिवेदन पेश किया था, क्या उस अन्तरिम प्रतिवेदन पर कोई विचार किया गया, और यदि हां, तो क्या इस को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित आदिम जातियों के विकास के बारे में योजना परिव्यय और इस के कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया?

†**श्री दातार** : सरकार इन सिफारिशों के अतिरिक्त भी अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित आदिम जातियों के विकास के लिये कदम उठा रही है। सिफारिशें प्राप्त होने पर उन्हें पिछले नवम्बर में इस सभा के पटल पर रखा गया था। सारी बात का परीक्षण कर के राज्य सरकारों को इस बारे में अपनी राय बताने को कहा गया। फिर सरकार अन्तिम रूप से निर्णय करेगी।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या इस प्रतिवेदन पर इस सभा में विचार किया जायेगा ?

†**दातार** : यह आशा की जाती है कि इस पर संसद् के अगले सत्र में विचार किया जायेगा।

†**श्री दी० चं०शर्मा** : इन सिफारिशों पर राज्य सरकारों को राय बताने को कहा गया है। बहुत समय पहले ऐसा किया गया था। ये सिफारिशें कब तक प्राप्त होंगी और सभा पटल पर रखी जायेंगी ?

†**श्री दातार** : सरकार को आशा है कि राज्य सरकारें एक या दो महीनों में अपनी राय दे देंगी।

श्री भक्त दर्शन : इस कमीशन ने जो सिफारिशें की हैं क्या उन को कार्यान्वित करने के लिये कोई विधेयक लाने का विचार है, और यदि हां, तो क्या उस के बारे में कुछ तैयारी की जा रही है ?

श्री दातार : जब सरकार निर्णय लेगी तो इस का भी विचार होगा।

†**श्री बसुमतारी** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अनुसूचित आदिम जातियों, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याओं का काम इस समय एक आयुक्त द्वारा किया जाता है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कोई ऐसा सुझाव दिया गया था कि केवल अनुसूचित आदिम जातियों के लिये ही एक पृथक आयुक्त हो; यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्री दातार** : आयोग द्वारा की गई सिफारिशों में यह भी है। सरकार इस प्रश्न पर भी पूरा ध्यान दे रही है।

†**श्री गणपति राम** : अनुसूचित क्षत्रों और अनुसूचित आदिम जातियों के आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिये आयोग ने किन कदम उठाये जाने की सिफारिश की है ?

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य के पास इस प्रतिवेदन की प्रति है। मुझे उस का सारांश बताने की आवश्यकता नहीं।

†**श्री पी० कुन्हन्** : क्या आयोग ने यह बताया है कि नदी घाटी परियोजनाओं के फलस्वरूप विस्थापित हुए आदिम जातीय व्यक्तियों को उचित रूप से नहीं बसाया गया है ?

†**श्री दातार** : आयोग के प्रतिवेदन में आदिम जातीय क्षेत्रों में आदिम जातीय व्यक्तियों के हित पर पूरा ध्यान दिया गया है, और सरकार यथासंभव अधिकाधिक सिफारिशों को कार्यान्वित करने का प्रयत्न करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं यह जान सकता हूं कि अनुसूचित जातियों के इस प्रतिवेदन पर कोई निर्णय लेने से पूर्व, जिन जन जातियों के संबंध में इस प्रतिवेदन में कुछ निर्देश दिये गये हैं. विशेषतः उन को धार्मिक संरक्षण देने के सम्बन्ध में, उस समय तक सतर्कता बरती जायेगी ?

†**श्री दातार** : सरकार इस आयोग की सभी सिफारिशों पर विचार करेगी।

†**श्री दशरथ देव** : क्या राज्य सरकारों को कोई समय दिया गया है जिस के दौरान वे केन्द्र को अपनी राय भेजेंगे ?

†**गृह-कार्य मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : ऐसी कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है परन्तु हम यह चाहते हैं कि राज्य सरकारें यथासंभव शीघ्र अपने विचार भेजें। मुझे आशा है कि इस मामले पर संसद् के अगले सत्र में विचार करना संभव हो सकेगा। इतने समय में केन्द्रीय सरकार उन सिफारिशों पर विचार कर रही है और हम एक या डेढ़ महीने में प्रत्येक सिफारिश पर निर्णय कर लेंगे ।

केन्द्रीय मद्य निषेध समिति

\+

*५४८. **श्री भक्त दर्शन** :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री सिंहासन सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २० मार्च, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८१ के उत्तर के संबंध में सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया हो कि :

(क) केन्द्रीय मद्य निषेध समिति द्वारा अब तक की गई मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ख) शेष सिफारिशों को कार्यान्वित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार) : (क) केन्द्रीय मद्य-निषेध समिति ने अपनी दूसरी बैठक में जो सिफारिशें की थीं उन की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १]** ।

(ख) जैसा कि अतारांकित प्रश्न संख्या १८१ के उत्तर में कहा गया था सिफारिश सं० ४, ६, ९ और १० को लागू किया जा चुका है और बाकी ७ पर अभी विचार हो रहा है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस मद्य निषेध समिति ने अपनी पिछली बैठक में जो छठी सिफारिश की थी उस में एक कमेटी बनाई गई थी ताकि औषधियों के नाम पर जो मादक द्रव्यों का व्यापार चल रहा है उस पर किस तरीके से प्रतिबन्ध लगाया जाये। मैं जानना चाहता हूं कि उस कमेटी ने अपने कार्य में क्या प्रगति की है ?

श्री दातार : उस कमेटी की नियुक्ति हुई थी और उस की एक मीटिंग हुई है और उस के निर्णय के अनुसार कार्य चल रहा है

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने कहा कि उस ने कोई निर्णय किया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस समिति ने किस तरह की सिफारिश की है और क्या ऐसी चीजों पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई विचार किया जा रहा है ?

†**श्री दातार :** जहां तक उप-समिति का संबंध है, यह कहा गया है कि मद्यनिषेध कार्यक्रम लागू करने के साथ साथ सरकार जनता को मद्यनिषेध के लाभ के बारे में शिक्षित करने पर ध्यान दे। उस कार्यक्रम के अनुसार योजना आयोग कुछ अनुदान दे रहा है और इस बारे में कुछ सम्मेलन भी भी किये जा रहे हैं

†**श्री मे० क० कुमारन :** केरल के राजस्व मंत्री ने हाल ही में मद्यनिषेध सम्बन्धी गोष्ठी में बताया कि उन की सरकार तब तक इस कार्यक्रम को लागू नहीं कर सकेगी, जब तक कि केन्द्रीय सरकार उन को सहायता न दे।

†**श्री दातार :** मैं समझता हूं कि यह राज्य सरकार की अन्तिम राय नहीं है।

†**श्री हरिविष्णु कामत :** पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति का कहना है कि "केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति ने विचार कर के यह राय व्यक्त की है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना समाप्त होने से पूर्व राज्यों और संघ राज्य-क्षत्रों समेत भारत में पूर्ण मद्यनिषेध हो जाना चाहिये"। मंत्री महोदय ने एक अन्य दिन सदन में बतलाया था कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार और केरल की सरकारों ने आबकारी राजस्व में हानि को पूरा करने और इस के लागू करने और पुनर्वास की लागत के लिये शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता मांगी है। क्या इस समिति की सिफारिशों को लागू करना दुस्तर कार्य नहीं होगा ?

†**श्री दातार :** यह दुस्तर कार्य नहीं है। माननीय सदस्य देखेंग कि पिछले अगस्त में योजना आयोग और भारत सरकार ने राज्य सरकारों को सूचित कर दिया है कि आबकारी राजस्व में होने वाली कमी का आधा भाग उन्हें वहन करना पड़ेगा और उसके बाद कुछ प्रतिक्रियायें प्राप्त हुई हैं। केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति ने, जिसमें सभी राज्यों और कुछ केन्द्रीय गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि हैं, निर्णय किया है कि भारत भर में पूर्णमद्यनिषेध होना चाहिये। जो कुछ दुस्तर दिखाई देगा उसको पूरी चर्चा के बाद पूरा किया जायगा।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकारों के सम्बन्ध केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति ने जो सिफारिशें की हैं, राज्य सरकारों ने उनमें से कितनी सिफ़ारिशें स्वीकार कर ली हैं और कितनी सिफारिशें नामंजूर की हैं और कितनी विचाराधीन हैं।

†**श्री दातार :** मैंने सिफारिशें सभा पटल पर रख दी हैं। इन सिफारिशों की प्रतियां सभी राज्य सरकारों को भेज दी गयी हैं। हम इन सिफारिशों पर उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति की अगली बैठक में सारी स्थिति पर विचार किया जायेगा और इस बारे में आगे कार्यक्रम निर्धारित किया जायेगा।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

†**श्री हनुमन्तैया :** क्या केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति में गैर-मद्यनिषेध वाले व्यक्ति भी सदस्य हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार :** इस समिति में सभी राज्यों में मद्यनिषेध के प्रभारी मंत्री सदस्य हैं । इनके अतिरिक्त, कुछ गैर-सरकारी केन्द्रीय संगठनों के प्रतिनिधि हैं । अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी हैं ।

†**श्री हनुमन्तैया :** मेरा प्रश्न यह था कि इस समिति में केवल मद्यनिषेधी लोग ही सदस्य हैं या इसके विरुद्ध व्यक्ति भी इसमें शामिल हैं ताकि इसके पक्ष विपक्ष की जांच की जा सके ।

†**श्री दातार :** पक्ष विपक्ष की हमेशा पूरी जांच की जाती है । उस समिति में सभी राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हैं । वह स्वयं एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है ।

†**श्री यलमन्दा रेड्डी :** चौथी सिफारिश को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार देश के अन्य भागों में मद्यनिषध के विस्तार को स्थगित करेगी ?

†**श्री दातार :** मुझे आशा है कि यह स्थगित नहीं किया जायेगा ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि मद्यनिषेध वाले क्षत्रों में भी व्यक्तियों को शराब पीने के लिये पर्मिट दिये जाते हैं, और यदि हां, तो क्या इन पर्मिटों से इन क्षेत्रों में मद्यनिषेध का उद्देश्य ही पूरा नहीं होता ?

†**श्री दातार :** यह प्रश्न ज्यादातर राज्य सरकार के विचार करने के लिये है । कुछ राज्य एसे हैं जहां पूर्ण मद्यनिषेध है । कुछ राज्य एसे हैं जहां आंशिक मद्यनिषेध है । मुझे पता है कि सभी राज्य अपने राज्य में यथासंभव अधिकाधिक मद्यनिषेध लागू करने के लिये कदम उठायग ।

†**श्री त्यागी :** क्या इस समिति ने देश में नियम के तौर पर शैक्षणिक प्रचार करने के लिये गहन आन्दोलन चलाने की सिफारिश की है, और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस पर विचार कर रही है ?

†**श्री दातार :** जी हां, माननीय मित्र ठीक कह रहे हैं । यह आवश्यक समझा गया है कि जनता को इस बारे में पूरी तौर पर शिक्षित किया जाये । माननीय सदस्य को पता है कि उस उद्देश्य के लिय यहां पर भारत भर में मद्यनिषेध कार्य में लगे कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ था । ऐसे ही सम्मेलन किये जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं को भी विभिन्न शिविरों में प्रशिक्षित किया जा रहा है ।

†**श्री त्यागी :** कार्यकर्ता शराब नहीं पीते । मैं उन व्यक्तियों की बात कर रहा हूं जो शराब पीने के आदी हैं । मैं उन लोगों में प्रचार की बात कर रहा हूं जो शराब पीने के आदी हैं ।

†**श्री दातार :** जहां कहीं भी शराबी हैं, कार्यकर्ता वहां शैक्षणिक प्रचार करते हैं और शराबियों से शराब छड़ानी है ।

कई माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं देखता हूं कि लगभग बीस सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं । अतः मैं अगला प्रश्न लेता हूं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** हमें इस पर विशेष रूप से चर्चा करनी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डाक द्वारा शिक्षा और शाम को लगने वाले कालिज

†*५४९. **श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक द्वारा शिक्षा के पाठ्यक्रम और शाम को लगने वाले कालिजों की योजना ब्यौरे पर विचार करने के लिये जो समिति गठित की गई थी क्या उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें और उपपत्तियां क्या हैं ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

यह आशा की जाती है कि प्रतिवेदन इस महीने के अन्त तक दे दिया जायेगा । इतने समय में विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है कि अगले सत्र से दिल्ली विश्वविद्यालय में 'डाक द्वारा शिक्षा' आरम्भ की जाये और बाकी जिन विश्वविद्यालयों ने अपनी सहमति दी है, वे इस अनुभव को देखने के लिय छः महीने प्रतीक्षा करें और फिर यह कार्य आरम्भ करें ।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में डाक द्वारा शिक्षा आरम्भ कर दी गयी है, और यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ? क्या मैं जान सकता हूं कि वह उसको किस प्रकार कर रहा है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : दिल्ली विश्वविद्यालय जुलाई में यह 'शिक्षा' आरम्भ करेगा और विश्वविद्यालय इसका ब्यौरा तैयार कर रहा है ।

डा० गोविन्द दास : जो सान्ध्य कालेज और स्कूल करीब करीब सभी राज्यों में चल रहे हैं, क्या इन सब का कोई एक सा पाठ्य-क्रम बनाने का विचार है, या अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अपने अपने पाठ्य-क्रम बनाने का कार्य राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह कमेटी इस विषय पर विचार कर रही है । जब इस की इन्टरिम रिपोर्ट आ जायेगी, तो सदस्य महोदय को उस की इत्तिला दे दी जायेगी ।

†**श्री त्यागी** : क्या इस योजना में रेडियो से प्रसारण की सुविधा का लाभ भी उठाया जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी, हां । रेडियो से भी सहायता ली जा सकती है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या इस बारे में कुछ समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस तथ्य में कुछ सत्यता है कि कुछ जाली संस्थायें खुल गयी हैं या ऐसी ही 'डाक द्वारा शिक्षा' आरम्भ करना चाहती हैं; और यदि हां, तो ऐसी शिक्षा में लगी ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध सरकार क्या कदम उठायेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मूल प्रश्न उस समिति से सम्बद्ध है, जो विशष रूप से बनाई गई है . . .

†**श्री वी० चं० शर्मा** : माननीय मित्र को जाली संस्थाओं का पता कैसे लगा ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : समाचार-पत्रों में छपा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति । मैं माननीय सदस्य से इस पर ध्यान देने को कह रहा हूं । मूल प्रश्न इस पर विचार करने के लिये नियुक्त की गयी समिति की सिफारिशों, प्रतिवेदन के प्राप्त होने और अग्रेतर कार्यक्रम के बारे में है न कि जाली संस्थाओं के विरुद्ध सरकार द्वारा कार्यवाही करने के बारे में ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** इस मामले पर रिपोर्ट देने के लिये इस समिति को कहने के लिये सरकार की कार्यवाही का फल यह है कि ऐसी शिक्षा की तैयारी के लिये देश में जाली संस्थायें स्थापित हो गयी हैं ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य गलत कह रहे हैं । मुझे पता नहीं है कि इस वर्ष जाली संस्थाओं की कोई वृद्धि हुई है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** कोई वृद्धि नहीं हुई है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** समय समय पर देश में आरम्भ होने वाली जाली संस्थाओं की उत्पत्ति को रोकने के लिये सरकार के पास कई उपाय हैं । जब भी सरकार का ध्यान इन जाली संस्थाओं की ओर आकृष्ट किया गया, उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी और जब भी ध्यान दिलाया जायेगा, कार्यवाही की जावेगी । यदि माननीय मित्र के पास इन जाली संस्थाओं के बारे में कोई जानकारी है, तो यदि वह उस ओर शिक्षा मंत्रालय का ध्यान दिलायें तो वह देश की बड़ी सेवा करेंगे ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मैं जानकारी दे दूंगा ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच नहीं है कि 'डाक द्वारा शिक्षा' से शिक्षा के उस स्तर और व्यापक दृष्टिकोण में गिरावट आने की संभावना है, जिसके इस देश में शिक्षण संस्थाओं द्वारा बनाये जाने की आशा है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जी, नहीं । हमें आशा है कि उससे स्तर में कोई कमी नहीं होगी । वास्तव में इसके लिय हर संभव उपाय किया जायगा कि स्तर में किसी प्रकार की कमी न आने पाये और जो समिति इस प्रश्न की जांच कर रही है, उसे इस बात का पूरा पता है ।

†**श्री महेश्वर नायक :** 'डाक द्वारा शिक्षा' और सायंकालीन कालिजों के चालू करने के लिये अपेक्षित अतिरिक्त व्यय में भारत सरकार कितना अंशदान देगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** अतिरिक्त व्यय विश्वविद्यालय करेंगे ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** अभी अभी मंत्री महोदय ने बताया कि जाली संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है । ऐसी कितनी संस्थायें हैं जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** जाली संस्थाओं का प्रश्न इससे भिन्न है । हम इसके अन्य पहलू पर विचार नहीं कर सकते ।

†**श्रीमती सरोजिनी महीषी :** डाक द्वारा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा दी जायेगी या गैर-सरकारी कालिजों द्वारा भी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** कुछ, लगभग १०, विश्वविद्यालय हैं जो 'डाक द्वारा शिक्षा' आरम्भ करने को सहमत हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह समझा जाता है कि जैसे ही हमें समिति का प्रतिवेदन मिलेगा, इन विश्वविद्यालयों में यथा समय डाक द्वारा शिक्षा चालू हो जायेगी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या यह डाक द्वारा शिक्षा इन सायंकालीन कालिजों के स्थान पर दी जायेगी या ये उसके अतिरिक्त होंगे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** दो योजनायें हैं । एक सायंकालीन कालिजों के बारे में है और दूसरी डाक द्वारा शिक्षा के बारे में । 'डाक द्वारा शिक्षा' 'डाक द्वारा' दी जायेगी । जहां तक सायंकालीन कालिजों का सम्बन्ध है, वे नियमित कालिज होंगे जहां नियमित रूप से उपस्थित लगेगी । केवल अन्तर यह है कि अधिकांश विद्यार्थी दिन में काम करते रहेंगे और शाम को कालिज में आयेंगे ।

†**श्री हेम बरुआ :** मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया । शिक्षण संस्थायें प्रशिक्षण के एक तरीके द्वारा विद्यार्थियों में व्यापक दृष्टिकोण बनाती हैं । इस 'डाक द्वारा शिक्षा' से उस से व्यापक दृष्टिकोण पर प्रभाव पड़ेगा । मुझे यह उत्तर चाहिये ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह तो अन्य देशों के अनुभव से पता लगेगा । 'डाक द्वारा शिक्षा' कोई नई चीज नहीं है । अमरीका, आस्ट्रेलिया और अन्य देशों में यह 'शिक्षा' कई वर्षों से चालू है । उनका अनुभव यह है कि यदि इस 'शिक्षा' का ठीक ढंग से संगठन किया जाये, तो इससे स्तर में कोई कभी नहीं होती । हमें उस बारे में शंका नहीं करनी चाहिये ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** वे उन्नत देश हैं ।

अमरीका द्वारा भारत को दिये जाने वाले ऋण

+

†*५५०. { **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री बासप्पा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी सरकार ने भारत को दो ऋण, जिनकी कुल राशि ११ करोड़ डालर (५७ करोड़ रुपये) है, मंजूर किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन ऋणों को किस प्रकार काम में लाने का विचार है ?

†**वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) अमरीकी सरकार ने मार्च १९६२ में १२ करोड़ डालर के दो ऋण देने की इच्छा की घोषणा की थी । ये दो ऋण निम्न हैं (१) पण्य वस्तुओं के आयात के लिए सरकार को १० करोड़ डालर, (२) औद्योगिक वित्त निगम को सीधा २ करोड़ डालर का ऋण है ।

(ख) १० करोड़ डालर का ऋण रख रखाव का सामान आयात करने के लिए है और औद्योगिक वित्त निगम का २ करोड़ का ऋण इस लिए है कि निगम भारत में गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि के ऋण दे ताकि अमरीका से प्राप्त की जाने वाली मशीनरी तथा अन्य पूंजी गत सामान और सेवाओं की लागत की विदेशी मुद्रा दी जा सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : अमरीका से कुल कितना ऋण मिला हैं और अब तक कितने ऋण का प्रयोग किया गया है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : अब अमरीका से मिली सहायता का अधिकतर भाग ऋण-रूप में है और यह जिस साधन से मिला है उसका नाम पहिले विकास ऋण निधि था और अब अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी है। उसके अन्तर्गत, भारत ने १९५८ के बाद लगभग २६०.४८ करोड़ रु० के करार किये हैं।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या ये ऋण बन्धन-प्रकार के हैं या हम अन्य देशों से भी मशीन खरीद सकते हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा**: ये १२ करोड़ डालर बन्धित हैं। हमें अमरीका से आयात करना होगा ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : श्री टांटिया के प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया। अमरीका ने जितने ऋण दिये हैं उनमें से आज तक कितनी राशि का प्रयोग किया गया है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा**: इन ऋणों को विभिन्न श्रेणियों में रखा गया है। औद्योगिक वित्त निगम को दिये गये ऋण जैसे कुछ ऋणों का पूर्ण प्रयोग हो गया है और निगम ने भारत सरकार से प्रार्थना की थी कि इस साधन से और ऋण प्राप्त किया जाये। रेलों को दिये गये ऋण जैसे अन्य ऋणों का प्रयोग हो गया है। ऐसी भी बहुत एजेंसियां हैं जिन्होंने ऋण प्रयोग नहीं किया है परन्तु मैं पूर्व-सूचना चाहती हूं ।

†**श्री बासप्पा** : ब्याज की दर की दृष्टि से वर्तमान ऋण और पहिले ऋणों मे क्या अन्तर है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इनकी प्रकृति में कोई अन्तर नहीं है सिवाये इसके कि एजेन्सी का नाम बदल गया है। उस करार के बारे में यह एक नोट हैं परन्तु इसको पढ़ने में समय लगेगा।

श्री रघुनाथ सिंह : यह जो २० मिलियन का लोन आई० एफ० सी० के द्वारा दिया जा रहा है उस में से प्राइवेट सेक्टर को भी दिया जायेगा चूंकि शिपिंग भी प्राइवेट सेक्टर में हैं इस लिये क्या शिपिंग को उस में कुछ दिया जायेगा ताकि फारेन एक्स्चेन्ज द्वारा एक आध जहाज वे ले सकें ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मेरे पास सभी बातें तो नहीं हैं कि किन किन को आई० एफ० सी० से लोन मिलेगा। यदि दूसरा सवाल पूछा जायेगा तो जवाब मिलेगा।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : इन ऋणों के भुगतान की क्या शर्तें हैं और ब्याज की दर क्या हैं ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : औद्योगिक वित्त निगम १५ साल में, जिसमें एक साल छूट का भी शामिल है, ऋण और ३-४ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देगा। निगम इसके अतिरिक्त भारत सरकार को ऋण के वितरित अन्तर पर ४¹/₄ रु० प्रतिशत वार्षिक देगा। १० करोड़ डालर के ऋण के बारे में, जिसके भुगतान की शर्तों पर अभी हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, ब्याज की दर ३–४ वार्षिक होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्य-निषेध

+

†५५१. श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री सिंहासन सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्य निषेध योजना अभी तक पूरी तरह सफल नहीं हो पायी;

(ख) क्या यह भी सच है कि जिन राज्यों और जिलों में मद्य-निषेध लागू किया गया है, वहां अवैध रूप से मद्यपान की प्रवृत्ति बढ़ रही है ;

(ग) क्या सरकार ने कानूनी स्तर की अपेक्षा सामाजिक स्तर पर भी इस दुर्व्यसन को रोकने के लिये कोई यत्न किये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इसमें कुछ गैर-सरकारी संस्थाओं का भी सहयोग प्राप्त किया गया है और यदि हां, तो उसमें कहां तक सफलता प्राप्त हुई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार) : (क) जिन राज्यों में मद्य-निषेध कार्यक्रम लागू किया गया है वहां इसे अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई है। राज्य सरकारें भी इस कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं।

(ख) सरकार को ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

(ग) और (घ). अधिकतर राज्यों में राज्य तथा जिला स्तर पर मद्य-निषेध सलाहकार समितियां स्थापित की गई हैं जिनमें बहुत से गैर-सरकारी प्रतिनिधि भी शामिल हैं। केन्द्रीय मद्य निषेध समिति ने यह भी सिफारिश की है कि मद्य निषेध कार्यक्रम की प्रगति के स्वेच्छा से कार्य करने वाले गैर-सरकारी समाज कल्याणकारी संगठनों की सहायता प्राप्त की जाये। केन्द्रीय मद्य-निषेध समिति की उप-समिति इस मामले पर तेजी से आगे कार्यवाही कर रही है।

†**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या मैं जान सकता हूं क जिन प्रदेशों में मद्य निषेध योजना लागू की गई है वहां अवैध रूप से मद्य सेवन की प्रवृत्ति बढ़ रही है, और यह प्रवृत्ति यहां तक है कि वह स्वास्थ्य के लिये हानिकर होती है ? यदि ऐसा है, तो सरकार ने इस पर प्रतिबन्ध लगाने की दिशा में क्या यत्न किये हैं ?

†**श्री दातार :** माननीय सदस्य का कहना कुछ हद तक ठीक है। जहां कहीं भी अवैध रूप से शराब बनती है, वहां इस पर कड़ी निगरानी रखो जाती है ताकि उसे ठीक तरह रोका जा सके।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि अवैध रूप में मद्यपान की प्रवत्ति किन किन प्रान्तों में बढ़ रही है ?

†**श्री दातार :** यह नहीं कहा जा सकता कि यह प्रवृत्ति किसी एक स्थान तक ही सीमित है। कुछ राज्यों मे पूर्ण मद्य निषेध हैं। अन्य राज्यों में आंशिक मद्य निषेध है। यह नहीं कह सकते कि वहां अवैध रूप से शराब बनती है। यहां वहां ऐसा हो सकता है।

श्री ज० ब० सिंह : जिन जगहों में मंत्री महोदय की प्राहिबिशन की पालिसी की वजह से प्राहिबिशन हुआ है वहां शराब और दूसरी चीजों की चोरी से और दूसरी तरह से बिक्री हो रही है

†मूल अंग्रेजी में

और लोग ऐसी चीजों को इस्तैमाल कर रहे हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। मैं जानना चाहत हूं कि क्या ऐसी अवस्था में श्री महोदय यह सोचेंगे कि मौजूदा प्राहिबिशन पालिसी पर फिर से विचार किया जाए ?

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य ने पहिले भाग में अपना मत लगभग निश्चित रूप में दिया है। राज्य सरकारों का वास्तविक अनुभव ऐसा नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह दूसरे भाग का उत्तर दे सकत हैं कि क्या सरकार उसे बदलने को तैयार है ?

†**श्री दातार** : साथ ही मैं यह बता रहा हूं कि राज्य सरकारों को इसका पूर्ण ज्ञान है। मद्य निषेध लागू करने की कार्यवाही करते समय वे ये भी देखते हैं कि शराब अवैध रूप से बनाना कम हो।

†**श्रीमती सरोजनी महिर्षि** : क्या मद्य निषेध के मामले की वृद्धि से या उनमें कमी होने से यह सिद्ध होगा कि मद्य निषेध योजना सफल रही है या नहीं ?

†**श्री दातार** : यह सब प्रत्येक मामले की हालतों पर निर्भर है। कभी वृद्धि से पता लगने कि उत्तम उपाय का पता लगेगा।

†**श्री मानसिंह पु० पटेल** : क्या यह सच है कि इसके प्रतिकूल आस-पास के राज्य में आंशिक मद्य निषध से अवैध रूप से शराब बनान का अधिक पता लगा है ?

†**श्री दातार** : कभी कभी यह सच होता है। अतः जिन राज्य में पूर्ण मद्य निषेध है वे इसके लिये उत्सुक हैं कि उनके पड़ोसी राज्य में कम से कम आंशिक मद्य निषेध हो।

†**श्री विभूति मिश्र** : मैं जानना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय ने स्टेट के या सेंटर के कर्मचारियों पर भी, जो चाहे देश का काम कर रहे हों या विदेशों में, इस प्रावीजन को लागू करने का कोई तरीका निकाला है ?

†**श्री दातार** : एक संकल्प इस उद्देश्य से कुछ नियम बनाने के बारे में भी है कि मद्यपान सरकारी कर्मचारियों के लिये कुव्यवहार माना जाय। यह मामला भी विचाराधीन है।

†**श्री राम सेवक यादव** : क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि वह सकरारी कर्मचारी जो इस के रोकने में लगे हैं उनमें ही शराब पीन की प्रवृत्ति बढ़ रही है ?

†**श्री दातार** : यह भी वही बात है। इसमें सचाई कम और उनका अपना मत अधिक है।

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड में सवारी डिब्बों का निर्माण

†५५२. { **श्री स० चं० सामन्त**
श्री सुबोध हंसदा
श्री म० ला० द्विवेदी }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड द्वारा इस समय जो मिले-जुले डिब्बे बनाय जा रहे हैं उनकी उत्पादन लागत पेरम्बूर इन्टग्रल कोच फैक्टरी में बनने वाले रेल डिब्बों से ज्यादा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उत्पादन की लागत को कम करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने वाले हैं ;

(ग) उत्पादन की लागत में इस समय कितना अन्तर है ; और

(घ) क्या हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के पास सस्ते डिब्ब बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघरामैया)** : (क) से (ग). एक विवरण पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि० , बगलौर में बनने वाले मिले-जुले डिब्बे इंटग्रेल कोच फैक्टरी, पेरम्बूर में बने डिब्बों से भिन्न हैं और अच्छे सजे हैं। इंटग्रल कोच फैक्टरी, पेरम्बूर में इस प्रकार के डिब्बो का निर्माण १९५५ में आरम्भ हुआ था और १९५९–६० में बन्द हो गया। १९५९–६० में इंटेग्रल कौच फैक्टरी में बने डिब्बे की लागत अर्थात् उत्पादन के पांचवें वर्ष में, १.५६ लाख रु० प्रति डिब्बा थी। हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लि० में मिले-जुले डिब्बों का निर्माण १९५८ में आरम्भ हुआ। हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि० में उत्पादन लागत निरन्तर कम हो रही है और १९६२–६३ में लागत स्थिर और निम्नतम हो जायेगी। वर्ष १९६१–६२ में हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि० में बने मिले-जुले डिब्बे की लागत १.७८ लाख रु० थी और संभावना है कि यह लागत वर्ष १९६२–६३ में १.६८ लाख रु० होगी। वर्ष १९५९–६० में इंटेग्रल कोच फैक्टरी में बने डिब्बे की लागत की वर्ष १९६२–६३ में हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि० में बने डिब्बे की लागत से तुलना करते हुये कच्चे माल के बढ़े हुये मूल्यों और मजूरी को बढ़ी हुई दरों का ध्यान रखना चाहिये। १–४–१९६० से हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि० के मजदूरों की मजूरी काफी बढ़ गई है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि० में बनने वाले मिले-जुले डिब्बों का मूल्य दो वर्ष पहिले इन्टेग्रल कोच फैक्टरी, पैरम्बूर में बने डिब्बे के मूल्य के मुकाबिले में कम है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच नहीं है कि इन दो फैक्टरियों में विद्यमान लेखा प्रणाली एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है और इस कारण मूल्यों की तुलना कर कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता ?

†**श्री रघुरामैया** : जैसा कि विवरण में उल्लेख है, मुख्य अन्तर तो इसमें है कि माल के मूल्य और मजूरी में अन्तर है। वर्ष १९६० मे मजूरी बिल काफी बढ़ गया था और स्वाभाविक है कि उसको झालक निर्माण लागत पर परिलक्षित होती है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच नहीं है कि हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि० में बने रेल के डिब्बे सजावट में और एन्टी कोरोसिव कार्य में उत्तम हैं और अतः यहां बने डिब्बे का मूल्य इन्टेग्रल कोच फैक्टरी, पैरम्बूर में बने डिब्बो के मूल्य से अधिक है ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन)** : दो सरकारी उपक्रमों की तुलना करना बड़ा ही परेशान-कुन काम है ।

†**श्री हेम बरुआ** : माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि सरकारी उपक्रमो, आदि की तुलना करने में बड़ी परशानी का काम है। सभा में पेश किये गये विवरण में उन्होने तुलना की है। औचित्य का प्रश्न इस बात में है कि वे उस विवरण को यहां देने वाले विवरण से रद्द कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** उस विवरण में तथ्यों का उल्लेख है। माननीय सदस्य ने सरकार से इस बात को बताने का आग्रह किया था कि मूल्यों में अन्तर क्यों है और उनका उल्लेख विवरण में है। विवरण में कारणों का स्पष्ट उल्लेख है। एक कारखाना पहले चालू हुआ और दूसरा बाद में। मजूरी-बिल भिन्न भिन्न है। माल का मूल्य बढ़ गया है।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** श्रीमान्, पुनः एक औचित्य के प्रश्न पर। भारत सरकार के दो उपक्रम हैं जिनमें से एक बंगलोर में और दूसरा अन्य स्थान पर है, तो सरकार को सभा को यह बताने में परेशानी क्यों होनी चाहिये कि मजूरी और माल के मूल्य में काफी अन्तर है जैसा कि विवरण में उल्लेख है। हम उसके लिये कारण चाहते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह ब्यौरा बताने में सरकार को कोई हिचकिचाहट न होगी और न ही होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि सरकार ने विवरण में कारण बताये हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मैं विवरण से संबधित वाक्य पढ़ता हूं :—

> "वर्ष १९५९–६० में इन्टेग्रल कोच फैक्ट्री में बने डिब्बे की लागत भी वर्ष १९६२–६३ में हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि० में बने डिब्बे की लागत से तुलना करते हुये कच्चे माल के बढ़े हुये मूल्यों और मजूरी की बढ़ी हुई दरों का ध्यान रखना चाहिये"।

क्या भारत सरकार के उन दो उपक्रमों में माल के मूल्य में और मजूरी में अनुपातिक वृद्धि हुई है ?

†**अध्यक्ष यहोदय :** एक कारखाना पहिले १९५५ में खोला गया था। उस समय मजूरी और थी और कच्चे माल का मूल्य भी और था। दूसरा बाद में १९५८ में खोला गया। तब मजूरी भी भिन्न थी और माल का मूल्य भी भिन्न था। दूसरे को पहिले के मुकाबिले कच्चे माल का मूल्य और मजूरी अधिक देनी पड़ी।

†**श्री कृष्ण मेनन :** एकमात्र आपत्ति यह मालूम होती है। सरकार यह क्यों कहती है कि यह परेशानी कुन है ?..... (**अन्तर्बाधा**) बात यह है कि रेलें वाणिज्यिक उपक्रम है। वे हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि० को अधिक पैसा नहीं देंगी यदि उन्हें वही वस्तु उन्हें और कही मिल जाये या उसका मूल्य अधिक हो। वे हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि० में बने डिब्बो से पूर्णतया सन्तुष्ट हैं। वे उसे अपनी पूरी क्षमता से अधिकाधिक डिब्बों का क्रमन देश दे रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या उन में कोई अन्तर है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** हां, कुछ अन्तर है। वे भिन्न निर्माता हैं... (**अन्तर्बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति। इस चर्चा का अन्त होना चाहिये। हम काफी सुन चुके हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** विवरण से पता लगता है कि १९६१–६२ में हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि० में बने मिले-जुले डिब्बे का मूल्य १.७८ लाख रू० है और संभावना है कि १९६२–६३ में यह मूल्य घटकर १.६८ लाख रु० रह जायेगा। मैं जानना चाहता हू कि हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट में उत्पादन बढ़ने पर क्या उत्पादन-लागत कम होन की संभावना है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** हां, श्रीमान्। यह पहिले ही कहा जा चुका है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : आपत्ति तो यह थी कि वह यह क्यों कहते हैं कि यह परेशानीकुन बात है। विवरण में उल्लेख है कि मूल्यों के निम्नतम होने पर, डिब्बे का मूल्य १.६८ लाख रु० होगा। परन्तु पैरम्बूर में १.५६ लाख रु० ही मूल्य में लिये गये थे। डिब्बे बनाने वाले दो कारखानों में इतना अन्तर क्यो है यहां तक कि मूल्य के स्थिर और न्यूनतम होने पर भी मूल्य १.६८ लाख रु० होगा। विवरण में उल्लेख है कि इतना मूल्य डिब्बे को अच्छी तरह सुसज्जित करने के कारण है। उस पर इतना व्यय नहीं होना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी तक हम इसी पर चर्चा करते रहे हैं।

†**श्री मी० श्रीकान्तन् नायर** : इस बात को ध्यान में रखकर कि मद्रास स्थित इंटेग्रल कोच फैक्टरी मे डिब्बे का मूल्य केवल १.५६ लाख रु० था और १९६२–६३ में हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि० में यही मूल्य १.६६ लाख रु० होगा, सरकार ने किन कारणों से मद्रास स्थित इटेग्रल कोच फैक्टरी में उत्पादन बन्द कर दिया और हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट को पसन्द किया ?

†**श्री रघरामैया** : जहां तक इस बात का संबंध है कि इंटेग्रल कोच फैक्टरी में उत्पादन क्यो बन्द कर दिया गया, मेरे माननीय मित्र अच्छा हो कि यह प्रश्न रेलवे मंत्री से पूछें। जहां तक हमारा संबंध है, यह बताया जा चुका है कि ऊपर के व्यय और मजूरी और इस कारण कि इसने बाद में उत्पादन आरम्भ किया, लागत में अन्तर है। वास्तव में, प्राक्कलन समिति ने इस मामले पर विचार किया था और कहा और स्वीकार किया था कि हमारे कारखाने में प्रति डिब्बे में सामान की लागत १,००० रु० कम है। अन्तर ऊपर के व्यय में और मजूरी की दर में है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह था कि जबकि पहिले उत्पादन का व्यय कम था, तो उसे बन्द क्यों किया गया ?

†**श्री रघरामैया** : यह प्रश्न रेलवे मंत्री से पूछा जाना चाहिये। यह उनके अधीन है।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : इन्टेग्रेल कोच फैक्ट्री में बने और हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट में बने डिब्बे के मूल्य में आजकल आयात किये हुए डिब्बे के मूल्य से कितना अन्तर है ?

†**श्री रघरामैया** : इसका उत्तर देने के लिए मैं पूर्व सूचना चाहता हूं।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : पैरम्बूर और हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि० में बने डिब्बों के मूल्य में ठीक क्या अन्तर है ?

†**श्री रघरामैया** : मैं यह विवरण में बता चुका हूं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : श्रीमान्, औचित्य के एक प्रश्न पर। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपका निश्चय जानना चाहता हूं। प्रतिरक्षा मंत्रालय ने भूतकाल में सभा से जानकारी छिपाता रहा है और हर बार बहाना किया है कि यह बताना 'लोक हित' में या राष्ट्रीय हित में नहीं है। अब एक और वाक्यांश बताया गया है, अर्थात् "परेशानीकुन"। मेरा आप से निवेदन है कि भविष्य में इस नई ओट का सहारा न लिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं प्रतिरक्षा मंत्री को पहिले भी सलाह दे चुका हूं यह जानकारी इस कारण न छिपाई जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : भविष्य में भी वे ऐसा न करें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने भूतकाल के लिए नहीं, भविष्य के लिए कहा है ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : कोई जानकारी नहीं छिपाई जाती है । मुझ से पूछा गया था कि मैं बताऊं कि कौन डिब्बा अच्छा है ? इसका निर्णय करना उपभोक्ताओं का काम है । जैसा कि विवरण में उल्लेख है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा बनाया गया डिब्बा अन्य कारखाने के डिब्बे से भिन्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

लोक-सभा द्वारा राज्य विधान सभा के लिये एक साथ मतदान

+

†५५३. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोक-सभा और विधान-सभा के मतदान के लिये मतदाताओं को एक साथ मतदान पत्र दिये गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि बहुत से मतदाताओं को दोनों मतदान पत्रों का अन्तर मालूम नहीं था; और

(ग) क्या भविष्य में लोक-सभा और विधान-सभा के मतदानों के लिये अलग-अलग बक्सों की व्यवस्था करने का विचार है ?

†**विधि मन्त्रालय में उपमन्त्री (विभुधेन्द्र मिश्र)** : (क) नियमानुसार विधान सभा के मतपत्र मतदाता को पहले दिये गये थे तथा उस पर चिह्न लगाने और मतदान पेटिका में डालने के बाद संसदीय मतदान पत्र उसको दिये गय थे ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) चुनाव आयोग का विचार इस समय एक साथ होने वाले दोनों चुनावों के लिए दो अलग अलग मतदान पेटिकायें रखने का नहीं है ।

†**श्री विभूति मिश्र** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने सारे हिन्दुस्तान के सूबों से इस बात का पता लगाया है कि मत दाताओं को बैलट-पेपर किस प्रकार दिये जाते थे—एक साथ दिये जाते थे या अलग अलग दिये जाते थे ।

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र** : चुनाव आयोग ने आदेश दिये थे कि इनको साथ नहीं दिया जाना चाहिए तथा आयोग को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है कि किसी भी स्थान पर ऐसा नहीं किया गया हो ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या उनका ध्यान प्रधान मंत्री द्वारा इलाहबाद में मत डालते हुए कहे गये शब्दों की ओर दिलाया गया है कि एक पेटिका और दो मतपत्र की पद्धति अच्छी नहीं है ? यदि हां, तो क्या मंत्री ने इस पर ध्यान दिया है तथा चुनाव आयोग की क्या राय है ?

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र** : संविधि के अधीन चुनाव आयोग इस पर निर्णय करेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : उनका प्रश्न है कि क्या यह बात चुनाव आयोग को बताई गई थी तथा क्या आयोग ने इस बारे में अपनी कोई राय जाहिर की है।

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : मुझे जानकारी नहीं है।

†**श्री तिम्मय्या** : क्या सरकार जानती है कि दो मतदान पेटिकायें रखे जाने के कारण मतदान करने में पर्याप्त विलम्ब होगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सुझाव है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं नहीं जानता कि चुनाव आयोग का क्या विचार है परन्तु लोक-सभा क उम्मीदवार, मझ को भी दोनों मतदान पत्र एक साथ दिये गये थे और मतदान करने के लिए कहा गया था। मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या कोई प्रश्न पूछा जा रहा है ?

†**श्री दी० चं० शर्मा** : जी हां। क्या यह सच नहीं है . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : उसका वह उत्तर दे चुके हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : जी नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : अपने अनुभव के आधार पर जो कुछ मंत्री महोदय ने कहा है वह उसके विपरीत कहना चाहते हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या चुनाव आयोग को पंजाब से कोई रिपोर्ट मिली है कि लोक-सभा और राज्य विधान सभा के मतदान पत्र मतदाताओं को एक साथ दिये गये थे ?

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र** : जैसा कि मैं ने बताया भारत के किसी भी राज्य से चुनाव आयोग को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

†**श्री अचल सिंह** : १९५७ में जो चुनाव हुआ था उसमें लोक-सभा के और विधान सभाओं के पच अलग अलग दिये गये थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वजह है कि इस बार दोनों के एक साथ दिये गये ?

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र** : नियम में बताया गया है कि समय समय पर चुनाव आयोग नये तरीके निकालता है और व्यय कम करने की कोशिश करता है। कभी भी कोई कठिनाई आने पर मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग इस पर विचार करेगा और इस पर ध्यान देगा।

†**श्री तिरुमल राव** : प्रश्न के भाग (ख) के सम्बन्ध में क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि करोड़ों मत अमान्य हो गये और क्या उन्होंने इसकी जांच की है कि भाग (ख) में पूछे गये प्रश्न के कारण ही ऐसा हुआ है ?

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र** : भाग (ख) का उत्तर दिया जा चुका है। यह नकारात्मक है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न के पहले भाग का क्या उत्तर है कि बहुत से मत अमान्य हो गये ?

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र** : मैं ने बताया कि बहुत से खराब मतपत्र थे परन्तु ऐसा मतदाताओं को एक साथ मतपत्र देने के कारण नहीं हुआ था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बासप्पा** : क्या यह सच है कि कुछ मामलों में संसदीय मतपत्र पहले दिये गये थे तथा कुछ अन्य मामलों में विधान सभा के मतपत्र पहले दिये गये थे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय इस को स्वीकार नहीं करते हैं।

श्री राम सेवक यादव : मैं जानना चाहता हूं कि क्या चुनाव आयोग के सामने इस तरह की व्यवस्था रख दी गई है जिससे दोनों मतपेटियां अलग अलग हो जायें और बैलट पेपर्ज़ रद्द न हों ?

अध्यक्ष महोदय : इस के बारे में उन्होंने कहा है कि अभी कोई तजवीज़ नहीं है कमिशन के पास।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या सरकार को कुछ ऐसे भी सुझाव प्राप्त हुए हैं कि लोक-सभा और विधान सभाओं के निर्वाचन भी पथक् पृथक् हों क्योंकि दोनों विधान मंडलों का कार्य और सोचने का ढंग भी पृथक् पृथक् है ?

†**श्री विभुवेन्द्र मिश्र** : श्रीमान् ऐसा करने से बहुत धन व्यय होगा तथा इस मामले पर भी चुनाव आयोग ही निर्णय करेगा । परन्तु इस समय चुनाव एक साथ होते हैं तथा कोई कठिनाई सामने नहीं आई है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या सरकार को यह बताया गया है कि लोक-सभा के मतपत्रों की गिनती करने में उससे दुगना समय लगा है जितना एक मतदान पेटिका पद्धति में लगता था ? पहले लोक-सभा के मतदान पत्र तथा विधान सभा के मतदान-पत्र अलग अलग करने पड़े तथा तब गिनती हो पाई और इस प्रकार पश्चिम बंगाल में पहले से दुगना समय लगा ?

†**श्री विभुवेन्द्र मिश्र** : गणना करने में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या पर भी यह आधारित है। परन्तु रिटर्निंग अफसरों ने सभी स्थानों पर इसका ध्यान रखा है कि गणना समय पर समाप्त हो जाये।

हैवी इलेक्ट्रिकल्ज़ लिमिटेड, भोपाल में संयुक्त परिषद्

†*५५४. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हेवी इलेक्ट्रिकल्ज़ लिमिटेड, भोपाल में संयुक्त परिषद् गठित करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** :(क) और (ख). मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का अभिप्राय मालिकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की संयुक्त समिति से है। ऐसी समिति अभी नहीं बन पाई। व्यवस्थापक इस बारे में राज्य सरकार से परामर्श कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सही है कि मा० मंत्री की श्रम मंत्री से मुलाकात हुई थी और इस विषय पर उनकी बातचीत हुई थी; यदि हां, तो क्या विविध समस्याओं पर विचार करने के लिये यह परिषद् या समिति तुरन्त बनाये जाने की संभावना है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : मुझे खेद है कि मैं मध्य प्रदेश के श्रम मंत्री के साथ इस मामले पर बातचीत नहीं कर सका क्योंकि प्रस्तावित दौरा समाप्त कर दिया गया था। किन्तु मैं बाद में किसी समय इस के बारे में बातचीत करने की आशा करता हूं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार दुर्भाग्य से, कार्मिक संघ की मान्यता के कारण विवाद में एक पक्ष है, क्या माननीय मंत्री इस मामले पर केन्द्रीय मंत्री से बातचीत कर के इस बारे में एक निश्चित समझौते पर पहुंचेंगे ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : मैं प्रश्न को समझ नहीं पाया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जानना चाहते हैं कि क्या माननीय मंत्री केन्द्रीय और राज्य मंत्रियों के साथ भविष्य में इस पर अग्रेतर बातचीत करने का इरादा करते हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : मैं ने यही कहा है । बाद में मैं मध्य प्रदेश के श्रम मंत्री से इस विषय पर बातचीत करने की आशा करता हूं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या माननीय मंत्री को इस बात की सूचना दी गई है कि कार्मिक संघ के लगभग २१ कार्यकर्ताओं को नौकरी से बर्खास्त किये जाने के लिये कारण बताओ नोटिस दिये गये थे ? उन के मामले पर चर्चा के लिये कोई सभा स्थान न होने के कारण, उन की शिकायतें कैसे दूर की जा सकती हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : यह सर्वथा पृथक प्रश्न है । मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम में उन के लिये उपबन्ध है जिन पर दोषारोपण लगाया गया है और यदि वे कोई कार्रवाई करें तो विधि के उपबन्ध लागू होंगे ।

†**श्री काशीनाथ पांडे** : क्या मैं इस से यह समझूं कि इस परिषद् का औद्योगिक विवादों को भी निपटाने के लिये उपयोग किया जायेगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : संयुक्त समिति के कार्य विधि के अन्तर्गत निर्धारित हैं और वे केवल उतना ही कर सकेंगे, अधिक कुछ नहीं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्योंकि इस बर्खास्तगी द्वारा प्रभावित कार्यकर्ताओं का कार्मिक संघ से संबंध है, जिस को मान्यता प्राप्त नहीं है, क्या व्यवस्थापकों द्वारा इस कार्मिक संघ को कोई अवसर दिया जायगा, यद्यपि वह मान्य नहीं है, कि वह मालिकों के प्रतिनिधियों के साथ इस मामले में बातचीत कर सके ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : अभ्यावेदन हमेशा व्यवस्थापकों को दिये जा सकते हैं । अब माननीय सदस्य को स्पष्टतः २१ कार्यकर्ताओं पर लगाये गये दोषारोपणों की चिन्ता है । यह सर्वथा भिन्न प्रश्न है । मुझे विश्वास है कि निष्पक्ष विभागीय जांच होगी और आवश्यक कार्रवाई की जायेगी । यदि और कोई शिकायत भी हो, माननीय सदस्य उस की सूचना सरकार को दे दें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

योग का चिकित्सकीय महत्व[1]

+

†*५५५. { **श्री वासुदेवन् नायर :**
{ **श्री वारियर :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने योग के चिकित्सा के महत्व के दावे की जांच करने के लिये चिकित्सा विशेषज्ञों की जो समिति गठित की थी क्या उस ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य सिफारिशें और उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) क्या उस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २]**

(ग) प्रतिवेदन छापा जा रहा है और जब उस की छपी हुई प्रतियां प्राप्त हो जायेंगी वह सभा पटल पर रख दिया जायेगा । इस बीच ५ साइक्लोस्टाइल्ड प्रतियां संसद् के पुस्तकालय मे रख दी गई हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या सरकार ने इस विषय संबंधी समिति की सिफारिशों और निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया है जो पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : उन की जांच की जा रही है, किन्तु सरकार साधारणतया इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार करती है ।

†**श्री ओझा** : क्या सरकार को पता है कि श्रम मंत्री ने एक कार्यक्रम आरंभ किया है जिसे कुछ सफलता प्राप्त हुई है ? क्या शिक्षा मंत्रालय भी उस का लाभ उठायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : हो सकता है । मुझे पता नहीं कि उस दिशा में क्या कुछ किया गया है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या इन कार्यक्रमों को चलाने में गैर-सरकारी अभिकरणों की भी सरकार द्वारा सहायता की जायगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी अभिकरणों को सरकार सहायता प्रदान करेगी ।

डा० गोविन्द दास : इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में जो भिन्न भिन्न संस्थायें इस सम्बन्ध में चल रही हैं, और जिन की अलग अलग पद्धतियां हैं, क्या उन से भी कुछ परामर्श किया जायेगा ?

डा० का० ला० श्रीमाली : परामर्श बराबर किया जाता है । यह प्रश्न उस कमेटी के सम्बन्ध में था जो गवर्नमेंट ने नियुक्त की थी । जब उस कमेटी ने जांच की तो उन संस्थाओं को भी उन्हों ने देखा और उन से परामर्श भी किया । जो यह रिपोर्ट निकली है वह पूरी जांच के बाद निकली है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : जब मामले की जांच हो रही है, क्या तब भी, जैसाकि माननीय मंत्री ने कहा है, यह सही है कि उन के दूसरे साथी, श्रम और रोजगार मंत्री ने, कर्मचारी राज्य

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Therapeutic value of Yoga.

बीमा योजना के सहाय्यानुदान के साथ भारत सेवक समाज के द्वारा बीमाबद्ध औद्योगिक कार्यकर्ताओं के के लिये योगासनों की अग्रिम परियोजनायें मंजूर कर के इस मामले पर व्यय किया है ? माननीय मंत्री ने यह उत्तर कुछ दिन पूर्व सभा में दिया था।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यदि दूसरे मंत्री भी इस मामले में दिलचस्पी लेते हैं तो मैं स्वागत करूंगा । शिक्षा मंत्रालय उस का स्वागत करेगा ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मेरा प्रश्न यह है कि जब सरकार इस की जांच कर रही है, इस मामले में उन का अन्तिम निर्णय होने से पूर्व, अन्य मंत्रालय ने इस मामले पर व्यय किया, यह कैसे संभव हुआ ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सरकार पिछले कितने ही वर्षों से इन योगिक संस्थाओं की सहायता कर रही है । यह कोई बिल्कुल नई बात नहीं है । यह समिति विशेष निदेश निबंधनों के साथ नियुक्त की गई थी । उन को यौगिक अभ्यासों के चिकित्सीय महत्व का अध्ययन तथा मूल्यांकन करना है और वैज्ञानिक आधार पर उन का विकास करने के लिये उचित उपायों की सिफारिश करना तथा उन संस्थाओं में जाना है। इस निदेश निबंधनों के अधीन इस समिति ने अपनी सिफारिशें दी हैं और सरकार उन की जांच कर रही है तथा उस जांच के पूरा हो जाने के उपरान्त स्वास्थ्य मंत्रालय के परामर्श से आवश्यक कार्रवाई करेगी ।

†**श्री कामत :** किन्तु सरकार ने तो पहले ही कार्रवाई कर रखी है ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** समिति द्वारा पेश की गई रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार अध्यापकों को प्रशिक्षण देने का विचार करती है, जो देश भर में इस यौगिक अभ्यासों के लिये युवकों को प्रशिक्षन देंगे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** यह अंशतः किया जा रहा है और सरकार इस कार्यक्रम को और आग बढ़ायगी ।

यूरोपीय साझा बाजार

\+

†*५५६. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री अंजनप्पा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री हेम बरुआ :
श्री अ० सि० सहगल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरोपीय साझा बाजार में ब्रिटेन के प्रवेश के लिये यूरोपीय साझा बाजार के सदस्य देशों और ब्रिटेन के बीच हो रही बातचीत की पूरी जानकारी प्राप्त करते रहने का काम जिस भारतीय अधिकारी को सौंपा गया था क्या उस ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में क्या मुख्य बातें दी गई हैं ?

†**वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) और (ख). जी हां। ब्रसल्ज़ स्थित यूरोपीय साझा समाज में भारत का मान्य प्रतिनिधि ब्रिटेन तथा इस समाज के बीच हो वाली बातचीत के रुख के बारे में लगातार और पूरी तरह जानकारी रखता है। हमारे प्रतिनिधि से प्राप्त होने वाले पत्र आदि गोपनीय हैं और उन से कोई सूचना नहीं बताई जा सकती।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या माननीय मंत्री बता सकती हैं कि इस सम्बन्ध में कितनी और किस प्रकार की प्रगति की गई है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : जैसाकि मैं ने मूल उत्तर में कहा है, हमें समय समय पर रिपोर्टें मिलती हैं। बातचीत अभी जारी है। उस के बारे में कुछ कहना मेरे लिये कठिन है ?

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या ब्रसल्ज़ स्थित हमारे आर्थिक आयुक्त ने भारत सरकार को सलाह दी है कि भारत के हितों की रक्षा करने के लिये यूरोपीय साझा बाजार परिषद् में एक वरिष्ठ मंत्री को भजा जाय, जब ब्रिटेन के साथ इस विषय पर बातचीत चल रही है ?

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : इन मामलों में कुछ कहना कठिन है क्योंकि यह सब नाज़ुक बातचीत है, और टुकड़े-टुकड़े यह बताने का कोई उपयोग नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सही है कि ब्रिटेन ने यूरोपीय साझा बाजार के साथ राष्ट्रमंडलीय देशों के संबंध का सुझाव दिया है और यूरोपीय साझा बाजार के कुछ देशों ने इस बात का विरोध किया है, और कहा है कि हर कोई राष्ट्रमंडलीय-देश यूरोपीय साझा बाजार में शामिल नहीं हो सकता। यदि ऐसी बात है, तो उसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : जैसा मैंने कहा, ये नाजुक बातें हैं। मेरे लिये इस समय इन बातों के बारे में कोई सूचना देना संभव नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ** : एक औचित्य प्रश्न। वित्त मंत्री सरकार की प्रतिक्रिया भी बतला नहीं दे रहेऔर कहते हैं कि ये सब नाजुक बात हैं जो बताई नहीं जा सकतीं। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या ब्रिटेन ने सुझाव दिया है कि राष्ट्रमंडलीय देशों को यूरोपीय साझा बाजार में शामिल कर लिया जाए, जो ब्रिटेन ने समाचार पत्रों में प्रकाशित किया है। और मंत्री महोदय 'हां' या 'ना' कह सकते हैं। इस बात को नहीं समझ सकता। संभवतः

†**अध्यक्ष महोदय** माननीय सदस्य समझते हैं कि जो सूचना वह चाहते हैं वह समाचारपत्रों में दी जा चुकी है। यदि ऐसी बात है तो सूचना पूछने का कोई उपयोग नहीं। और यदि वह सूचना इनके पास नहीं, और सूचना नहीं दी गई, और यदि सरकार समझती है कि इस समय यह नाजक स्थिति है, और इसे बताना वांछनीय नहीं है, तो संभवतः हमें संतोष करना चाहिये और कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिये जब वे बात चीतें कुछ मात्रा तक बढ़ जाएं, तब सूचना दी जायेगी।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या हम यह समझें कि ब्रिटेन की प्रेस की खबरें सही हैं, क्योंकि सरकार ने उन के बारे में चुप्पी धारण कर रखी है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह आवश्यक है कि सरकार को मानना चाहिये कि क्या वे सही हैं या गलत। यदि यह अन्य साधनों से प्राप्त होती है, तो उसका दूसरा महत्व होता है ; यदि यह सरकार की ओर से होता है, तो उसका भिन्न महत्व होगा। अगला प्रश्न।

लोहे के मूल्य

*५५८. **श्री बाल्मीकी** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोहे के बढ़ते हुए मूल्यों को नियंत्रित करने के लिये तथा मूल्यों में चोर बाजारी की प्रवृत्ति को दूर करने के लिये अप्रैल १९६२ तक क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) लोहे के उत्पादन को देखते हुए देश कब तक आत्म निर्भरता प्राप्त कर लेगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) नवीन उत्पाद शुल्कों के कारण हाल की वृद्धि के अतिरिक्त, लोहा और इस्पात की अधिकांश किस्मों का नियंत्रित बिक्री मूल्य १९५७ से स्थायी रहा है ।

अधिक किस्मों के इस्पात की अधिक उपलब्धि होने से बुराइयां कम हो रही हैं। चोरी बाजारी से लोहा और इस्पात नियंत्रण आदेश का उल्लंघन होगा और अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन वह दंडनीय है। राज्य सरकार के विधि प्रवर्तन प्राधिकारी ऐसे अपराधों को पकड़ने के लिये सक्षम हैं।

(ख) १९६५–६६ तक, १०२ लाख टन इस्पात छड़े वार्षिक और १५ लाख टन कच्चा लोहा बिक्री के लिये तैयार करने की क्षमता स्थापित करने का विचार है, जो उस समय देश की आवश्यकताओं को अधिकतर पूरा करेगी ।

श्री बाल्मीकी : इस सम्बन्ध में कितने व्यापारियों को सजाएं दी गई हैं और सब से ज्यादा किस राज्य में दी गई हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : कितने लोगों को सजा दी गई थी और किस राज्य मे अपराधियों की अधिकतम संख्या है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मेरे पास यह जानकारी नहीं है ।

श्री बाल्मीकी : पबलिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर में पैदा हुए लोहे की कीमतों में कितना अन्तर हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : नहीं, यह सब इस्पात के लिये साझा भाव है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या सरकार का ध्यान 'कैपिटल' में दी गई इस सूचना की ओर दिलाया गया है कि अंश बाजार में क्यों तेजी आई है इस का एक कारण यह है कि इस्पात के संभरण मूल्य में तुरन्त वृद्धि होने वाली है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : क्या माननीय सदस्या चाहती है कि मैं उत्तर दे कर इस सट्टेबाजी को और पुष्ट करूं ?

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या सरकार को पता है कि जिस समय इस्पात और अन्य अभ्यंश लोगों को लोगों को आवंटित किये जाते हैं, क्या स्टाक वालों या बना स्टाक वालों, को, कई बार

---

†मूल अंग्रेजी में

यह देखा गया है कि आवंटन स्थान पर ही उपलब्ध नहीं होता, और उस कारण बाजार में मांग बढ़ जाती है और परिणामतः चोर बाजारी होती है? क्या सरकार ने कोई कार्रवाई की है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : ऐसा कुछ किस्मों की कमी के कारण होता है। माननीय सदस्य जानते होंगे कि अधिकतर किस्मों के बारे में, हमारे पास अब काफी माल है। किन्तु कुछ बहुत ही कम मिलने वाली वस्तुएं हैं, जिन के बारे में ये कठिनाइयां होती हैं? हम आशा करते हैं कि इन किस्मों के उत्पादन में भी वृद्धि होगी ।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या राज्यों में चलाये गये अभियोगों के बारे में कोई हिदायत जारी की गई है या सरकार को रिपोर्ट मिलती है, क्योंकि यह केन्द्रीय विषय है? क्या सरकार ने चलाये गये अभियोगों की संख्या के बारे में और दिये गये दंडों की संख्या के बारे में राज्यों से कोई सूचना प्राप्त करने की कोई हिदायत की है?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : मेरे पास यहां सूचना नहीं है। यदि माननीय सदस्य को दिलचस्पी है तो निश्चय ही मैं सूचना एकत्र करके उनको दे दूंगा।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या रिपोर्ट भेजने के लिये कोई हिदायत दी गई है।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : मुझे इस का पता नहीं है ।

†**श्री कमल नयन बजाज** : जब कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में इस्पात का मूल्य वही है क्या सरकारी क्षेत्र में उत्पादन लागत गैर सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा तुलनात्मक कम है और यदि नहीं तो क्या हम सरकारी क्षेत्र में लागत से कम दामों पर बेच रहे हैं?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : यद्यपि यह सवाल पैदा नहीं होता, किन्तु मैं फिर भी उत्तर देता हूं। सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में, हमने अभी पूरा उत्पादन आरंभ नहीं किया। इसलिये इस समय सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में उत्पादन लागत की तुलना करना संभव नहीं होगा।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

अंकलेश्वर पाइप लाइन में दरार

+

†६ { **श्री याज्ञिक** :
श्री पु० र० पटेल :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंकलेश्वर तेल क्षेत्रों को पवोली टर्मिनल के साथ मिलाने वाली पाइप लाइन में कुछ स्थानों पर दरारें पड़ी गई हैं ;

(ख) प्रतिदिन पाइप से लगभग कितना तेल चू जाता है ;

(ग) पाइप लाइन में दरार पड़ने के क्या कारण हैं ; और

(घ) पाइप लाइन में दरार पड़ने के लिये उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

†**खान और इंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) एक स्थान पर दरार पाई गई।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) लगभग १०० टन अशोधित तेल चूया, जो तकरीबन सारा इकट्ठा कर लिया गया।

(ग) फ्लेंज गास्केट के खराब हो जाने के कारण ।

(घ) इसके लिये किसी व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता ।

†**श्री याज्ञिक** : पाइप लाइन में दरार पड़ने के क्या कारण थे? मेरा विचार यह है कि ये पाइपें केवल कुछ महीने पहले वैल्ड की गई थीं और मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता कि ये पाइप टूट जाएं और चूने लगें ।

†**श्री के० दे० मालवीय** : मुझे पता नहीं, सामान्यतया, पाइपें टूटती नहीं, कभी कभी, गास्केट खराब हो जाते हैं या वे पाइप लाइन के अन्दर ही नष्ट हो जाते हैं। सब तेल क्षेत्रों में पाइपों के साथ ऐसा हो जाता है । इसमें कोई असामान्य बात नहीं हुई ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : इस पाइप लाइन के निर्माण के लिये कौन लोग जिम्मेवार थे, क्या इस का निर्माण तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किया गया था, या किसी ठेकेदार द्वारा और क्या उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है जो इस पाइप लाइन के निर्माण के लिये उत्तरदायी थे ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : किसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करना जरूरी नहीं है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : निर्माण के लिये जिम्मेवार कौन था ?

†**श्री के० दे० मालवीय**: तेल और प्राकृतिक गैस आयोग इस पाइप लाइन के निर्माण के लिये उत्तरदायी था और वे साधारणतया छोटे ठेकों द्वारा इसे करते हैं । ये चीजें कार्यक्रम का अंग होती हैं । कई बार, किसी तेल-क्षेत्र में कुछ कठिनाई अनुभव की जाती है और पाया जाता है कि तेल चूता है, यदि १०० टन तेल चू गया है, तो तेल हमेशा इकट्ठा कर लिया जाता है, ऐसा हो सकता है एक या दो टन तेल नष्ट हो जाए, किन्तु इन चीजों को लगाने तथा तेल-क्षेत्र की व्यवस्था करने के प्रारंभिक स्तरों में ऐसी कठिनाइयों की अपेक्षा की जानी चाहिये ।

†**श्री याज्ञिक** : तेल कितने दिनों तक चूता रहा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मुझे पता नहीं, मेरे पास यह सूचना नहीं है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गरीब छात्रों को छात्रवृत्तियां

†५५७. **श्री बासप्पा** : क्या शिक्षा मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२ में कितने गरीब किन्तु योग्य छात्रों को छात्रवत्तियां दी गई हैं; और

(ख) क्या १९६२-६३ में ऐसे छात्रों की संख्या में वृद्धि की जायेगी ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **(देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३)**

(ख) मामला विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूरकेला इस्पात सन्यन्त्र

†५५९. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री १५ मार्च, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला स्टील वर्क्स में ६ दिसम्बर, १९६१ को ब्लूमिंग एन्ड स्पिनिंग मिल का काम ठप्प हो जाने के बारे में जांच पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो काम ठप्प हो जाने के क्या कारण थे ; और

(ग) पश्चिम जर्मनी से आवश्यक पुर्जे प्राप्त करने में विलम्ब क्यों हुआ और इस के लिये कौन उत्तरदायी था क्या इस सम्बन्ध में भी कोई जांच की गई है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) :** (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

(ग) फालतू पुर्जों के लिये आर्डर समय पर दिये गये थे किन्तु कुछ चीजों के संभरण में कुछ विलम्ब हो गया और इस की जांच हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा की जा रही है ।

हेलीकोप्टरों का निर्माण

†*५६०. **श्री मं० रं० कृष्ण :**
श्री म श्वर नायक :
श्री भक्त दर्शन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हेलीकोप्टरों का निर्माण करने हेतु वदेशी फर्मों से करार किये हैं ; और

(ख) क्या उन देशों में से, जिन से सरकार ने हेलीकोप्टर खरीदे हैं, किसी ने भी अपने करारों में भारत के लिये हेलीकोप्टरों का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) जी नहीं । बातचीत चल रही है ।

(ख) जी, हां ।

मद्रास में हाई प्रेशर बायलर सन्यन्त्र

†*५६१. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री नम्बियार :
श्री बालकृष्णन :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्रास में सरकारी क्षेत्र में हाई प्रेशर बायलर संयंत्र की स्थापना की योजना के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : हाई प्रेशर बायलर संयंत्र के निर्माण का प्रारम्भिक काम हाथ में ले लिया गया है । परियोजना के लिये जिस भूमि की जरूरत थी वह ले ली गई है । इस स्थान को समतल करने तथा मिट्टी डालने का काम चल रहा है । विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने में, चेकोस्लोवाकिया में, छः भारतीय इंजीनियर भी लगे हुए हैं ।

तांबा गलाने का सन्यन्त्र

†*५६२. **श्री मुरारका :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेत्री में तांबा गलाने के संयंत्र के बारे में दिये गये परियोजना प्रतिवेदन पर कोई निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) उपरोक्त संयंत्र के लिये आर्डर कब दिये जाने की संभावना है ; और

(ग) इस परियोजना के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**खान और इंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). जी नहीं । परियोजना प्रतिवेदन में दी गई समय अनुसूची के अनुसार, समाहार का काम, सलाहकारों को परियोजना प्रतिवेदन सम्बन्धी निर्णय पहुंचाये जाने की तिथि से २४ महीनों की अवधि में पूरा किया जायेगा ।

(ग) निम्नलिखित प्रगति की गई है, अर्थात् :—

(१) २५०० फुट की गहराई तक अयस्क के निक्षेपों सम्बन्धी अग्रेतर पुष्टि के लिये खुदाई चल रही है ।

(२) बोली सम्बन्धी दस्तावेज डुबाये जाने वाले शैफ्टों के नक्शे और विशिष्ट ब्यौरे सलाहकारों से प्राप्त हो चुके हैं और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम समिति उनकी जांच कर रही है ।

(३) परियोजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सिंघाना और जोधपुर क्षेत्रों में भूमि के अन्दर के जल सम्बन्धी अनुसंधान चल रहे हैं ।

(४) बिजली सम्भरण सम्बन्धी प्रबन्धों की जांच राजस्थान बिजली बोर्ड और केन्द्रीय जल तथा बिजली आयोग के परामर्श के साथ काफी बढ़ चुकी है ।

(५) टाउनशिप और संयंत्र के लिये स्थान चुने जा चुके हैं और सरकारी भूमि के अन्य संक्रामण और गैर-सरकारी भूमि के अधिग्रहण के लिये राजस्थान सरकार को प्रार्थना पत्र दिये गये हैं ।

(६) खनन पट्टे की एक अर्जी भी राज्य सरकार को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम समिति के द्वारा की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजभाषा (विधायी) आयोग के लिये नियुक्तियां

†*५६३. **श्री अ० सि० सहगल** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजभाषा (विधायी) आयोग में सरकार द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों के क्या नाम हैं ;

(ख) पंजाबी के प्रतिनिधि के रूप में चुने गये व्यक्ति का क्या नाम है ; और

(ग) क्या पंजाब सरकार से उपयुक्त व्यक्ति का नाम प्राप्त करने के लिये कोई प्रयत्न किया गया था ?

†**विधि मन्त्री (श्री अ० कु० सेन)** : (क) राजभाषा (विधायी) आयोग में निम्नलिखित नियुक्तियां की गई हैं :—

(१) श्री सी० पी० सिन्हा — प्रधान

श्री बी० जी० मुर्देश्वर — उप-प्रधान
श्री मौली चन्द्र शर्मा, श्री घनश्याम सिंह गुप्त, श्री एस० एन० भट्टाचार्य — सदस्य

(२) **अंशकालिक सदस्य** :

(१) प्रोफैसर जी० सी० वेंकटा सुब्बा राव

(२) श्री पी० एल० शोमे

(३) शास्त्री यशोधर एन० मेहता

(४) श्री के० पद्मनाभन

(५) सय्यद नजीर अहमद शाह

(६) श्री जी० सी० शर्मा

(७) श्री एस० एन० अग्रवाल, सदस्य विधान सभा

(८) श्री एस० एस० मोरे, संसद् सदस्य

(९) श्री बाल कृष्ण, सदस्य-सचिव ।

(ख) श्री मौली चन्द्र शर्मा ।

(ग) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बरौनी को तेल पाइप लाइन

†*५६४. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या बरौनी में तेलशोधक कारखाने को तेल क्षेत्रों से मिलान के लिये पाइप लाइन बिछा दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तेल के कुओं से तेलशोधक कारखाने तक कच्चा तेल ले जाना सम्भवत: कब से आरम्भ होगा ?

†**खान और इंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) और (ख), जी, नहीं । इस समय पाइप लाइन बन रही है । यह वर्ष १९६३ के आरम्भ में चालू होगी ।

मनीपुर में नागा आदिम जातियों के व्यक्तियों की नजरबन्दी

†*५६५. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६२ में मनीपुर प्रशासन ने निवारक निरोध अधिनियम के अधीन मनीपुर की नागा आदिम-जाति के कितने व्यक्तियों को नजरबन्द किया ;

(ख) उन्हें किन कारणों से नजरबन्द किया गया ;

(ग) क्या परामर्शदाता बोर्ड ने उन की नजरबन्दी के कारणों की जांच कर ली हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

†**गृह-कार्य मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). फरवरी महीने में निवारक निरोध अधिनियम के अधीन मनीपुर के छ: नागा गिरफ्तार किये गये ताकि वे संघ राज्य-क्षेत्र मनीपुर की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने में बाधक न हों ।

(ग) और (घ). जी हां । परामर्शदाता बोर्ड ने बताया है कि इस की राय में उन की गिरफ्तारी के लिये पर्याप्त कारण हैं ।

सरकारी अलकालाइड कारखाना, गाजीपुर

*५६६. **श्री सरजू पाण्डेय** :
श्री ज० ब० सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री २० नवम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाजीपुर में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकारी अलकालाइड कारखाने का जो नवीनीकरण होने वाला है उस का ब्योरा क्या है ; और

(ख) उक्त नवीनीकरण से और कितने आदमी उक्त कारखाने में काम पा सकेंगे ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख), योजना पर अभी विचार हो रहा है और ब्योरे की बातों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया ।

राष्ट्रीय सेना छात्र दल की महिला पदाधिकारियों के लिये कालिज

†*५६७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सेना-छात्र दल की महिला पदाधिकारियों के लिये एक कालिज स्थापित करने की आवश्यकता पर विचार कर लिया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां तो उस का क्या परिणाम निकला ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्रीकृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). राष्ट्रीय सेना-छात्र दल की महिला पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये एक कालिज स्थापित करने की योजना विचाराधीन है ।

भावात्मक एकता

†*५६८. **श्री सिद्धय्या :**
श्री श्री नारायण दास :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भावात्मक एकता लाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जायेंगे; और

(ख) अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). भारत सरकार ने राष्ट्रीय जीवन में भावात्मक एकता लाने में शिक्षा के महत्व की जांच करने और इस बारे में उपयुक्त कार्यक्रम का सुझाव देने के लिये डा० सम्पूर्णानन्द की अध्यक्षता में मई, १९६१ में एक समिति नियुक्त की । समिति का अन्तिम प्रतिवेदन शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है । जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आवश्यक कदम उठाये जायेंगे ।

जमशेदपुर इंजीनियरिंग एण्ड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी

†*५६९. **डा० उ० मिश्र** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जमशेदपुर इंजीनियरिंग एण्ड मशीनरी मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी जमशेदपुर कितने क्षेत्र में फैली हुई है;

(ख) कम्पनी की 'रोल' उत्पादन की क्षमता कितनी है;

(ग) इस का वर्तमान उत्पादन कितना है; और

(घ) हमारे देश में इन 'रोलों' का कितनी मात्रा में आयात किया जा रहा है और पिछले तीन वर्षों अर्थात् १९५९, १९६० और १९६१ में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गयी ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

(ख) और (ग). मेसर्ज़ जमशेदपुर इंजीनियरिंग और मशीनरी मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी को प्रति मास ३२० टन ढलवां लोहा तैयार करने का लाइसेंस दिया गया है । 'रोल' बनाने की उनकी क्षमता पृथक रूप से निर्धारित नहीं की गयी है और न इसका पता लगाया गया है । वह सीमित मात्रा में ढलाई के लोहे के 'रोल' बना रहे हैं ।

(घ) पिछले ३ वर्षों में 'रोलों' का आयात निम्न रहा :

अप्रैल १९५९--मार्च १९६०--१०७ लाख रुपये ।

अप्रैल १९६०--मार्च १९६१--११८ लाख रुपये ।

अप्रैल १९६१--मार्च १९६२--१५२.५ लाख रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

फ्रांस में भारतीय इंजीनियरिंग विद्यार्थी

*५७०. **श्री बिशन चन्द्र सेठ:** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने फ्रांस सरकार से यह व्यवस्था की है कि भारतीय इन्जीनियर छात्रों को उनके देश में शिक्षा मिल सके;

(ख) ऐसे छात्रों को किस आधार पर छांटा जायेगा;

(ग) कितने छात्र हर वर्ष इस प्रयोजन हेतु भेजे जायेंगे; और

(घ) यह सुविधा फ्रांस सरकार ने कितने वर्ष के लिये उपलब्ध की है ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) जी नहीं। लेकिन इंडो-फ्रेंच टैकनीकल कोआपरेशन प्रोग्राम के अधीन इंजीनियरी के भारतीय अध्यापकों को फ्रांस में सीमित तादाद में ट्रेनिंग देने के लिये फ्रांस सरकार के साथ व्यवस्था की गयी है।

(ख) ये अध्यापक भारत में इंजीनियरी/तकनीकी इंस्टीट्यूशनों द्वारा भेजे जाते हैं और उनका चुनाव योग्यता के आधार पर किया जाता है ।

(ग) अब तक हर साल एक से चार तक उम्मीदवार चुने गये हैं ।

(घ) फ्रांस सरकार ने यह नहीं बताया है कि यह व्यवस्था कितने साल तक चलेगी ।

दिल्ली में पुरातत्वीय सुरंग

५७१. **श्री प० ला० बारूपाल :**
श्री द्वा० ना० तिवारी :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की एक प्राचीन मस्जिद में एक पुरानी सुरंग मिली है;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त सुरंग लाल किले, कुतुब मीनार और आगरे से मिली हुई बताई जाती है;

(ग) क्या इस सुरंग के विषय में और कोई विशेष जानकारी भी मिलने की संभावना है; और

(घ) क्या उपरोक्त सुरंग में कुछ हथियार भी मिले हैं और यदि हां तो वे कितने मूल्य के हैं ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० म० मो० दास): (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता।

(घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ऐसी किसी खोज की सूचना नहीं मिली है।

प्राभिलेख विधान समिति

†*५७२. **श्री हो० ना० मुकर्जी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ माह पूर्व प्राभिलेख विधान समिति द्वारा की गयी सिफारिशों की जांच पूरी कर ली गयी है;

(ख) क्या यह सच है कि कागजात को देखने के वर्तमान नियमों के कारण अनुसंधान करने वाले को बड़ी कठिनाई हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले में शीघ्र कदम उठाये जायेंगे ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं ।

(ख) सरकार को किसी बड़ी कठिनाई की सूचना नहीं मिली है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बिहार के लिये लोहे की नालीदार चादरें

†*५७३. **श्री फ० गो० सेन** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१-६२ में बिहार राज्य को लोहे की नालीदार चादरों की कितनी मात्रा का संभरण किया गया और चालू वर्ष में कितना संभरण किया जायेगा; और

(ख) क्या केंद्रीय सरकार को बिहार सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिस में उस राज्य में हाल में आग लग जाने से बड़ी संख्या में गांवों के नष्ट हो जाने के कारण जनता की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए इस अभ्यंश (कोटा) में वृद्धि करने को कहा गया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) अप्रैल, १९६१ से फरवरी १९६२ तक की अवधि में, सभी अभ्यंश पर और राज्य में नियंत्रित स्टाकिस्टों को प्रेषण समेत ५७९५ मीटरिक टन जस्ता चढ़ी नालीदार चादरों का संभरण किया गया । इस समय वर्ष १९६२-६३ में किये जाने वाले संभरण के बारे में बताना सम्भव नहीं है ।

(ख) जी हां, यथासंभव हद तक क्योंकि इस माल का संभरण कम हो रहा है ।

नागालैण्ड में सड़कों का विकास

†*५७४. **श्री स० चु० जमीर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सड़क विकास बोर्ड ने नागालैण्ड में कार्य आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड ने कितनी सड़कों का काम सम्भाला है ;

(ग) सड़कों के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) सड़कों को पूरा करने में लगभग कितना समय लगेगा ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). यह ब्योरा बताना जन-हित में नहीं है ।

---

†नूल अंग्रेजी में

इस्पात सयन्त्रों में उत्पादन

†*५७५. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्रों में तीनों इस्पात संयत्रों में से प्रत्येक में अब तक कितने इस्पात का उत्पादन हुआ और उससे कितनी आय हुई; और

(ख) संयंत्रों ने किस हद तक अपने उत्पादन में से निर्यात करना आरम्भ किया है और उस निर्यात से कितनी आय हुई ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) तीनों सरकारी क्षेत्रीय संयंत्रों में से प्रत्येक में उत्पादन आरम्भ होने के समय से लेकर ३१ मार्च १९६२ तक इस्पात के पिण्डों का उत्पादन निम्न प्रकार रहा :

भिलाई	१२.७ लाख टन
राउरकेला	६.३४ लाख टन
दुर्गापुर . .	६.३ लाख टन
कुल	२५.३४ लाख टन

इसी अवधि में कच्चे लोहे और उपोत्पाद की बिक्री समेत ११,८२० लाख रुपये की आय हुई।

(ख) तीनों इस्पात संयंत्रों से ३१ मार्च १९६२ तक लगभग ३ लाख टन लोहे तथा इस्पात का निर्यात किया गया और उससे लगभग ८४० लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की आय हुई।

टैक्निकल छात्रवृत्तियां

†*५७६. **श्री मेलकोटे** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेकनिकल अध्ययन के लिये छात्रवृत्ति देने के लिये स्वीकृत की गई धन राशि अनेक टेक्निकल कालेजों में, जिनमें क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज भी शामिल हैं, नौ महीने बीतने पर भी छात्रों में नहीं बांटी गई हैं ;

(ख) क्या कालेजों ने फरवरी, १९६२ तक सुपात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने के प्रश्न पर निश्चय नहीं किया था ;

(ग) क्या निर्धन विद्यार्थियों के माता व पिता ने छात्रवृत्ति के मामले का निश्चय करने में इस असाधारण विलम्ब की शिकायत मंत्रालय से की है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने (१) विद्यार्थियों को शीघ्र छात्रवृत्तियां दी जाने और (२) भविष्य में शीघ्र फैसला किये जाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है या करेगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). कुछ संस्थाओं ने जनवरी-फरवरी, १९६२ तक अपने प्रस्ताव नहीं भेजे थे और इससे छात्रवृत्ति बांटने में देरी हुई परन्तु फरवरी, १९६२ से कई छात्रवृत्तियां दी जा चुकी हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) एक प्रादेशिक कार्यालय में विद्यार्थियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे।

(घ) जहां कहीं छात्रवृत्तियां देने के लिये समय पर आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुये, संबंधित संस्थाओं को शीघ्रता करने को कहा गया।

भविष्य में विलम्ब दूर करने के लिये प्रविधिक संस्थाओं के मुखियाओं के साथ परामर्श करके उपयुक्त उपाय किये जायेंगे।

राष्ट्रीय प्रोफेसर

†*५७७. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१–६२ में सरकार ने कुल कितने राष्ट्रीय प्रोफैसर नियुक्त किये ;

(ख) वर्ष १९६२–६३ में कुल कितने राष्ट्रीय प्रोफेसर नियुक्त किये जायेंगे ;

(ग) अद्यतन राष्ट्रीय प्रोफेसरों की कितनी संख्या है ; और

(घ) राष्ट्रीय प्रोफेसरों की कितना भुगतान किया जाता है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) वर्ष १९६१–६२ में सरकार ने कोई राष्ट्रीय प्रोफेसर नियुक्त नहीं किया।

(ख) अप्रैल, १९६२ में एक राष्ट्रीय प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। वर्ष १९६२–६३ में कोई और नियुक्त किये जाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, पांच।

(घ) राष्ट्रीय प्रोफेसरों को प्रतिमास २५०० रुपये वेतन मिलता है।

दिल्ली के माडर्न स्कूल में राष्ट्रीय अनुशासन योजना

†*५७८. **श्री हेम बरुआ :**
श्री रिशांग किशिंग :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के माडर्न स्कूल में राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अन्तर्गत शारीरिक मेहनत आरम्भ की गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके फलस्वरूप उपरोक्त स्कूल के एक विद्यार्थी का पैर भारी रोलर के नीचे कुचला गया ; और

(ग) यदि हां, तो घटना का क्या ब्योरा है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) दिल्ली के माडर्न स्कूल में न तो राष्ट्रीय अनुशासन योजना लागू की गयी है और न इस योजना के भाग के रूप में शारीरिक मेहनत आरम्भ की गयी है।

(ख) और (ग), प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यापकों द्वारा सक्रिय राजनीति में भाग लिया जाना

†*५७९. **श्री बालकृष्ण वासनिक :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अध्यापकों को सक्रिय राजनीति और चुनाव अन्दोलनों में भाग लेते पाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की इच्छा इस मामले में कोई कार्यवाही करने की है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, हां ।

(ख) जी नहीं ।

दिल्ली में चीनी राष्ट्रजन

†५८०. **श्री बड़े :**
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में रहने वाले कुछ चीनी राष्ट्रजनों को निष्कासित कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ;

(ग) आजकल दिल्ली में कितने चीनी राष्ट्रजन रहते हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन चीनी राष्ट्रजनों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने का है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार) :** (क) वर्ष १९६१ और १९६२ में पांच चीनी राष्ट्रजनों को भारत छोड़ने को कहा गया था जिनमें तीन भारत छोड़ कर चले गये और एक को भेजना पड़ा और बाकी एक का मामला अभी विचाराधीन है ।

(ख) भारत-विरोधी गतिविधियां ।

(ग) २७८ जिनमें ५४ अवयस्क शामिल हैं परन्तु वे शामिल नहीं हैं जिनके पास राजनयिक पासपोर्ट हैं ।

(घ) इस समय विदेशी अधिनियम, १९४६ और विदेशियों का पंजीयन अधिनियम, १९३९ के अधीन विदेशियों पर लगे प्रतिबन्ध पर्याप्त समझे जाते हैं ।

निकोबार द्वीप में व्यापार

†*५८१. **श्री अ० ब० राघवन् :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निकोबार द्वीप में सारा व्यापार एक ठेकेदार के हाथ में है ;

(ख) क्या यह सच है कि वहां खाद्य पदार्थों के मूल्य असाधारण रूप में बढ़ गये हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि चावल का मूल्य अधिक बढ़ जाने के कारण व्यक्ति केवल नारियलों से पेट भरते हैं ; और

(घ) क्या सरकार द्वीप में उचित मूल्य की दुकानें खोलनें की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) चावड़ा को छोड़ कर, जहां की जनसंख्या केवल १००० है और जहां माल के उतारने और चढ़ाने के लिये कोई सुरक्षित बन्दरगाह नहीं है, सभी द्वीपों में ट्रेडिंग कम्पनीज़ द्वारा खोली गयी उचित मूल्य की दुकानें चल रही हैं ।

चीनी राष्ट्रजन

†**५८२. श्री पु० र० पटेल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्री लियांग पेई चांग से, जिन्हें सरकार ने उनकी भारत विरोधी गतिविधियों के कारण भारत से चले जाने के लिये कहा था, कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है कि भारत में रहने की उसकी अवधि बढ़ा दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या अन्तिम आदेश दिया गया है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

कोयले के लिये माल डिब्बे

†***५८३. श्री राम सेवक यादव** : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'मुगलसराय की ओर' को आवंटित किये गये कोयले के २१०० माल डिब्बों के कोटे में से 'देश के नीचे भाग' के उपभोक्ताओं को २०० वैगन प्रतिदिन दिये गये ;

(ख) यदि हां, तो कब से दिये गये ;

(ग) उत्तर भारत के निर्माण उद्योगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा ;

(घ) क्या सरकार का विचार इस कटौती को तत्काल पूरा करने का है ; और

(ङ) क्या उपरोक्त 'मुलगसराय की ओर' के इलाके में उद्योगों के विस्तार को ध्यान में रखकर सरकार का विचार कोयला वैगनों का कोटा तत्काल बढ़ाकर २३०० प्रतिदिन और बाद में धीरे धीरे बढ़ाकर २५०० वैगन प्रतिदिन कर देने का है ?

†**खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) से (ग). मुगलसराय से आगे की ओर कोयले के परिवहन के लिये रेलवे ने प्रतिदिन २१०० माल-डिब्बों की अधिकतम क्षमता रखी है । तथापि, इस ओर कोयला नियंत्रक द्वारा किया गया बड़ा आवंटन मार्च, अप्रैल, और मई के महीनों में लगभग १४० माल-डिब्बे कम था । यह पुनरीक्षण हाल ही में की गयी विभिन्न प्राथमिकताओं के लिये पुनरीक्षित आवंटन के कारण आवश्यक था । तथापि यह देखने के लिये कि प्रत्येक उपभोक्ता को कम से कम १९६१ के स्तर पर संभरण हो जाये, इन पुनरीक्षित आवंटनों के भीतर प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(घ) और (ङ). मुगलसराय से ऊपर की ओर, वर्तमान अधिकतम सीमा तक आवंटन में वृद्धि करने के प्रश्न की जांच की जा रही है । जहां तक तीसरी योजना का सम्बन्ध है, इस अधिकतम सीमा को वर्ष १९६५–६६ तक २६०० वैगन प्रतिदिन तक करने का लक्ष्य है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अम्बाला के पास विमान दुर्घटना

†*५८४. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विमान बल का एक विमान २६ अप्रैल, १९६२ को अम्बाला के पास एक दुर्घटना में टूट गया ;

(ख) यदि हां, तो इसमें जान व माल का कितना नुकसान हुआ ; और

(ग) दुर्घटना होने का क्या कारण था ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). चालक, जो विमान में अकेला था, मारा गया है । विमान नष्ट हो गया । जांच पूरी होने पर इसमें हानि की सीमा और दुर्घटना के कारणों का पता चल सकेगा ।

तलचर (उड़ीसा) में तापीय बिजली घर

†*५८५. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तलचर में प्रस्तावित तापीय बिजली घर को कोयला भेजने के बारे में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम और उड़ीसा सरकार के बीच कोई चर्चा हुई है ;

(ख) क्या कोई करार हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या करार हुआ है ?

†**खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). जी, हां । हाल ही में तलचर में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा एक नई कोयला खान खोलने के बारे में चर्चा हुई थी । इसमें जिन मुख्य प्रश्नों पर विचार किया गया, वह खान चलाने की लागत और तापीय बिजली घर, जिसे प्रस्तावित खान से कोयला मिलेगा, की आर्थिकता है । चर्चा अधूरी रही और खान परियोजना का अग्रेतर परीक्षण पूरा होने पर चर्चा फिर आरम्भ होगी ।

नजफ़गढ़ नाला

†*५८६. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुड़ की मंडी (सिविल लाइन्स) के पास नजफ़गढ़ नाले को अन्य नालों से मिलाने के लिये पाइप लाइन डालने में आठ हरिजनों के पक्के मकान गिराये जायेंगे और इसके लिये शुरू में जो रास्ता निर्धारित किया गया था उसमें परिवर्तन कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्वाचन

†*५८७. { श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **विधि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान निर्वाचन आयोग के २० मार्च, १९६२ के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जो २९ मार्च, १९६२ के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुआ था और जिस में यह कहा गया था कि मत गिनने और परिणाम घोषित करने के समय रिटर्निंग अफसरों पर कारगर देखरेख रखने के लिये अधिक शक्तियां दी जानी चाहियें ; और

(ख) यदि हां, तो इस के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**विधि मन्त्री (श्री अ० कु० सेन)** : (क) जी, हां ।

(ख) मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने, जो समाचार से यह पता चलता है, अभी भी मामले पर और उन विशिष्ट अधिकारों पर, जो उन के अनुसार, उन्हें दिये जाने चाहियें, विचार कर रहे हैं, अब तक सरकार को कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं दिया है ।

झरिया कोयला खानों में आग

***५८८. श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झरिया और उस के आस पास की कोयला खानों में जो हाल में ही आग लग गई थी वह अब बुझ गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसे बुझाने के क्या यत्न किये जा रहे हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इस आग से खानों में पर्याप्त कोयले के भण्डार को हानि पहुंच चुकी है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि इस आग को बुझाने के लिये सरकार दूसरे देशों के विशेषज्ञों से भी कुछ सहायता प्राप्त करना चाहती है ?

खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) हाल ही में झरिया कोयला क्षेत्र में कोई आग की घटना नहीं हुई है । उपर्युक्त कोयला क्षेत्र में १५ आग लगे हुए इलाकों में से ९ इलाकों में कोयला बोर्ड द्वारा बचाव के तरीकों से आग पर काबू पा लिया गया है । शेष आग लगे हुए ६ इलाकों में आग पर काबू पाने के लिये बचाव के उपाय प्रगति पर हैं ।

(ख) आग पर काबू पाने के लिये अपनाये गये बचाव उपायों में डैम एवं नाकाओं का निर्माण, पृथक्करण खाइयों का कटाव, अग्नि से न जलने योग्य सामग्री से आग लगे हुए इलाकों को खाली करना, रेत को डालना और खानों को पानी से भरना आदि शामिल हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यह अनुमान लगाया गया है कि झरिया-कोयला-क्षेत्र के कुल संचयों की आग के कारण होने वाली हानि ०.५ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

'लोटस एण्ड रोबोट' नामक पुस्तक

†*५८९. **श्री विभूति मिश्र :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कॉस्लर ने 'लोटस ऐंड रोबोट' नाम की एक पुस्तक लिखी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उस पुस्तक में गांधी जी के सम्बन्ध में आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि पुस्तक को प्रतियां काफी संख्या में भारत में मंगवाई गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) और (ख). जी, हां।

(ग) देश में आयात की गयी प्रतियों की संख्या के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(घ) इस पुस्तक के भारत में प्रवेश पर रोक लगा दी गयी है।

इस्पात संयंत्रों में श्रम विधियां

†*५९०. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई, दुर्गापुर और रूरकेला के सब इस्पात संयंत्रों में श्रम विधियां पूरी तरह लागू कर दी गई हैं ;

(ख) यदि नहीं तो कौन से अधिनियम और अधिनियमों के उपबन्ध अभी तक लागू नहीं किये गये ; और

(ग) इस के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) :** (क) से (ग). धीरे धीरे तीनों इस्पात संयंत्रों में सभी अधिनियम लागू कर दिये गये हैं।

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड

†*५९१. { **श्री वारियर :** **श्री वासुदेवन् नायर :** }

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लि० ने वहां पर विकसित 'टेक्निकल जानकारी' की बिक्री के लिये इंगलिस्तान की एक फर्म के साथ संविदा किया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ।

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

मैसर्ज फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड फोस्फोरिक एसिड के उत्पादन के दौरान बने उपोत्पाद जिप्सम से अमोनिया सल्फट बनाने में विशेष जानकारी का विकास कर सकी है । विश्व में ऐसे बहुत थोड़े निर्माता हैं जो इस उपोत्पाद जिप्सम से अमोनिया सल्फेट बनाते हैं । इस प्रकार यह कम्पनी इस काम में नये लगने वालों को जानकारी बेच सकती है । इस काम के लिये इस कम्पनी ने ब्रिटेन के मेसर्ज़ पावर गैस कारपोरेशन के साथ एक उभयपक्षीय करार किया है जो इस जानकारी को डिज़ाईनिंग में और इस तरीके से संयंत्र बनाने में इस्तेमाल करेंगे । इस के बदले में मेसर्ज़ पावर गैस कारपोरेशन भारतीय कम्पनी को डिज़ाइन बनाने और विश्व में कहीं भी ऐसे संयंत्रों के लिये अपेक्षित उपकरणों के संभरण के लिये किये गये संविदा की कुल रकम का १ $^1/_4$ प्रतिशत फीस देगी । यह फीस प्रति संविदा कम से कम ५००० पौंड होगी । १५-३-१९६२ को अन्तिम रूप दिया गया यह करार दस वर्षों तक वैध है और दस वर्ष बाद आपसी सहमति द्वारा इसका नवीकरण किया जायेगा ।

'ट्रेनर' विमानों का निर्माण

†*५९२. **श्री बासप्पा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार फ्लाइंग क्लबों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बड़ी संख्या कम लागत के 'ट्रेनर' विमानों का निर्माण करने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उन की संख्या कितनी है ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). जी, नहीं । हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड ने एक कम दाम का विमान, पुष्पक, बनाया है जिस का कुछ उड्डयन क्लब इस्तेमाल कर रहे हैं । भारतीय वायु बल ने एक ४ सीट वाला बहुद्देश्यीय विमान बनाया है जिस ने सभी परीक्षण पास कर लिये हैं और वह निर्माण के लिय तैयार है । कानपुर २ मे विशेष बातें हैं और वह उड्डयन क्लबों द्वारा, कृषि, कार्यों, संचार उड़ानों अथवा एम्बुलेंस के रूप में, इस्तेमाल किया जा सकता है । इन विमानों के निर्माण की सक्रिय रूप से योजना बन रही है ।

नामरूप (आसाम) में उर्वरक सयंत्र

†*५९३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नामरूप (आसाम) में सरकारी क्षेत्र में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में तब से क्या प्रगति हुई है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४]

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर निर्माण करने वाली फैक्टरी

†*५९४. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये एक फैक्टरी लगाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की क्या स्थिति है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) और (ख). सरकार ने सिद्धान्त रूप से उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में प्रतिवर्ष ३००० 'रिनाल्ट' कृषि ट्रैक्टर बनाने के लिये एक नया उद्योग स्थापित करने की योजना मंजूर कर ली है । इस योजना के लिये मूल सामान और भाग/कच्चा माल का आया भारती उद्भव के उपयुक्त सामान को फ्रांस निर्यात कर के भुगतान के आधार पर किया जायगा । इस समय माल की अदला-बदली पर बातचीत हो रही है ।

कोयले का परिवहन

†*५९५. **श्री बड़े** :
श्री ब्रह्मजीत :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के सड़क द्वारा परिवहन के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) क्या परिवहन तथा संचार और रेलवे मंत्रालय के साथ इस सम्बन्ध में परामर्श कर लिया गया है ताकि नई योजना सुचारु रूप से क्रियान्वित की जा सके ।

(ग) समुद्र द्वारा कोयले के परिवहन के सम्बन्ध में अब तक क्या अनुभव रहा है ;

(घ) क्या इस पर आ क व्यय हुआ है ; और

(ङ) क्या स से दक्षिण भारत और अन्य स्थानों को कोयले की सप्लाई बढ़ाने में मदद मिली है ?

†**खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) से (ङ). मई, १९६१ से पूर्व समुद्र द्वारा प्रति वर्ष १० लाख टन कोयले का परिवहन होता था जबकि यह निर्णय किया गया था कि समुद्र के रास्ते १० लाख टन कोयले का और उत्पादन किया जाय । समुद्र के रास्ते कोयले के परिवहन में होने वाली मुख्य कठिनाइयां हुगली नदी में तटीय टन भार की कमी और कम गहराई है । मई, १९६१ से मार्च, १९६२ तक की ११ महीनों की अवधि में कलकत्ता से कुल १,४०८,१०६ टन कोयला जहाज में लादा गया जिस की औसत प्रति मास १.२८ लाख टन आती है, अर्थात् १.६६६ लाख टन के मासिक लक्ष्य का ७७ प्रतिशत । कठिनाइयां काफी हद तक दूर कर दी गयी हैं और मार्च, १९६२ में १,६६,०४२ टन का परिवहन किया गया । समुद्र द्वारा कोयले का परिवहन निःसन्देह रेल द्वारा परिवहन से अधिक है परन्तु समुद्र द्वारा कोयले के परिवहन में उपभोक्ता द्वारा की गयी अतिरिक्त लागत को भारत सरकार द्वारा दी गई राज-सहायता से काफी कम कर दिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रजी में

बाल संग्रहालय

†*५९६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा बढ़ाने के लिये बाल संग्रहालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस दिशा में क्या कार्रवाई की जाने का विचार है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) सरकार दिल्ली में एक बाल संग्रहालय स्थापित कर रही है ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

दिल्ली में बाल संग्रहालय कोटला रोड, नई दिल्ली में १०.८ एकड़ की भूमि में बाल भवन की सहायक संस्था के रूप में स्थापित किया जा रहा है । एक एक शिक्षण सेवा होगी और बच्चों को संगठित कलात्मक कार्यवाहियों के लिये अवसर प्रदान करेगी । यह बच्चों के लिये, बच्चों संबंधी और बच्चों के कार्य की प्रदर्शनी की व्यवस्था करेगी । यह अध्यापकों के लिये जानकारी, सामान और संभरण के लिये संसाधन केन्द्र का काम करेगी । यह संग्रहालय के व्यक्तियों को प्रशिक्षित भी करेगी ।

संग्रहालय की इमारत का निर्माण-कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ है और इस समय संग्रहालय का कार्यालय बाल भवन की इमारत में स्थित है । पूरा होने पर संग्रहालय की इमारत में एक प्रशासनिक ब्लाक, एक विशेष प्रदर्शनी गैलरी और एक बहुद्देश्यीय हाल होंगे । निर्माण-कार्य पर १० लाख रुपये के भीतर व्यय होने की आशा है । यह आशा की जाती है कि संग्रहालय अपना नियमित कार्य १-१०-१९६२ से आरम्भ कर देगा ।

संग्रहालय का प्रशासन एक स्वायत्त बोर्ड द्वारा चलाया जाता है जो बाल भवन का प्रशासन भी चलाता है । भारत सरकार व्यय का शत प्रतिशत वहन करती है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

साधन-कसौटी[1]

†*५९७. **श्री सिद्धय्या :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्राम समुदाय के 'दुर्बल अंगों' की स्थिति की जांच करने के लिये नियुक्त किये गये अध्ययन वर्ग ने सिफारिश की है कि अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के मामले में, शैक्षणिक सुविधायें देने के प्रयोजन से 'साधन-कसौटी' समाप्त की जानी चाहिये ; और

(ख) क्या सरकार ने उस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और वह वर्ष १९६२-६३ में और बाद के वर्षों के लिये उन जातियों और आदिम जातियों के लोगों को मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्तियां देने के लिये 'साधन-कसौटी' बन्द करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Means Test.

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दातार)** : (क) अध्ययन दल ने सिफारिश की है कि सभी विकास योजनाओं के लिये ग्राम समुदाय के 'दुर्बल अंगों' को निर्धारित करने के लिये एक 'साधन-कसौटी' लागू की जानी चाहिये। उन्होंने विचार व्यक्त किया है कि, समूचे दल के रूप में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को 'दुर्बल अंगों' का भाग समझा जा सकता है और इसलिये उन के मामले में कोई 'साधन-कसौटी' आवश्यक नहीं है।

(ख) सरकार द्वारा सिफारिशों का परीक्षण किया जा रहा है और यथासमय निर्णय किया जायेगा। मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति देने की योजना में अब भी अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये कोई 'साधन-कसौटी' नहीं है।

रात्रि को 'सफेद कपड़े पहनो' आन्दोलन

†*५९८. **श्री हेम बरुआ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में 'रात्रि को सफ़ेद कपड़े पहनो' आन्दोलन आरम्भ किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे आन्दोलन का क्या विशिष्ट उद्देश्य है और क्या इस का पर्याप्त प्रचार किया गया है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). इस प्रश्न का उत्तर अगली तिथि को परिवहन तथा संचार मंत्री द्वारा दिया जायेगा।

कांच उद्योग के लिये कोयला

†*५९९. **श्री राम सेवक यादव** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के नीचे के भाग के लिये, अर्थात्, 'मुगल सराय से नीचे की दिशा में 'मार्च' १९६२ से कांच के उद्योगों के लिये कोयला ढुलाई का अभ्यंश (कोटा) १७० वैगन प्रति मास से बढ़ा कर २९० वैगन प्रति मास कर दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश के ऊपर के भाग के लिये अर्थात्, 'मुगल सराय से ऊपर की दशा में', कांच उद्योगों के लिये कोयले का अभ्यंश (कोटा) लगभग २०० वैगन प्रति मास कम कर दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या देश के 'ऊपर के भाग में' कांच उद्योग को हुई कठिनाइयों पर ध्यान दिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार क्या तात्कालिक कार्रवाई करने का इरादा रखती है ?

†**खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). मुगलसराय से आगे की ओर कोयले के परिवहन के लिये रेलवे ने प्रतिदिन २१०० माल-डिब्बों की अधिकतम क्षमता रखी है। तथापि, इस ओर कोयला नियंत्रक द्वारा

---

†मूल अंग्रेजी में

किया गया बड़ा आवंटन मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में लगभग १४० माल-डिब्बे कम था। यह पुनरीक्षण हाल ही में की गयी विभिन्न प्राथमिकताओं के लिये पुनरीक्षित आवंटन के कारण आवश्यक था। तथापि, यह देखने के लिये कि प्रत्येक उपभोक्ता को कम से कम १९६१ के स्तर तक संभरण हो जाये, इन पुनरीक्षित आवंटनों के भीतर प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(घ) और (ङ). मुगलसराय से ऊपर की ओर, वर्तमान अधिकतम सीमा तक, आवंटन में वृद्धि करने के प्रश्न की जांच की जा रही है। जहां तक तीसरी योजना का सम्बन्ध है, इस अधिकतम सीमा को वर्ष १९६५-६६ तक २६०० वेगन प्रति दिन तक करने का लक्ष्य है।

सेना के नियमित कमीशनों के लिये पदोन्नतियां

†*६००. **श्री अ० ब० राघवन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'अदर रैंक्स' को रैगुलर कमीशनों में पदोन्नति की क्या सुविधायें प्राप्त हैं ;

(ख) क्या पदोन्नति तथा सीधी भरती के द्वारा रिक्त स्थानों को भरने के सम्बन्ध में कोई अनुपात निश्चित किया गया है ; और

(ग) १९६१-६२ वर्ष में प्रत्येक सेवा में कितने व्यक्तियों की पदोन्नति की गई ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५]**

'आजाद भवन' दिल्ली के सामने मकानों का गिराया जाना

†*६०१. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिजली घर के निकट 'आजाद भवन' के सामने बिना किसी चेतावनी अथवा नोटिस के इस भूमि पर रहने वाले ३६ परिवारों, जिनके पास यह सिद्ध करने के दस्तावेज हैं कि यहां पर १९४० से रह रहे हैं, के मकानों को गिरा दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन को अपने मकानों में से सामान निकालने के लिये भी कोई चेतावनी नहीं दी गई ;

(ग) क्या उनको कोई लिखित नोटिस दिया गया था और यदि हां, तो किस तारीख को ;

(घ) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ङ) क्या मकानों के लिये तथा सब्जी उगाने के लिये, जो कि उनका पेशा है उनको भूमि आवंटित की जायेगी ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) से (ङ). इस प्रश्न का उत्तर अगली तिथि को निर्माण, आवास और संभरण मंत्री द्वारा दिया जायेगा।

उच्च शिक्षा की ग्राम्य संस्थायें

†*६०२. **श्री रा० ना० तिवारी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम्य उच्च शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् की सिफारिश के अनुसार (उच्च शिक्षा की ग्राम्य संस्थाओं में) विस्तार तथा अनुसंधान विभाग स्थापित किए गए हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उच्च शिक्षा की ग्राम्य संस्थाओं को चलाने के सम्बन्ध में क्या अनुभव प्राप्त किए गए हैं ? और

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

ग्राम्य उच्च शिक्षा सम्बन्धी समिति की सिफारिशों पर वर्ष १९५६ में ९ ग्राम्य संस्थायें स्थापित की गयीं। वर्ष १९५७ में और १९५९ में दो और स्थापित की गयीं और वर्ष १९६१ में दो संस्थायें और स्थापित की गयीं। इस प्रकार कुल संख्या १३ हो गयी। दस ग्राम्य संस्थाओं में विस्तार और अनुसंधान विभाग हैं ।

इन ६ वर्षों के अनुभव पर ग्राम्य संस्थायें चारों ओर के गांव में विस्तार कार्यक्रम की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करना सीख गयी हैं और अपनी जानकारी ग्राम्य संस्थाओं के समाधान में लगाती हैं। विस्तार और अनुसंधान विभागों से वह स्थानीय स्थिति का पता लगाने और ग्राम्य समाज के पुनर्निर्माण में सामाजिक गतिविधि लाने में सफल हुयी हैं ।

सरकारी कर्मचारियों की काम की दशा सम्बन्धी अन्तर्विभागीय समिति

†*६०३. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २० मार्च, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ११० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकारी कर्मचारियों की काम की दशा सम्बन्धी **अन्तर्विभागीय** समिति की सिफारिशों को लागू कर दिया गया है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दातार)** : समिति की सिफारिशों पर अभी सम्बद्ध मंत्रालयों के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

†*६०४. **श्री बासप्पा** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबन्ध में मजदूरों द्वारा भाग लिये जाने के मामले में कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या विभिन्न इस्पात कारखानों में औद्योगिक सम्बन्धों में और अधिक सुधार होने की जरूरत है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबन्ध में मजदूरों द्वारा भाग लिये जाने के प्रश्न पर, संघों की मान्यता दिये जाने और उनके पूर्ण रूप से स्थापित होने के बाद ही, विचार किया जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). औद्योगिक सम्बन्ध में सुधार पर हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड हमेशा ध्यान देता है? प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लिये जाने की ओर प्रथम कार्यवाही के रूप में विभागीयस्तर, जनरल सुपरिन्टेण्डेन्ट के स्तर और प्रबन्ध के स्तर पर संयुक्त रूप से परामर्श के लिये एक त्रि-शाखा परिषद् बनाने की योजना विचाराधीन है।

'हिन्दुस्तान मशीन टूल्स' में निर्मित खरादें

†*६०५. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री म० क० कुमारन् :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी को उनकी फैक्टरी में निर्मित खरादों के लिये विदेशों से आर्डर मिले हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये देश कौन-कौन से हैं; और

(ग) बिक्री करारों की शर्तें क्या हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) से (ग). हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलोर ने लगभग १० लाख स्विस फैंक्स मूल्य के खरादों का स्विटज़रलैण्ड को निर्यात किया है। विक्रय करार की शर्तें बताना हमारे निर्यात के हित में नहीं है।

पाथरडीह (बिहार) में कोयला धोने का कारखाना

†*६०६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के पाथरडीह में प्रस्तावित कोयला धोने के नये कारखाने की विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अमरीका सरकार ने २ करोड़ रुपये का ऋण दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना के निर्माण के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) पाथरडीह में कोयला धोने के कारखाने की विदेशी मुद्रा की लागत को पूरा करने के लिये अमरीका सरकार ने ऋण देने की घोषणा की है।

(ख) ठेकेदार, अमरीका के मेसर्ज़ राबर्ट्स एण्ड शेयर कम्पनी ने कार्य आरम्भ कर दिया है।

विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन

†*६०७. **श्री सिद्दय्या :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य-क्षेत्र को १९६२-६३ में प्राथमिक

---

†मूल अंग्रेजी में

कक्षाओं के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन देने की व्यवस्था करने के लिये कितनी रकम का आवंटन किया है ;

(ख) यह आवंटन किस आधार पर किया गया है ; और

(ग) क्या सभी राज्य सरकारों ने इस योजना को १९६२-६३ में लागू करना स्वीकार कर लिया है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) मध्याह्न भोजन की योजना के लिये केन्द्रीय सहायता के बारे में बताना संभव नहीं है क्योंकि केन्द्रीय सहायता, योजना वार न देकर, समूची योजना के लिये ही दी जाती है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी, नहीं ।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना

†*६०८. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के अन्त तक राष्ट्रीय अनुशासन योजना में कितने विद्यार्थियों को लिया जा चुका है ;

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अनुशासन योजना धीरे-धीरे पर्याप्त लोकप्रिय होती जा रही है ;

(ग) क्या सरकार इस योजना को भविष्य में और भी विस्तृत रूप देने के लिये विचार कर रही है ;

(घ) क्या सरकार को इस योजना के अन्तर्गत आने वाले शिक्षणालयों की ओर से कुछ शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनके निराकरण की क्या व्यवस्था की गई है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) नौ लाख से अधिक ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) केवल एक शिकायत आई थी, जो निराधार पाई गई ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

मल का ढोना

†*६०९. **श्री अ० ब० राघवन् :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी क्षेत्रों में मल को सिर पर ढोने की व्यवस्था बन्द कर देने का विचार

---

†मूल अंग्रेजी में

है ;

(ख) क्या मेहतरों के काम की दशा सम्बन्धी समिति ने इस क्रिया के यंत्रीकरण के लिये ठोस सुझाव दिए हैं ; और

(ग) किन छावनी क्षेत्रों में यह योजना लागू कर दी गई है ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) यह योजना सभी छावनियों मे लागू की जा रही है और यथा संभव शीघ्र पूरी की जायेगी

दिल्ली में मृत महिला के पास पाया गया धन

†९२४. **श्री इ० मधुसूदन राव :**
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के उपनगर में रहने वाली एक बूढ़ी औरत को कमरे में १०,००० रुपये बांधे हुए मरा पाया गया ;

(ख) उसकी मौत किन कारणों से हुई; और

(ग) क्या वह रुपया सरकार के पास जमा कर दिया जायेगा ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दातार)**: (क) एक बूढ़ी विधवा श्रीमती पार्वती १३ अप्रैल, १९६२ को पहाड़गंज में अपने मकान में मरी हुई पायी गई। उसकी मौत के बारे में जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने उसके शरीर पर से १०,००० रुपये की रकम बरामद की।

(ख) शव परीक्षा के अनुसार यह पता लगा कि उसकी हृदयगति बंद हो जाने के कारण उसकी स्वाभाविक मृत्यु हुई।

(ग) रुपया १३ अप्रैल, १९६२ को ही सरकारी खजाने में जमा कर दिया गया था।

भारतीय ग्रन्थों का अनुवाद

९२५. **श्रीमती मिनीमाता** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्को ने जिन भारतीय ग्रंथों के अनुवाद का कार्य हाथ में लिया था, वे प्रकाशित हो चुके हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उनके कब तक प्रकाशित होने की संभावना है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). यूनेस्को के अपने आदर्श रचनाओं के संग्रह के अन्तर्गत, अंग्रेजी/फ्रेंच में अनुवाद और प्रकाशन के लिये जिन ५० भारतीय उत्कृष्ट रचनाओं की सिफारिश की गई थी, उनमें से ११ रचनाओं का अनुवाद और प्रकाशन हो चुका है तथा कुछ अन्य रचनाएं अनुवाद और प्रकाशन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

"इंडियन लिटरेचर" का प्रकाशन

९२६. **श्रीमती मिनीमाता** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहित्य अकादमी का अर्धवार्षिक पत्र 'इंडियन लिटरेचर" नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसे समय पर प्रकाशित करने के लिये अकादमी क्या कार्यवाही कर रही है ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृति-कार्य मन्त्री (श्री हुमायुन् कबीर) : (क) जी हां, सिवाय टगोर विशेषांक के, जिसमें १९६१ का पहला और दूसरा अंक शामिल था और जो मार्च, १९६२ में निकाला गया।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

भारतीय छात्रों को विदेशी छात्रवृत्तियां

९२७. **श्रीमती मिनीमाता** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के आरम्भ से लेकर अब तक कितने छात्रों को तकनीकी शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति दे कर विदेश भेजा गया है;

(ख) उनमें से कितने छात्र अनुसूचित जातियों के हैं; और

(ग) कितने छात्र मध्य प्रदेश के है ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबीर) : (क) तीन।

(ख) एक।

(ग) कोई नहीं।

मध्य प्रदेश का भूगर्भीय सर्वेक्षण

९२८. **श्री कूड़े भावे** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, दतिया और छतरपुर जिलों का कोई विस्तृत भूगर्भीय सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या रिपोर्ट है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का कब सर्वेक्षण करने का विचार है ?

खान और इंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा टीकमगढ़, दतिया और छतरपुर जिलों का १" = १ मील के पैमाने पर भूगर्भीय मानचित्रण किया गया है। पाये गये खनिजों का

रिकार्ड निम्नप्रकार है :—

टीकमगढ़ :

बेराइट[1], कच्चा लोहा,

दतिया :

सीसाभाश्म[2], चिकनी मिट्टी, कच्चा लोहा,
गेरूआ मिट्टी[3], निर्माण-सामग्री ।

छतरपुर :

कच्चा लोहा, चूना, पत्थर, चीनी-मिट्टी, पाइराईटस, स्लेट-पत्थर, सेलखड़ी और संवर्णिज[4]

खोजे गये खनिजों की किस्म और संचय राज्य समुपयोजन के योग्य नहीं हैं और वे प्राईवेट पार्टियों के मंजूर करने के लिए उपलब्ध हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

†९२९. **श्री सरजू पांडे** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समर्थित कार्यक्रमों के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार ने १९५९-६० और १९६०-६१ में कोई रकम बिना खर्च किये सौंप दी थी; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष में वह रकम कितनी थी?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश में कोई अनुसूचित आदिम जातियां नहीं हैं । अनुसूचित जातियों के बारे में जानकारी इस प्रकार है :

विकास मद	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा १९५९-६०	सौंपी गयी रकम १९६०-६१
		(लाख रुपयों में)
राज्य की आयोजना के अंतर्गत योजनाएं	०.३२४	०.०२६
केन्द्रीय सरकार द्वारा समर्थित कार्यक्रम	८.६५	४.१५
जोड़	८.९७४	४.१७६

[1]Barytes

[2]Galena

[3]Ochres

[4]Molybdenite

†मूल अंग्रेजी में

स्कूलों में अंग्रजी की पढ़ाई

†९३०. **श्री सोलंकी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के स्कूलों में किस कक्षा से अंग्रेजी पढ़ायी जा रही है ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि गुजरात राज्य में आठवें दर्जे से अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है ;

(ग) इस कारण जो असंतोष है क्या उसके बारे में सरकार को जानकारी है; और

(घ) यदि हाँ तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है या की जाने वाली है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) विभिन्न राज्यों में इस विषय में स्थिति बताने वाला विवरण संलग्न है। **[देखिय परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६]**

(ख) जी हाँ।

(ग) और (घ). इसका संबंध मुख्यत: राज्य सरकार से है।

महात्मा गांधी ग्रामीण विद्योदय कालेज

†९३१. **श्री सिद्धय्या :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य के तालुक नरसीपुर में महात्मा गांधी ग्रामीण विद्योदय कालेज को इमारत बनाने और साज सामान खरीदने के लिए कितना अनुदान मंजूर किया गया था; और

(ख) क्या यह सच है कि उस संस्था ने पूरी रकम इस्तेमाल की है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) कुछ नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नवसाक्षरों के लिये साहित्य

†९३२. **श्री सिद्धय्या :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवसाक्षरों के लिए साहित्यनिर्माण की कौन-कौन सी योजनाएं तैयार की गयी हैं;

(ख) क्या वह योजनाएं सभी राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की गयी हैं; और

(ग) १९६०-६१ और १९६१-६२ में उपर्युक्त प्रयोजन के लिए मैसूर राज्य सरकार को कितनी रकम मंजूर की गयी थी?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :**

(क) १. नवसांक्षरों के लिए पुस्तकों तथा पांडुलिपियों के लिए पुरस्कार प्रतियोगिता की योजना

२. नये पाठकों के लिए यूनेस्को पुरस्कार प्रतियोगिता योजना

३. बुनियादी और सांस्कृतिक साहित्य का निर्माण

---

†मूल अंग्रेजी में

४. महत्वपूर्ण पुस्तकों के निर्माण की योजनाएं

५. ५०:५० आधार पर हिन्दी में सामाजिक शिक्षा साहित्य के निर्माण की योजना

६. नवशिक्षितों के लिए साहित्य रचनालयों (साहित्य शिबिरों) के संगठन की योजना।

(ख) ये सभी केन्द्रीय सरकार की योजनाएं हैं और वे, जहां कहीं आवश्यकता हो वहां, राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों के सहयोग से भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं;

(ग) कोई नहीं।

पंजाब में अनुसूचित जातियों के लिये मकान

†९३३. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के अनुसूचित जातियों के लिए १९६१–६२ में कितने मकान बनाये गये;

(ख) वे मकान किन किन जगहों पर बनाये गये; और

(ग) अभी तक कितने परिवारों ने उन मकानों का कब्जा ले लिया है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). यह जानकारी राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है। यह जानकारी प्राप्त होने ही एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

विस्थापित राजनैतिक पीड़ित व्यक्ति

†९३४. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विस्थापित राजनैतिक पीड़ितों को सुविधाएं देने की कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हाँ तो वह किस प्रकार की सुविधाएं होंगी;

(ग) क्या सरकार को विस्थापित राजनैतिक पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उनके किसी संगठन की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). खासकर विस्थापित राजनैतिक पीड़ितों को सुविधाएं देने की कोई विशेष योजना नहीं लागू की गयी है सामान्यतः राजनैतिक पीड़ितों की सहायता और उनके पुनर्वास का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर होता है जिन्होंने अपनी अपनी योजनाएं बनायी हैं और उन्हें इकट्ठी रकम के नकद अनुदान, भूमि अनुदान, आजीवन पेन्शन, जुर्माने की वापसी जब्त सम्पत्ति की वापसी, पुनर्वास अनुदान आदि के रूप में रियायतें दी हैं। राज्य सरकारों ने जिन व्यक्तिगत मामलों की सिफारिश की हो, उनमें राजनैतिक पीड़ितों को गृहमंत्री के विवेकपूर्ण अनुदान में से छोटी इकट्ठी रकम के नकद अनुदानों के रूप में मदद भी दी जाती है। राजनैतिक पीड़ितों के बच्चे शिक्षा संबंधी रियायतें पाने के हकदार भी होते हैं जिसके लिए राज्य सरकारों को ५० प्रतिशत तक केन्द्रीय सरकार से सहायता दी जाती है।

(ग) और (घ). पश्चिम बंगाल के विस्थापित राजनैतिक पीड़ितों से एक अपील प्राप्त हुई थी जो राज्य सरकार को विचार करने के लिए भेज दी गयी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक अनुसन्धान

†९३५. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालयों को यह सलाह दी है कि वे प्रत्येक वर्ष में अपनी अपनी प्रयोगशालाओं में जो वैज्ञानिक अनुसन्धान कार्य करते हैं उसका समय समय पर लेखा जोखा प्रस्तुत किया करे ;

(ख) क्या व्यावहारिक विज्ञान में कोई अनुसन्धान कार्य शुरू करने से पहले सरकार को कोई सूचना दी जाती है ; और

(ग) क्या एक ही क्षेत्र में अनुसन्धान रोकने के लिए अनुसंधान कार्य का सम्पूर्ण चित्र प्राप्त करने का कोई उपाय है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं। यह आवश्यक नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार किसी भी विषय पर अनुसन्धान कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ग) विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्राप्त वार्षिक रिपोर्टें दूसरे विश्वविद्यालयों को भेज दी जाती है ताकि अन्यत्र जो अनुसन्धान कार्य चल रहा हैं उसके बारे में उन्हें जानकारी मिलती रहे। एक जैसे क्षेत्रों में अनुसन्धान कार्य करने के लिए विश्वविद्यालयों पर कोई पाबन्दी लगाने का इरादा नहीं हैं क्यों कि वैज्ञानिक अनुसन्धान के क्षेत्र में कुछ हद तक दोहरे काम को रोका नहीं जा सकता और वह अपेक्षित भी है । कार्यकर्ताओं के भिन्न-भिन्न समुदायों की भिन्न भिन्न पार्श्व भूमि और दृष्टिकोण के कारण एक ही समस्या के सबंध में उनके दृष्टिकोण भी अलग अलग होंगे । इसके अलावा अनुसंधान के मामलों में कुछ प्रतियोगितात्मक बिचार और कार्य का स्वागत किया जाना चाहिये

सरकारी कर्मचारियों को उचित मूल्य पर वस्तुओं की सप्लाई

९३६. **श्री शिव चरण गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी ... यों की विभिन्न बस्तियों में दनिक जीवन की वस्तुएं ठीक दाम पर दी जायें इसके लिए स... व्यवस्था की है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)**: सरकार अभी इस मामले में विचार कर रही है।

गजेटियर

९३७. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले ६ मास में कितने गजेटियर प्रकाशित हुए हैं और उनमें से कितने गजेटियरों संस्करण भी काशित हुए हैं ।

(ख) क्या यह भी सच है कि हिन्दी-भाषी प्रदेशों के गजेटियरों को हिन्दी में भी छापने का नश्चय किया गया है ; औ

---

† ूल अंग्रेज़ी में

(ग) यदि नहीं, तो कब से इस प्रकार की व्यवस्था की जाने वाली है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० म० मो० दास)** : (क) पिछले छः महीनों में दो डिस्ट्रिक्ट गजेटियर प्रकाशित किये गये। हिन्दी का कोई संस्करण प्रकाशित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग). यह सूचना मिली है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने डिस्ट्रिक्ट गजेटियरों के हिन्दी संस्करण निकालने का निश्चय किया है। किसी दूसरी राज्य सरकार से ऐसे निर्णय की सूचना नहीं मिली है।

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता

६३८. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता में कुल मिला कर हिन्दी के प्रकाशनों की संख्या कितनी हैं;

(ख) पुस्तकालय में गत ६ मास में कितने नये हिन्दी के प्रकाशन और आये हैं ;

(ग) क्या सरकार ने यह जानने का प्रयत्न किया कि हिन्दी के प्रकाशनों की संख्या कुछ बढ़ रही है ; और

(घ) यदि हां, तो किस अनुपात से ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता में मार्च १६६२ तक हिन्दी की किताबों की संख्या करीब २२००० थी। इनमें से २,४६५ किताबें पिछले छः महीनों में यानी अक्टूबर, १६६१ से मार्च, १६६२ तक आयीं। इसके अलावा लाइब्रेरी में इस समय ८६३ सामयिक पत्र-पत्रिकाऐं भी आ रही हैं।

(ग) डिलीबरी आफ़ बुक्स (पब्लिक लाइब्रेरीज़) एक्ट, १६५४ के अधीन पुस्तकालय को देश में छपने वाले हिन्दी के सभी प्रकाशनों की एक एक प्रति प्राप्त करने का हक है।

(घ) सवाल पैदा नहीं होता।

नये पैसे के सिक्के

†६३६. **श्री विभूति मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने तांबे के अलावा और किसी धातु में नये पैसे के सिक्के ढालने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा निश्चय करने के क्या कारण हैं ;

(ग) ये नये सिक्के अब किस धातु के बनाये जायगे ; और

(घ) किसी दूसरी धातु से ये सिक्के बनाने से सिक्के बनाने की लागत पर क्या असर होगा ?

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां। नये सिक्के पहले ही २२ मार्च, १६६२ से चलने में आ चुके हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यह निश्चय इस उद्देश्य से किया गया है कि सिक्के बनाने के लिये तांबे के आयात पर विदेशी मुद्रा के खर्च में किफायत की जा सके।

(ग) आना पाई के जो सिक्के चलन से वापस ले लिये गये हैं उनसे प्राप्त निकेल-पीतल मिश्र धातु से ये सिक्के अब बनाये जायेंगे।

(घ) १००० नये पैसे के सिक्कों की धातु का मूल्य ४.०६ रुपये से घट घटकर २.४९ रुपय हो जायगा।

उत्तर प्रदेश के अध्यापकों को महंगाई भत्ता

†९४०. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश में हायर सेकेन्डरी और प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को दिया जाने वाला महंगाई भता बढ़ाने के लिये कोई वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने यह मान लिया है ; और

(ग) १९६१-६२ में कितनी रकम मंजूर की गयी और १९६२-६३ के लिये कितनी रकम नियत की गयी है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) राज्य सरकार ने अभी हाल ही में भारत सरकार को सेकेन्डरी स्कूलों के अध्यापकों को दिये जाने वाले मंहगाई भत्ते से संबंधित वह योजना बनायी है जिस पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

(ख) जितनी सहायता दी जा सकती है वह भारत सरकार ने राज्य सरकार को बता दी हैं।

(ग) इस दिशा में यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ?

विभिन्न करों की बकाया रकमें

†९४१. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में १ जनवरी, १९६१ को आयकर, सम्पत्ति कर और दान कर की बकाया रकमें इस बीच वसूल की जा चुकी हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो अब भी कितनी रकम बकाया पड़ी है ; और

(ग) १९६१ में कितनी रकम वसूल की गयी ?

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) बकाया रकमें वसूल की जा रही हैं।

(ख) १ मार्च, १९६२ को १९३.८ लाख रुपया बकाया था।

(ग) वर्ष १९६१ के दौरान बकाया रकम २३.२३ लाख रुपया कम हो गया है।

विदेशी मुद्रा की स्थिति

†९४२. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा की स्थिति काफी अच्छी हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में आगे और क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं। इसके विपरीत, जैसाकि २३ अप्रैल १९६२ के मेरे बजट भाषण के पैरा ५ में बताया गया है, विदेशी मुद्रा संबंधी स्थिति काफी कठिन है।

(ख) जो कार्यवाही की गयी है वह इस प्रकार है :—

(१) निर्यात से देश की आमदनी बढ़ाना—

(कुछ वित्तीय उपाय जिनसे निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा और घरेलू खपत के लिये उत्साह कम होगा, सभा के समक्ष वित्त विधेयक में प्रस्तुत किये गये हैं। कई दूसरे उपाय, जैसे कच्चा माल नियत करना परिवहन आदि, निर्यात बढ़ाने तथा उन्हें अधिक प्रतियोगितात्मक बनाने के लिये कार्यान्वित किये जा रहे हैं।)

(२) आयात कम से कम सीमा तक लाना,

(३) मित्र राष्ट्रों और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अतिरिक्त विदेशी सहायता प्राप्त करना ; और

(४) यात्रा आदि पर अधिक कड़ा नियंत्रण लगा कर "अदृश्य" मदों पर खर्च कम करना।

औद्योगिक कर्मचारियों को छुट्टी

†९४३. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक कर्मचारियों को छुट्टी मंजूर करने के संबंध में वेतन आयोग की सिफारिशों को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो देर के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरमैया)**: (क) और (ख). औद्योगिक कर्मचारियों को अर्जित अवकाश के अतिरिक्त दूसरी छुट्टी के अधिकार के संबंध में वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर कर ली गयी हैं और आदेश जारी किये जा चुके हैं। अर्जित अवकाश के संबंध में, निर्णय अभी कुछ समय के लिये स्थगित रखा गया है।

लोक सहायक सेना और राष्ट्रीय सेना छात्र दल

†९४४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय सेना छात्र दल और लोक सहायक सेना की मंत्रणा समिति की कोई बैठक पिछले दो साल में कभी हुई थी ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरमैया)** : (क) जी नहीं।

(ख) दो अलग अलग राज्य मंत्रणा समितियां हैं, एक राष्ट्रीय सेनाछात्र दल के लिये और दूसरी प्रादेशिक सेना तथा लोक सहायक सेना के लिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय सेनाछात्र दल संबंधी समिति की बैठक मुख्यत: इस कारण नहीं हुई कि ऐसा कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं था जिस पर समिति में चर्चा करना आवश्यक था ।

प्रादेशिक सेना तथा लोक सहायक सेना संबंधी समिति की बैठक इसलिये नहीं हुई कि संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये सुविधाजनक तारीख निश्चित नहीं की जा सकी ।

संग्रहालय शास्त्र सम्बन्धी गोष्ठी

†९४५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनर्निर्मित केन्द्रीय संग्रहालय मंत्रणा बोर्ड ने यह सुझाव दिया है कि संग्रहालय शास्त्र संबंधी गोष्ठी प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में सरकार की क्या राय है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां ।

(ख) अभी इस विषय पर विचार हो रहा है ।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिये सस्ते मकान

†९४६. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए सस्ते मकान बनाने के लिये केन्द्र ने उत्तर प्रदेश को कुछ वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) १ जनवरी १९६२ तक कितने मकान बने थे ;

(ग) १ जनवरी, १९६२ तक कितना धन दिया गया ; और

(घ) ऐसे मकानों का क्या किराया है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से मांगी गई है । जानकारी उपलब्ध होने पर एक विवरण पटल पर रख दिया जायेगा ।

हिन्दी टाइप और शार्टहैण्ड का प्रशिक्षण

९४७. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश प्रशासन के कर्मचारियों के लिये हिन्दी टाइप और हिन्दी शौर्टहैण्ड प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था है ; और

(ख) यदि अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है तो वह कब तक की जाएगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार) : (क) और (ख). प्रशिक्षार्थियों की संख्या कम होने के कारण शिमला में अभी तक हिन्दी टाइप और शौर्टहैण्ड प्रशिक्षण केन्द्र नहीं खोला जा

†अंग्रेजी में

सका है। पर हिन्दी जानने वाले तथा हिन्दी में प्रशिक्षित टाइपिस्टों और स्टेनोग्राफरों को यथा संभव हिन्दी टाइपराइटर का प्रयोग करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है ।

सिन्द खेड़ा गांव (विदर्भ) में पुरातत्वीय खोज

†९४८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या विदर्भ के जिला बुलधर में सिन्द खेड़ा गांव में जो छत्रपति शिवाजी की माता का जन्म स्थान है पांच भूमिगत कमरे मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो खोज का क्या ऐतिहासिक महत्व है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**:

(क) हां, श्रीमान ।

(ख) भूमिगत कमरों का कोई विशेष ऐतिहासिक महत्व नहीं है ।

बाल धूम्रपान के विरोध में आन्दोलन

†९४९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि ब्रिटेन में बाल धूम्रपान के विरोध में आन्दो पैमाने पर आरम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भारत में बाल धूम्रपान को रोकने के कुछ उपायों पर विचार कर रही है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)**: (क) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) राज्य सरकारें इस पर विचार करेंगी ।

दिल्ली में मद्य निषेध

†९५०. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री नवल प्रभाकर :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के नागरिकों का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि दिल्ली में पूर्ण मद्य निषेध लागू किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** :(क) हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र में तांबे की खानें

†१५५१. **श्री वेंकटा सुब्बय्या :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के गनी क्षेत्र में तांबे की खानों की खोज का काम पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम रहा ?

†**खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) अब तक रचना संबंधी विस्तृत मान चित्र बनाने और १४०मीटर तक किये गये परीक्षात्मक छिद्रों का उत्साहवर्धक परिणाम नहीं रहा है। उसी क्षेत्र में और अधिक गहराई पर निक्षेपों का पता लगाने के लिए गहरे परीक्षात्मक छेद करने की बात अभी छोड़ी नहीं गई है । यह कार्य आरम्भ करने के प्रश्न पर, देश में अन्य आशाजनक क्षेत्रों में खोज-कार्य समाप्त होने पर विचार किया जायेगा ?

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड

†१५५२. **श्री बासप्पा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत इलैक्ट्रोनिस लि०, बंगलौर में आयातीत पुर्जों को मिलाने के बदले उनके निर्माण पर अधिक ज़ोर दिया जाता है ; और

(ख) क्या इस उपक्रम के अनुसन्धान तथा विकास विभाग की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामय्या):** (क) और (ख) हां, श्रीमान ।

सिन्दरी उर्वरक कारखाना

†१५५३. **श्री बासप्पा :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब भी सिन्दरी उर्वरक कारखाने के उत्पादन में हानि होती है ; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) :** (क) पुराने संयंत्र (जो १९५१ में पूरे हो गये थे) पूरी क्षमता पर चल रहे हैं। विस्तार संयंत्र (जो वर्ष १९५८ में लगे) निम्नलिखित कठिनाइयों के कारण केवल एक धार पर (दो में से एक) चल रहे हैं :—

(१) दिशेरगढ़ के कोयला की अधिक मात्रा पहुंचाने की कठिनाई ;

(२) कोक हैन्डलिंग की दोषपूर्ण व्यवस्था ;

(३) लीन गैस प्लांट की अपर्याप्त क्षमता ; और

(४) अमोनिया सिन्थेसिस के नये कन्वर्टर में दोष ।

(ख) उत्पादन बढ़ाने के लिये निम्न कार्यवाही की गई है :—

(१) रेलवे बोर्ड से प्रार्थना की गई है कि पूर्व रेलवे पर छोड़े गये वैगनों के स्थान पर दक्षिण-पूर्व रेलवे पर वैगन दिये जायें ताकि दिशेरगढ़ का कोयले का पर्याप्त मात्रा में पहुंचना सुनिश्चित हो जाये ;

---

†मूल अंग्रेजी मे

(२) कोक हैंडलिंग की पुनः व्यवस्था करने का ठेका दे दिया गया है ;

(३) अधिक 'लीन गैस प्रोड्यूसरों' के लिए क्रयादेश दिये जा रहे हैं ; और

(४) दोषयुक्त सिन्थेसिस कन्वर्टर की मरम्मत हो गई है और चलाया जा रहा है ।

अफीम का पकड़ा जाना

९५४. **श्री बाल्मीकी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९६१–६२ में कितनी अवैध अफीम पकड़ी गई ; और

(ख) सब से अधिक मात्रा में अफीम किस राज्य में पकड़ी गई ?

वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) ६५३५ किलोग्राम ।

(ख) मध्य प्रदेश ।

तिब्बती शरणार्थियों की नाट्य मण्डली

९५५. **श्री बाल्मीकी** : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिब्बत से आये हुए शरणार्थियों की नाट्य मंडली कितने दिनों से देश का भ्रमण कर रही है ; और

(ख) क्या सरकार उन्हें कोई सहायता दे रही है ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) १९६१–६२ के दौरान दो नाट्य मंडलियों ने देश का दौरा किया :

अम्डो-तिब्बतन कल्चरल ड्रामा ट्रुप, मसूरी ने करीब छः महीने तक और तिब्बतन रिफ्यूजीज़ कल्चरल एंड ड्रामेटिक इंस्टीट्यूट, धर्मशाला ने करीब चार महीने तक ।

(ख) पहली नाट्य मंडली को ९००० रुपयों और दूसरी को ५००० रुपयों का अनुदान दिया गया ।

हिन्दी में नोट और ड्राफ्ट लिखना

९५६. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कुछ कार्यालयों में हिन्दी में नोटिंग और ड्राफ्टिंग का कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ख) क्या इस कार्य के लिये प्रशिक्षित कर्मचारियों को हिन्दी में नोटिंग की अनुमति दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). मार्च, १९६१ में यह अनुदेश जारी किया गया था कि चुने हुए अनुभागों में जिनमे कि अधिकांश लोग हिन्दी जानते हैं, अंग्रेजी के अलावा, प्रयोगात्मक रूप से, हिन्दी में भी

†मूल अंग्रेजी में

टिप्पण करने की छूट दे दी जाय। इस दिशा में की गई प्रगति की पूरी सूचना सब मंत्रालयों से अभी उपलब्ध नहीं हुई है ।

राष्ट्र भाषा के रूप में संस्कृत

†९५७. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संस्कृत को राष्ट्र भाषा बनाने के बारे में डा० कैलाशनाथ काटजू के उन तर्कों की ओर आकर्षित किया गया है जो उन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालय में अपने दीक्षान्त भाषण में दिये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले पर कोई विचार किया है ; और

(ग) उसका क्या परिणाम रहा ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)**: (क) से (ग). सरकार ने अखबारों में छपी खबरें पढ़ी हैं। संस्कृत का अध्ययन बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने विभिन्न कार्यवाही की हैं। आजकल और कोई कार्यवाही करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता ।

तांबा परियोजना, खेतरी

†९५८. **श्री मुरारका** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तांबा परियोजना, खेत्री में कितने व्यक्ति काम करते हैं ;

(ख) क्या स्थानीय व्यक्तियों को कोई प्राथमिकता दी जाती है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई नीति बनाई गई है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) खेत्री तांबा परियोजना में अभी तक ४४ व्यक्ति नियुक्त हुए हैं जिनमें दस अकुशल श्रमिक हैं।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि० खेत्री तांबा परियोजना लागू कर रहा है। निगम एक स्वायत्तशासी निकाय है। निगम अकुशल श्रमिकों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को स्थानीय आधार पर नियुक्त करता है और इस में काम दिलाऊ दफ्तर की सहायता लेता है। उच्च पदों के लिये नियुक्ति प्रायः अखिल भारतीय आधार संबरण से होती है जिसके लिये विज्ञापन दे कर प्रार्थनापत्र मांग जाते हैं और या अन्य सेवाओं के अनुभवी अधिकारियों की पुनः नियुक्ति कर के होती है ।

केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय में पंजाबी भाषा में पुस्तकें

†९५९. **श्री अ० सिं० सहगल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० और १९६१ में केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय के क्षेत्रीय भाषा विभाग में पंजाबी में प्रकाशित कितनी पुस्तकें बढ़ाई गईं ; और

(ख) प्रश्न के उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित पुस्तकों में से कितनी पुस्तकें वर्ष १९६० और १९६१ में प्रकाशित हुईं ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) वर्ष १९६० में ८०४ पुस्तकें और वर्ष १९६१ में १६ पुस्तकें ।

(ख) वर्ष १९६० में ९१ पुस्तकें और वर्ष १९६१ में २ पुस्तकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नागा लैण्ड में सैनिक कर्मचारी

†१६६०. **श्री दाजी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नागा लैंड में काम करने वाले सनिक कर्मचारियों में से वर्ष १९६१-६२ में कितने कर्मचारी (१) मारे गये, (२) कितने घायल हुए, और (३) कितने गायब हुए ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया)** : यह जानकारी देना लोकहित में नहीं है ।

सेना न्यायालय (कोर्ट मार्शल) के मामले

†१६६१. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१ और वर्ष १९६२ में अब तक भारत के संविधान के अनुच्छेद ७२ के उप-खण्ड (क) के अन्तर्गत कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए, कितनों पर विचार हुआ और कितनों को अन्तिम रूप से निपटाया गया ;

(ख) उसी अवधि में विभिन्न अपराधों के लिए दण्डित व्यक्तियों के कितने मामलों में दण्ड की क्षमा, प्रविलम्बन, विराम या परिहार स्वीकार किया गया अथवा दण्ड स्थगित किया गया, छूट दी गई या कम किया गया ; और

(ग) अब भी कितने मामले विचाराधीन हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) संविधान के अनुच्छेद ७२ के खण्ड (१) के उपखण्ड (क) के अन्तर्गत प्रश्नास्पद अवधि में कोई प्रार्थनापत्र प्राप्त नहीं हुआ और न ही निपटाया गया ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

५०५ आरमी बेस वर्कशाप

†१६६२. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में ५०५ आरमी बेस वर्कशाप के कुछ आकस्मिक कर्मचारियों को फरवरी, १९६२ में छंटनी किया गया ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें कोई वैकल्पिक काम दिया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) हां, श्रीमान् । विशेष कार्य के लिये थोड़े समय के लिये अर्थात् एक मास से कम के लिये रखे गये १५ मजदूरों को काम पूरा होने पर १ फरवरी, १९६२ को काम से हटा दिया गया ।

(ख) अतिरिक्त कर्मचारियों तथा अभाव के समायोजन की योजना के अन्तर्गत वे वैकल्पिक रोजगार के पात्र न थ । फिर भी, उन में से दो व्यक्ति जो काम दिलाऊ दफ्तर द्वारा भेजे गये थे, ५०५ आरमी बेस वर्कशाप, दिल्ली छावनी में उन की आवश्यकतानुसार काम पर रख लिये गये हैं ।

विदेशों में भारतीय प्रविधिक व्यक्ति

†१६६३. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृति-कार्य** मंत्री यह बताने

†मूल अंग्रेजी में

की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास निम्न बातों के बारे में आंकड़े हैं और उन्हें बतायेगी :—

(१) आजकल कितने भारतीय विदेशों में दोनों प्रकार की टैक्निकल शिक्षा, अर्थात् सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक, पा रहे हैं ;

(२) कितने व्यक्ति विदेशी प्रशिक्षण समाप्त कर चुके हैं ;

(३) कितने व्यक्तियों ने भारत के बाहर रोजगार स्वीकार कर लिया है ; और

(४) कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो विदेश में रोजगार पाने की दृष्टि से रह रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इन प्रशिक्षित व्यक्तियों को भारत लौट आने के लिये प्रयत्न कर के उनकी सेवाओं का उपयोग करने के लिये कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय रोजगार विभाग जैसी कोई एजेंसी खोलने का है जिस का कार्य इन प्रशिक्षित व्यक्तियों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाये रखना और यह देखना हो कि उन की सेवायें उन के देश या उन अल्प विकसित देशों के विवेक पर छोड़ दी जायें जो भारत से सहानुभूतिपूर्ण सहयोग की आशा रखते हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) (१) से (४) तक सरकार के पास ठीक जानकारी नहीं है। परन्तु लगभग ३००० व्यक्तियों ने, जो आजकल विदेशों में हैं, राष्ट्रीय रजिस्टर के विदेशों में भारतीय भाषा में स्वयं को रजिस्टर कराया है। इस में पंजीयन स्वेच्छा से होता है। इन व्यक्तियों सम्बन्धी जानकारी समय समय पर 'टैक्निकल मेन-पावर बुलेटिन' और 'इंडियन एजूकेशनल डाइरेक्टरी' में प्रकाशित होती है। इनकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ख) और (ग). माननीय सदस्य का ध्यान १ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४१० के भाग (ख) के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है ।

दिल्ली में मद्य निषेध

†**९६४. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उन आंकड़ों की ओर आकर्षित किया गया है जो दिल्ली प्रशासन ने प्रकाशित किये हैं और जिन से दिल्ली में छः वर्ष पूर्व आरम्भ किये गये मद्यनिषेध प्रोग्राम की प्रथम अवस्था के परिणामों का पता लगता है ;

(ख) यदि हां, तो दोनों विदेशी तथा स्वदेशी शराब के उपभोग में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उन के अनुभवों को ध्यान में रख कर क्या सरकार का विचार सारे राज्यों में प्राप्त हुए परिणामों का साधारण पुनरीक्षण करने और वास्तव में सामाजिक हित प्राप्त करने की उचित नीति बनाने का है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) हां ।

(ख) दो विदेशी तथा स्वदेशीय शराब के उपभोग में वृद्धि होने के निम्नलिखित बहुत से कारण हो सकते हैं :—

(१) जनसंख्या में वृद्धि होना ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ्रेंसों, प्रदर्शनियों आदि के लिये प्रतिनिधियों के रूप में या पर्यटकों के रूप में दिल्ली में अधिक विदेशियों का आना।

(३) शराब के अवैध विक्रय को रोकने के लिये दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई अनेक कार्यवाही के फलस्वरूप भी शराब का वैध विक्रय बढ़ा है।

(ग) केन्द्रीय मद्य निषेध समिति इस पर अपनी आगामी बैठक में विचार करेगी।

भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोग

†१६६५. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, १६५७ से मार्च, १६६२ तक भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में अनुसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित जातियों के कितने लोग चुने गये ;

(ख) इस अवधि में कितने व्यक्ति नियुक्त हुए और काम पर रखे गये ;

(ग) क्या अनुसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित जातियों के अधिक व्यक्ति भर्ती करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो कैसे ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख).

सेवा	कुल भर्ती	अनुसूचित जाति	अनसूचित आदिम जाति
भारतीय प्रशासन सेवा	४४६	२६	१५
भारतीय पुलिस सेवा . .	२५७	१६	३

वर्ष १६६१ में हुई परीक्षा के परिणामों पर, इस वर्ष अनुसूचित जातियों के २२ और अनुसूचित आदिम जातियों के ४ व्यक्ति नियुक्त करने हैं।

(ग) और (घ). भारतीय प्रशासन सेवा/भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, १६५४ और भारतीय प्रशासन सेवा/भारतीय पुलिस सेवा (योग्यता परीक्षा द्वारा भर्ती) विनियम, १६५५ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रिक्त पदों में से क्रमानुसार १२½ प्रतिशत और ५ प्रतिशत पद आरक्षित रखने का उपबन्ध है। उपरोक्त नियमों/विनियमों के अधीन, संघ लोक सेवा आयोग को अधिकार है कि वह आरक्षित पदों के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के ऐसे उम्मीदवारों की सिफारिश करे जो चाहे सामान्य स्तर पर सफल न रहे हों, मगर फिर भी आयोग उन्हें प्रशासन की कुशलता को बनाये रखने के योग्य होने की दृष्टि से उपयुक्त समझता हो।

मनीपुर में स्कूल

†१६६६. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १६६०-६१ और १६६१-६२ में मनीपुर क्षेत्रीय परिषद् में कितने निम्न प्राइमरी ज्यूनीयर बेसिक और मिडिल इंग्लिश स्कूलों को जो बदल कर स्थापित किये गये, सहायता अनुदान दिया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन स्कूलों के लिये कितने अध्यापक नियुक्त किये गये ;

(ग) क्या अनेक उदाहरण दिये गये हैं और शिकायतें की गई हैं कि अयोग्य व्यक्तियों को बहुत बड़ी संख्या में झूंट प्रमाणपत्र दिखाने पर नियुक्त किये गये ; और

(घ) यदि हां, कितने व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क)से(घ). अपेक्षित जानकारी प्रशासन द्वारा मनीपुर क्षेत्रीय परिषद् से एकत्रित की जा रही है और यथासमय पटल पर रख दी जायगी ।

आन्ध्र के लिये लोहा और इस्पात

†१९६७. **श्री यलमन्दा रेड्डी** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं के लिये १९५७ से लेकर १९६१ तक प्रति वर्ष कितना लोहा और इस्पात मांगा;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने कितना लोहा व इस्पात देना मंजूर किया; और

(ग) प्रति वर्ष कितनी मात्रा दी गई ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) और (ख). भारत सरकार किसी राज्य की विभिन्न परियोजनाओं के लिये अलग से लोहा और इस्पात नहीं देती । प्रत्येक छमाही के लिय राज्य सरकार तथा केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग को कुल कोटा दे दिया जाता है और व प्राथमिकता अनुसार परियोजनाओं के लिये, जिनमें सिंचाई परियोजनायें शामिल हैं, वितरण करते हैं । १९६०-६१ के बाद यह कोटा सीमित श्रेणियो के सम्बन्ध में अर्थात् बी० पी० शीट (१४ गज से पतली) जी० पी०/जी० सी० शीट और तार के लिय दिया जाता है । अन्य श्रेणियों को प्राप्त करने के लिये अधिकारपत्र आवश्यक नहीं है । उपभोक्ता अपनी आवश्यकता की सूचना स्टाकिस्ट को दे सकते हैं या लोहा और इस्पात नियंत्रक को । सीमित श्रेणियो को छोड़ अन्य श्रेणी में आने वाली वस्तुओं की आवश्यकताएं आम तौर पर पूरी की जाती हैं ।

सिंचाई की बड़ी योजनाओं के लिये केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग तथा छोटी योजनाओं के लिये राज्य सरकार द्वारा इस्पात दिया जाता है। इन दोनों अधिकारियों द्वारा प्राप्त मांगों में सभी परियोजनायें आ जाती हैं इसलिये सिंचाई योजनाओं के सम्बन्ध में अलग जानकारी देना सम्भव नहीं है । आन्ध्र प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं के लिये, जिनमें जल-विद्युत् परियोजनायें शामिल नहीं हैं, मांगी गई और संभरण की गई मात्रा इस प्रकार है :—

	मांग	दी गई मात्रा
१९५७-५८	१९,८७९	१२,०२७ टन
१९५८-५९	१८,५२२	१७,९०५ टन
१९५९-६०	१४,५०८	१३,७५७ टन
१९६०-६१	१६,७७७	१६,५९७ मी० टन
१९६१-६२	(*)९१६	२५१ मी० टन

(*) केवल सीमित श्रेणियां

(ग) किसी विशिष्ट राज्य की सिंचाई परियोजनाओं के लिये वास्तव में सम्भरण किये गये इस्पात के बारे में अलग से जानकारी उपलब्ध नहीं है । आन्ध्र प्रदेश को राज्य और केन्द्रीय सरकार

†मूल अंग्रेजी में

की विकास योजनाओं के लिये १९५७-५८ से १९६१-६२ तक दिये गये इस्पात की मात्रा इस प्रकार है :—

	मीट्रिक टनों में
१९५७-५८	६,५४३
	८,०५१
१९५८-५९	२१,२७५
१९६०-६१	४८,४०१
१९६१-६२	४१,०६७
(अप्रैल, १९६१ से फरवरी, १९६२ तक)	

विकास ऋण निधि के आयात से भी लगभग ४,०४५ टन इस्पात दिया गया है।

आन्ध्र में लौह अयस्क

†१६८. **श्री यलमन्दा रेड्डी** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के गुन्टूर जिले के पलनाडु तालुक में तलापल्ली, गुट्टीकोन्डा तुमरकोलू गांवों में लौह अयस्क की उपलब्धि की सम्भावनाओं की खोज की है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई लाइसेंस दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

†**खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां।

(ख) तुमरकोट्टा के पश्चिम में तथा तलापल्ली के उत्तर में लगभग ८६० लाख टन लौह अयस्क, जिसमें ३५ प्रतिशत लोहा है, होने का अनुमान है। गुट्टीकोन्डा में उपलब्ध लौह अयस्क का खनन आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है।

(ग) और (घ). राज्य सरकार से अपेक्षित जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कंकिनाड़ा स्थित ई० एस० डी० (एम) के कर्मचारियों को ओवर-टाइम वेतन

†१६९. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के २४ परगने में कंकिनाड़ा स्थित ई० एस० डी (एम) प्रतिष्ठान के औद्योगिक कर्मचारियों को जून, १९६० में किये गये कार्य का ओवर-टाइम वेतन नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह बकाया राशि शीघ्रता से देने के लिये क्या कदम उठाने का इरादा है ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री रघुरामैया)**: (क) मिलिटरी इंजीनियरिंग स्टोर डिपो के कर्मचारियों को सप्ताह में ४८ घंटे काम करना पड़ता है। चूंकि कंकिनाड़ा के ई० एस०

†मूल अंग्रेजी में

डी० (एम) के औद्योगिक कर्मचारियों ने जून, १९६० में इस सीमा से अधिक काम नहीं किया इसलिये वे नियमों के अन्तर्गत ओवरटाइम वेतन पाने के हकदार नहीं हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

केरल राज्य को दिये गये कोयले के वैगन

†१७०. **श्री प० कुन्हन्** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य को १९५९ से लेकर १९६२ में अब तक कोयले की कुल कितनी वैगनें दी गयीं; और

(ख) उक्त अवधि में केरल राज्य को कितनी वैगनों की आवश्यकता थी ?

†**खान और इंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) और (ख). १९५९ से १९६२ तक केरल राज्य का वैगनों का कोटा और वास्तव में दी गई वैगनो की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	कोटा (वैगनो की संख्या)	वास्तव में दी गई वैगनों की संख्या
१९५९	१,८०२	१,१२६
१९६०	१,८७८	७२२
१९६१	१,८७८	८८०
१९६२ (मार्च तक) .	४७०	१९४

त्रिपुरा में मतदाता के रूप में दर्ज किये गये नाम

†१७१. **श्री दशरथ देव** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में गत नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी में मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराने के लिये कितने आवेदन किये गये; और

(ख) कितने आवेदन स्वीकार किये गये और कितने अस्वीकार किये गये ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)**: (क) त्रिपुरा में नवम्बर तथा दिसम्बर, १९६१ और जनवरी, १९६२ में मतदाता के रूप में नाम दर्ज करानेके लिये १८,९३९ आवेदन प्राप्त हुए।

(ख) ६,९१९ आवेदन स्वीकार किये गये और १२,०२० आवेदन अस्वीकार किये गये।

(ग) आवेदनों को अस्वीकार करने के मुख्य कारण ये थे :—

(१) आप्रवासियों के पास भारतीय नागरिकता का प्रमाण-पत्र न होना;

(२) कुछ अन्य निवासियों के पास राष्ट्रीयता का सन्तोषजनक प्रमाण न होना;

(३) सुनवाई के दिन उपस्थित न रहना और आवेदन के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत न करना; और

(४) निर्धारित तिथि को २१ वर्ष से कम आयु होना।

†मूल अंग्रेजी में

अगरतला, त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों के खिलाफ दायर मुकदमें

†९७२. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में अगरतला में जिन विस्थापित व्यक्तियों ने भूख हड़ताल की थी क्या उनके खिलाफ मुकदमे दायर किये गये हैं;

(ख) क्या गृह-कार्य मंत्री को, जब वे अगरतला गये थे, ये मुकदमे वापस लेने के लिये कोई अभ्यावेदन किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) मुकदमे वापस नहीं लिये गये ।

त्रिपुरा के लिये राजपत्र (गजट)

†९७३. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के लिये एक राजपत्र के सम्पादन व प्रकाशन के लिये कोई विभाग स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस विभाग ने अपने कार्य में क्या प्रगति की है; और

(ग) वह अपना काम संभवतः कब तक समाप्त कर लेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (स्पष्ट है कि प्रश्न का निर्देश त्रिपुरा के राजपत्र से नहीं वरन् डिस्ट्रिक्ट गजेटियर से है)। (क) जी, हां। डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के संकलन के लिये त्रिपुरा में १९५९ में एक मंत्रणा समिति गठित की गई थी।

(ख) प्रशासन द्वारा निम्नलिखित अध्याय पूरे कर लिये गये हैं तथा भारत सरकार को उसकी सम्मति व सुझाव के लिये भेजे गये हैं :—

१. सामान्य अथवा प्रारम्भिक अध्याय

२. जनता

३. दिलचस्प स्थान

४. सामाजिक और आर्थिक पहलू

और ५. इतिहास।

भारत सरकार ने कुछ परिवर्तनों का सुझाव दिया था और इन अध्यायों को पुनः लिखने का काम जारी है ।

(ग) इस काम की लगभग एक वर्ष में समाप्त हो जाने की संभावना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आदिम जाति की छात्राओं को वृत्तिका

†९७४. **श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के रेल खोवाई गवर्नमेंट हाई स्कूल की आदिम जाति की छात्राओं के अभिभावकों ने बोर्डिंग वृत्तिका दिये जाने के बारे में मुख्य आयुक्त, त्रिपुरा को कोई याचिका प्रस्तुत की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

त्रिपुरा में व्यापक प्राथमिक शिक्षा

†९७५. **श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमालपुर (त्रिपुरा) के सब-डिवीजन में व्यापक प्राथमिक शिक्षा आरम्भ करने के लिये कोई अग्रिम परियोजना कार्यान्वित की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना की प्रगति का कोई मूल्यांकन किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस मूल्यांकन के क्या निष्कर्ष हैं ; और

(घ) क्या कमालपुर के सभी अन्य डिवीजनों में भी निकट भविष्य में इस प्रकार की परियोजनायें कार्यान्वित की जायेंगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** (क) जी, हां ।

(ख) जी , हां ।

(ग) प्राथमिक शिक्षा के लिये ९३ प्रतिशत भर्ती का तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वह खण्ड में १९६१-६२ तक प्राप्त कर लिया गया है ।

(घ) तीसरी योजनावधि के शेष काल में एक और खण्ड में अनुसन्धान और कार्य-वाही परियोजना कार्यान्वित करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव पर प्रादेशिक परिषद् विचार कर रही है ।

त्रिपुरा के सब-डिवीजनों में क्षेत्र समितियां

†९७६. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा प्रशासन ने त्रिपुरा के सब-डिविजनो में क्षेत्र-समितियां स्थापित करने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा के विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये ऋण

†६७७. **श्री दशरथ देव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास वित्त प्रशासन ने त्रिपुरा में विस्थापितों को ऋण के तौर पर कुल कितना रुपया दिया ;

(ख) १ मार्च, १९६२ तक इन ऋणों का ब्याज कितना हुआ ;

(ग) क्या विस्थापित व्यक्ति ब्याज देने की स्थिति में हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस ब्याज को रद्द करने की घोषणा करेगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) लगभग १५ लाख रुपये ।

(ख) लगभग ४ लाख रुपये ।

(ग) और (घ). सामान्य तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिन विस्थापित व्यक्तियों ने ऋणों को ठीक ढंग से काम में लाया वे ऋण अदा करने की स्थिति में हैं। जिन मामलों में ऋण वसूली से लोगों को कठिनाई हो सकती है उन पर उचित ध्यान दिया जाता है ।

त्रिपुरा को नालीदार लोहे की चादरों का संभरण

†६७८. **श्री दशरथ देव** : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा को नालीदार लोहे की चादरों का पर्याप्त संभरण नहीं हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस अपर्याप्त संभरण के क्या कारण हैं; और

(ग) इन कठिनाइयों के हल हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) जी, हां । धातु-चढ़ी नालीदार लोहे की चादरों का सामान्य अभाव है ।

(ख) अपर्याप्त उत्पादन ।

(ग) जो मात्रा उपलब्ध होती है उसका समान वितरण किया जाता है । जो सीमित विदेशी मुद्रा उपलब्ध है उससे तथा वस्तु-विनिमय के ज़रिये टीन की नालीदार चादरों को आयात करने की कोशिश की जा रही है ।

त्रिपुरा के लिये कोयला

†६७९. **श्री दशरथ देव** : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ और १९६१–६२ में त्रिपुरा को विभिन्न किस्म का कुल कितना कोयला भेजा गया ;

(ख) क्या यह मात्रा पर्याप्त थी ;

(ग) कोयले के प्रत्येक किस्म का क्या मूल्य निर्धारित किया गया था ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) कोयले का संभरण बढ़ाने व मूल्य घटाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (घ). कोयले के कोटे व संभरण के आंकड़े उद्योगवार तथा राज्यवार रखे जाते हैं न कि किस्मवार। त्रिपुरा को १६६०–६१ और १६६१–६२ में विभिन्न पूर्ववर्तिताओं के अन्तर्गत भेजे गये कोयले व कोक की मात्रा इस प्रकार है :—

पूर्ववर्तिता वर्ग	भेजी गई मात्रा (वैगनों में) १६६०–६१	१६६१–६२
चाय . . .	१६७	१३०
इंजीनियरिंग के काम और फाउंड्री	४	१
लघु उद्योग .	६	२२
घरेलू कामों के लिए साफ्ट कोक .	७८	५४
ईंटें पकाना .	४१६	२६६
विविध .	६६	२४
योग . .	७७३	५२७

इन संभरणों को, जो फिलहाल बंगाल/बिहार के कोयला-क्षेत्रों से किये जा रहे हैं, पूरा करने के लिये त्रिपुरा को अपर आसाम के कोयला-क्षेत्रों से कोयले की अतिरिक्त मात्रा भेजने का प्रस्ताव किया गया है।

भारत सरकार कोयला खान नियंत्रण आदेश, १६४५ के अन्तर्गत कोयले का खान से निकलने पर मूल्य निर्धारित करती है और किसी राज्य के लिये मूल्य कम करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली में जनगणना

६८०. श्री नवल प्रभाकर : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की जनगणना के आंकड़ों को श्रेणीबद्ध करके छांट लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) और (ख). सरकार द्वारा अनुमोदित सारणीकरण योजना के अनुसार दिल्ली की जनगणना के आंकड़े छांट लिये गये हैं किन्तु प्रकाशन के लिय उनकी अंतिम जांच व संकलन का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

विवाह-विच्छेद के लिये याचिकायें

†**६८१. डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दू विवाह अधिनियम लाग होने के बाद इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह-विच्छेद की प्रार्थना करने वाली कुल कितनी याचिकायें प्रस्तुत की गईं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितने मामलों में विवाह-विच्छेद को स्वीकृति दी गई, कितने मामले या अपीलें निलम्बित हैं और कितने मामलों में विवाह-विच्छेद की प्रार्थना अमान्य कर दी गई ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : (क) और (ख). विवाह और विवाह-विच्छद की विषय वस्तु विधान के समवर्ती क्षेत्र में होने के कारण हिन्दू विवाह अधिनियम, १९५५ का प्रशासन राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासनों पर निर्भर है और उन्हें विवाह-विच्छेद आदि के कोई आंकड़े केन्द्रीय सरकार को देने नहीं पड़ते। अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और जब भी संभव होगा, सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस

†१८२. **श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नीमच के अलावा और कौन-कौन से स्थानों में केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस रखी गई है और क्यों रखी गई है; और

(ख) विभिन्न बटैलियनों के प्रभारी कितने डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल हैं और उन्हें नीमच में क्यों नहीं रखा गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) प्रशासनिक और कार्य की सुविधा की दृष्टि से केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस की बटैलियन अजमेर, भरतपुर, रामपुर, देवली और मोकामा-घाट में रखी गई हैं।

(ख) केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस में दो डिप्टी इसपेक्टर जनरल हैं। प्रशासनिकि सुविधा की दृष्टि से उनका प्रधान कार्यालय अजमेर और नई दिल्ली में है।

विदेशी प्रकाशनों पर प्रतिबन्ध

†१८३. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी अन्य देश के प्रकाशन या पत्रों के भारत में अथवा पाण्डुचेरी राज्य में प्रवेश पर कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और किस प्रकार के साहित्य पर यह प्रतिबन्ध लगाया गया है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ग). समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ के अन्तर्गत समय-समय पर अधिसूचना निकाल कर किसी भी देश के ऐसे प्रकाशनों, पत्रों आदि के भारत में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाया गया है जो द्वेषपूर्ण, अत्यन्त अश्लील हों या जो भारत की सीमाओं अथवा प्रादेशिक प्रभुता के बारे में विवाद उत्पन्न करते हों या जिन के फलस्वरूप भारत के विदेशी राज्यों से जो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं, उन पर आंच आने की आशंका हो या जो अन्यथा आपत्तिजनक समझे जायें।

भिलाई इस्पात संयंत्र में महिला कर्मचारी

†१८४. **श्री दाजी** : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भिलाई इस्पात संयंत्र के उद्यानविद्या और सड़क डिवीजन के कार्यालयों में काम

---

†मूल अंग्रेजी में

के आधार पर मजूरी पाने वाली कितनी महिलायें नियुक्त हैं और उन्हें क्या मजूरी मिलती है ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्): भिलाई इस्पात संयंत्र के उद्यान-विद्या और सड़क डिवीजन के कार्यालयों में काम के आधार पर मजूरी प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या क्रमशः १११ और ९१ है। उन्हें कुल मिला कर प्रति मास ४८ रुपये मिलते हैं।

यात्री किराया कर का राज्यों के बीच वितरण

†९८५. श्री महेश्वर नायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यात्री किराया कर से प्राप्त राशि का राज्यों के बीच वितरण किस आधार पर किया जाता है ;

(ख) यह कर लगाने के बाद से प्रति वर्ष इस मद के अन्तर्गत कुल कितनी राशि प्राप्त हुई ; और

(ग) यह राशि सम्बन्धित राज्यों में किस प्रकार वितरित की गई ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). १९५७–५८ से १९६०–६१ तक रेलवे यात्री किराये के कर से प्राप्त राशि का वितरण सम्पदा शुल्क और रेलवे यात्री किराया कर (वितरण) अधिनियम, १९५७ की धारा ५ के अनुसार किया गया।

१–४–१९६१ से यह कर समाप्त कर दिया गया है और तब से राज्यों के तृतीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार कर के बदले १२.५ करोड़ रुपये का तदर्थ अनुदान दिया जाता है।

(ख)

१९५७–५८	४८०.५९ लाख रुपये
१९५८–५९	११७३.२९ ,,
१९५९–६०	१२८२.३३ ,,
१९६०–६१	१५६५.०४ ,,

(ये आकड़े निश्चित नहीं हैं)

आदिम जाति के स्नातक

†९८६. श्री बसुमतारी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१ के अन्त में प्रत्यक राज्य में आदिम जाति के कितने स्नातक थे ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : १९६१ की जनगणना में उन्हीं अनुसूचित जातियों की शिक्षा सम्बन्धी योग्यताओं की जानकारी एकत्र की गई है जो शहरी क्षेत्रों में रहती हैं। यह जानकारी सिलसिलेवार लगाई जा रही है और उसके रजिस्ट्रार जनरल आव इंडिया द्वारा १९६१ के अन्त तक प्रकाशित किये जाने की आशा है।

बीकानेर में सीमेंट कारखाना

९८७. श्री प० ला० बारूपाल : क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के बीकानेर जिले को सीमेंट के कारखाने के लिये उपयुक्त स्थान समझा गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने की स्थापना कब तक हो जायेगी ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) राजस्थान के बीकानेर जिले में सीमेंट का कारखाना लगाने के लिये इंडस्ट्रीज (डिवेल्पमेंट एण्ड रेगूलेशन) एक्ट, १९५१, के अधीन लाइसेंस हेतु अभी तक कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजस्थान में भूतपूर्व हरिजन सैनिकों को भूमि दिया जाना

९८८. श्री प० ला० बारूपाल: क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितने भूतपूर्व हरिजन सैनिकों को काश्त के लिये भूमि दी गई है, और कहां-कहां ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ ऐसे भी सैनिक हैं जिनको भूमि देने के आदेश दे दिये गये परन्तु भूमि नहीं दी गई है ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ ऐसे भी सैनिक हैं जिनसे भूमि की रकम पूरी ले ली गई है परन्तु भूमि का कब्जा अभी तक सरकार ने नहीं दिलाया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क), (ख) तथा (ग): राजस्थान सरकार से सूचना मंगाई गई है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

बिजली की भट्टी की खरीद

†**९८९. डा० उ० मिश्र**: क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जमशेदपुर इंजीनियरिंग एन्ड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी को १९५४ में बिजली की एक भट्टी खरीदने के लिये कितनी विदेशी मुद्रा प्रदान की गई थी ;

(ख) यह भट्टी अब किस प्रकार के उत्पादन में काम में लाई जाती है ; और

(ग) क्या यह सच है कि यह भट्टी अब बेकाम पड़ी ई है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) से (ग). मेसर्स जमशेदपुर इंजीनियरिंग एन्ड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी को १९५४ में उन के टाटानगर स्थित कारखाने प्रति मास ३५० टन ढलवां इस्पात की एक "नयी वस्तु" बनाने के लिये उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत एक लाइसेंस दिया गया था । उसी वर्ष में इस कम्पनी को ३,७६,३०० रुपये की एक बिजली की भट्टी के आयात का लाइसेन्स दिया गया था । कम्पनी ने ढलवां इस्पात की चीजों का उत्पादन आरम्भ नहीं किया और यह भट्टी अभी किसी वस्तु के उत्पादन के लिये काम में नहीं लाई जा रही है ।

अखिल केरल पुस्तकालय सम्मेलन

†**९९०. श्री अ० क० गोपालन**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को २१ मई १९६१ को आयोजित अखिल केरल

---

†मूल अंग्रेजी में

पुस्तकालय सम्मेलन, जिसका उद्घाटन मंत्री महोदय ने किया था, द्वारा पारित संकल्प प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) चूंकि संकल्प में निर्दिष्ट विषय अधिकांशत: राज्य सरकार से संबंधित है अत: केरल ग्रंथ शाला संगम, त्रिवेन्द्रम से इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से सीधा सम्पर्क स्थापित करने के लिये कहा गया है । किन्तु केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता के लिये संस्था से प्राप्त आवेदन इस मंत्रालय के विचाराधीन है ।

केरल ग्रंथशाला संगम को सहायता

†९९१. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री उमानाथ :

क्या **शिक्षा** मंत्री १० अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३०२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल ग्रंथशाला संगम की हिन्दी योजनाओं के सम्बन्ध में आर्थिक सहायता की प्रार्थना पर विचार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) संगम को निम्नलिखित योजनाओं के लिये अक्तूबर, १९६१ में ३०,६६० रुपये का अनुदान मंजूर किया गया है :—

(१) ५० पुस्तकालयों में हिन्दी विभाग की स्थापना ।

(२) ५० पुस्तकाध्यक्ष को १० रुपये प्रति मास की दर से ९ महीने का भत्ता ।

(३) ग्रंथलोकन् पत्रिका में हिन्दी विभाग का समावेश ।

(४) ५० पुस्तकालयों में हिन्दी दिवस मनाना ।

दिल्ली में अकालियों के खिलाफ मुकदमे

†९९२. **श्री गुलशन :**
श्री बूटा सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में १२ जून, १९६० को तथा उसके बाद कितने अकालियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किये गये ;

(ख) इन में से कितने मामलों में पुलिस ने ३१ मार्च, १९६२ तक चलान पेश नहीं किया तथा ऐसे प्रत्येक मामले के क्या कारण थे ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) कितने अकालियों के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में मुकदमे निलम्बित हैं और कब से ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) ४७२५ (जिसमें वे ८२९ शामिल हैं जिन के खिलाफ १२ जून, १९६० को मुकदमे मे दर्ज किये गये थे ।)

(ख) पांच व्यक्तियों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया था किन्तु उसकी जांच हो रही थी इसलिये वह न्यायालय में नहीं पेश किया जा सका । यह मुकदमा इस बीच उठा लिया गया है ।

(ग) निम्नलिखित व्यक्तियों के खिलाफ न्यायालयों में मुकदमे निलम्बित हैं :—

व्यक्ति	तिथि से
४१	२०—३—६१
२	३—५—६१
२	१०—५—६१
१३	२३—५—६१
९	२—६—६१
३	२८—६—६१
१०२	११—६—६१
१७२	

वैशाली में संग्रहालय

†**९९३. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वैशाली में एक संग्रहालय स्थापित करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना व्यय होगा ; और

(ग) इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां ।

(ख) २,८०,१२० रुपये ।

(ग) बिहार सरकार से कहा गया है कि उसके कब्जे में जो जमीन है उसे वह हस्तान्तरित कर दे ।

असैनिक सेवा में सैनिक अधिकारी

†**९९४. श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा बलों के कितने अधिकारियों को असैनिक विभागों में काम करने की अनुमति दी गयी और कितने पुनः सेवा में आ गये हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या ऐसे सभी अधिकारियों की सेवा और वरिष्ठता उनकी नियमित सेवा में सम्मिलित की गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे कितने अधिकारी हैं; जिनकी असैनिक सेवा पर विचार किया जाना है ;

(घ) क्या मंत्रालय को उनकी असैनिक सेवा सैनिक सेवा में शामिल करने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख). प्रतिरक्षा सेवा के अधिकारियों को समय समय पर असैनिक विभागों में प्रतिनियुक्त कर भेजा जाता है और प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी होने पर ये अधिकारी अपनी मूल सेवा में अर्थात् सेना, नौ-सेना या वायु-सेना में लौट आते हैं। ऐसे सभी मामलों मे प्रतिनियुक्ति की एक शर्त यह होती है कि असैनिक विभागों मे प्रतिनियुक्ति जो अवधि है वह सभी प्रयोजनों के लिये सेना, नौ-सेना या वायु सेना की सेवा समझी जायेगी।

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्न का निर्देश कुछ ऐसे सेनाधिकारियों के मामलों से है जिन्होंने असैनिक विभागों में जाने की इच्छा व्यक्त की थी और जिन्हें १९४४ में मुक्त किय गया था और बाद में सेना की सेवा के लिये बुला दिया गया था । यदि यह जानकारी अपेक्षित है तो ऐसे अधिकारियों की संख्या ३५ है । उन के सेना से मुक्त किये जाने की शर्तों में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शर्तें भी थीं :—

(१) वे सेना में अपना कमीशन न त्याग देंगे किन्तु उनका कमीशन अनिश्चित काल तक जारी रखा जायेगा और उन्हें सेना की सेवा में बुलाया जा सकेगा ; और

(२) यदि उन्हें सेना की सेवा निमित्त बुलाया गया तो उनकी असैनिक सेवा सैनिक सेवा में शामिल न की जायेगी ।

ये जो ३५ अधिकारी सेना की सेवा में बुलाये गये उन में से ४ अधिकारियों द्वारा राज्यों में की गई सेवा सेना में वरिष्ठता के प्रयोजन के लिये शामिल कर ली गई है जब कि ३१ अधिकारियों द्वारा असैनिक विभागों में की गई सेवा की अवधि हिसाब में नहीं ली गई है ।

(ग) से (ङ). इस समय कोई मामला विचाराधीन नहीं है । ३१ अधिकारियों में से कुछ से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे किन्तु उन्हें सरकार ने निम्नलिखित कारणों से अस्वीकार कर दिया है :—

(१) इन अधिकारियों ने स्वयं असैनिक सेवा में जाने की इच्छा व्यक्त की थी । वे जब तक असैनिक सेवा में रहे तब तक उन्हें सेना की वर्दी पहनने नहीं दी गई उन्हें सेना का वेतन नहीं मिला और उन्हें साफ-साफ बता दिया गया था कि यदि उन्हें सेना की सेवा में बुलाया गया तो असैनिक नौकरी की अवधि वेतन या पदोन्नति या अन्य लाभ के प्रयोजन के लिये हिसाब में नहीं ली जायेगी ।

†मूल अंग्रेजी में

इन अधिकारियों को ये शर्तें ज्ञात थीं जिसके बावजूद उन्होंने असैनिक प्रशासन के अन्तर्गत काम करना स्वीकार किया। इसलिये उन्हें सेना में फिर से खपा लेने के बाद इन शर्तों में परिवर्तन की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है।

(२) एक अवसर पर सरकार के ध्यान में यह बात आई कि ४ अधिकारियों को असैनिक सेवा का लाभ दे दिया गया है और उसके अनुसार गलती से अधि-सूचनायें भी जारी कर दी गई हैं। ऐसे अफसरों की संख्या कम थी और सरकार ने यह समझकर कि उनके मामले में नियम शिथिल कर देने से कोई प्रतिक्रिया न होगी उन अधिकारियों को गलती से प्रदान किया गया लाभ रद्द नहीं किया। बाद में जब यह पता चला कि ऐसे अधिकारी ज्यादा हैं तो इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार किया गया कि इन अधिकारियों के सम्बन्ध में दी गई मंजूरी वापस ले ली जाये या नहीं किन्तु उसे वापस न लेने का निश्चय किया गया क्योंकि उन्हें लाभ दिया जा चुका था और उसे अनुशासन को छोड़ कर किसी अन्य आधार पर वापस लेना उचित न होगा।

(३) शेष ३१ अधिकारियों को वरिष्ठता प्रदान करने से सैकड़ों अधिकारियों की वर्तमान वरिष्ठता गड़बड़ हो जायेगी। ये अधिकारी वरिष्ठता सूची में उच्च पदों पर काफी समय तक रहे हैं और उनका कोई दोष न होते हुए उनकी वरिष्ठता कम करना उचित नहोगा।

चुनाव याचिकायें

†९९५. **श्री शिवमूर्ति स्वामी**: क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५७ के चुनाव के सम्बन्ध में कितनी याचिकाय अब भी भारत के विभिन्न न्यायालयों में अनिर्णीत हैं;

(ख) उनमें से कितनी याचिकायें उच्चतम न्यायालय में हैं और वे किन चुनाव-क्षेत्रों की हैं; और

(ग) १९६२ में हुए तीसरे आम चुनाव से पूर्व इन सभी याचिकाओं को निबटाने में इतना विलम्ब क्यों हुआ ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)**: (क) से (ग). १९५८ के आम चुनाव के बारे में केवल एक याचिका, जो मैसूर राज्य के कोफल निर्वाचन-क्षेत्र से सम्बन्धित है, उच्चतम न्यायालय में अपील की अवस्था में निलम्बित है क्योंकि न्यायालय को इस अपील का रिकार्ड अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

अफीम का पकड़ा जाना

९९६. **श्री प० ला० बारूपाल**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भटिण्डा जिले के दो गांवों में पांच मन अवैध अफीम पकड़ी गयी थी;

(ख) यह अफीम कहां से लाई गई थी;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या अन्य किसी स्थानों में भी कुछ अफीम पकड़ी गई है; और

(घ) पकड़ी गयी अफीम से सरकार को क्या आमदनी हुई है?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). इसके बारे में अखबारों में खबर छपी थी, लेकिन भारत सरकार के मादक द्रव्य विभाग (नार्कोटिक्स डिपार्टमेण्ट) को पंजाब सरकार के सम्बद्ध अधिकारियों से अभी ब्योरा नहीं मिला है। जितनी जल्दी हो सकेगा, सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया जायेगा जिसमें ब्योरे की बात दी रहेगी।

(ग) जी हां।

(घ) इससे भारत सरकार को कोई आमदनी न होगी, क्योंकि जब्त की गयी अफीम पर राज्य सरकार का अधिकार होता है।

जम्मू और काश्मीर में कोयल के निक्षेप

†९९७. **श्री अब्दुल गनी गोनी :**
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में जम्मू और काश्मीर के कोयले के निक्षेपों का कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) वहां कितना कोयला होने का अनुमान है; और

(ग) उसे बड़े पैमाने पर निकालने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां।

(ख) भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण ने हाल के वर्षों में सिद्ध कर दिया है कि काश्मीर घाटी में निच्छावम, चौकीबल और समीपस्थ क्षेत्रों में टन लिग्नाइट के निक्षेप हैं तथा कालाकोट में ६७ लाख टन कोयले के निक्षेप हैं।

(ग) कोयला और लिग्नाइट निकालने के लिये राज्य सरकार द्वारा योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं।

सैनिक कर्मचारियों के लिये कार्यकाल

†९९८. **श्री प्र० ना० कयाल** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना के किसी उच्च अधिकारी को किसी विशिष्ट स्थान में कितनी अवधि के लिये लिये रखा जाता है;

(ख) क्या उनके स्थानान्तरण या पदोन्नति सम्बन्धी नियम बहुत कड़े और अपरिवर्तनीय हैं; और

(ग) यदि हां, प्रत्येक पदाली (कैडर) के लिये क्या नियम हैं?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) सेना के वरिष्ठ अधिकारी किसी विशिष्ट स्थान में आमतौर पर २ से लेकर ४ वर्ष तक की अवधि के लिये रखा जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) (१) स्थानान्तरण के बारे में कोई कड़े और अपरिवर्तनीय नियम नहीं हैं किन्तु स्थानान्तरण निम्नलिखित बातों से किसी एक के आधार पर किया जाता है :—

(१) पदोन्नति या कार्यकाल समाप्त होना ।

(२) स्वास्थ्य के आधार ।

(३) अनुशासन के आधार ।

(४) सहानुभूति के आधार ।

(५) अधिकारियों की भावी सेवा की आयोजना ताकि अधिकारी पदोन्नति के पूर्व विभिन्न प्रकार के कामों का अनुभव प्राप्त कर सकें ।

(६) नये दायित्व ।

(२) पदोन्नति के लिये सरकार ने निश्चित नियम बना दिये हैं ।

(ग) कर्नल के पद से लेकर मेजर जनरल तक के पद के लिये पदोन्नति इस प्रयोजन के लिये गठित चुनाव बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर की जाती है । पदोन्नति देकर अफसरों को लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल बनाने के लिये अफसरों का चुनाव सरकार द्वारा किया जाता है । विभिन्न उच्च पदों के लिये पदोन्नति पाने के लिये अधिकारियों की निम्नलिखित सेवा होनी चाहिये :—

पद	पदोन्नति के लिये न्यूनतम सेवा	
	कार्यवाहक	पूर्ण
कर्नल	$८^{१}/_{२}$ वर्ष (जिसमें से कम से कम २ वर्ष ले० कर्नल के पद पर काम किया हो)	२० वर्ष
ब्रिगेडियर	१२ वर्ष (जिसमें से कम से कम ३ वर्ष ले० कर्नल और कर्नल के पद पर काम किया हो)	२३ वर्ष
मेजर जनरल	२० वर्ष	२५ वर्ष
ले० जनरल	२५ वर्ष	२८ वर्ष
जनरल		(कोई निर्बन्ध नहीं)।

सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा (राजस्थान)

९९९. **श्री बैरवा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) कोटा स्थित सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र की जांचदारी की जगह कौन सी है;

(ख) बात उक्त जगह के पास ही एक हाई स्कूल चलता है; और

(ग) यदि हां, तो विद्यार्थियों को खतरे से बचाने के लिये चांदमारी को अन्य स्थान पर क्यों नहीं किया जाता ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) अंगरक्षक प्रशिक्षण केन्द्र (गार्डज ट्रेनिंग सेण्टर) कोटा की, लघु–आयुध वर्गीकरण, चांदमारी भीमगंज मंडी नाम के एक क्षेत्र में स्थित है ।

†मूल अंग्रजी में

(ख) तथा (ग). चांदमारी से लगभग एक मील परे, उत्तर-पूर्व में, हाल ही (जनवरी १९६२) में, एक बहुप्रयोजन स्कूल खोला गया है, और वह चांदमारी के संकटमय क्षेत्र से बाहर है। इसलिये चांदमारी को, जो पिछले ३० वर्षों से वहां स्थित है, हटाने का प्रश्न नहीं उठता।

नये मैसूर में वरिष्ठता का निर्धारण

†१०००. **श्री चन्द्रिकी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नये मैसूर राज्य की सरकार की सेवाओं की वरिष्ठता निर्धारण और समानीकरण को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इसमें कितना समय लगेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी नहीं।

(ख) भारत सरकार पदों के समानीकरण तथा वरिष्ठता के बारे में उचित मंत्रणा समिति के परामर्श से, जो कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करेगी, अन्तिम आदेश दे सकती है। राज्य सरकार ने हाल में अभ्यावेदन भेजना शुरू किया है।

मैसूर में सीमेंट के कारखाने

†१००१. **श्री चन्द्रिकी :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में सीमेन्ट के दो और कारखाने खोलने की अनुमति दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी स्थापना कहां होगी इस बात का निर्णय कर लिया गया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) :** (क) मैसूर राज्य में सीमेन्ट के दो और कारखाने खोलने के लिये स्वीकृति दी गई है।

(ख) ये कारखाने अम्मासन्द्रा (तुमकूर जिला) और नगरगल्ली (बलगांव जिला) में स्थापित करने का इरादा है।

खानों का राष्ट्रीयकरण

†१००२. **श्री चन्द्रिकी :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत के विभिन्न राज्यों की और खानों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का विचार कर रही है जैसा कि कोलार की सोने की खदानों के बारे के किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय ऐसी खानो की एक सूची सभा पटल पर रखेंगे ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय प्रशासनीक सेवा पदाली (कैडर)

†१००३. **श्री तिम्मया :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य सरकार ने १९५९, १९६० और १९६१ में भारतीय प्रशासनिक सेवा पदाली में कितने अधिकारियो को शामिल करने की सिफारिश की; और

(ख) इन में से गृह-कार्य मंत्रालय ने कितनों को स्वीकृति दी तथा कितने अधिकारी अनुसूचित जातियो के हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) मैसूर राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा पदाली में निम्नलिखित अधिकारियों को शामिल करने की सिफारिश की थी :—

वर्ष	जितने अधिकारियों की सिफारिश की गई
१९५९	..
१९६०	३
१९६१	

(ख) उपरोक्त तीनों अधिकारियों को मैसूर राज्य की भारतीय प्रशासनिक सेवा की पदाली में युक्त कर दिया गया। इनमें से कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति का नहीं है।

संस्कृत और आदिम जाति की भाषाओं के विकास के लिये अनुदान

†१००४. **श्री ह० च० सोय :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संस्कृत की शिक्षा व उसके विकास के लिये केन्द्रीय सरकार ने और राज्य सरकार ने (राज्यवार) पहली दो योजनावधि में कुल कितना अनुदान दिया और तीसरी योजनावधि में कितना दिया जायेगा ;

(ख) आदिम जाति की भाषाओं के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारो ने (राज्यवार) पहली दो योजनावधि में यदि कोई अनुदान दिया हो तो उसको कुल राशि कितनी है और तीसरी योजनावधि में कितना अनुदान दिया जायेगा ; और

(ग) ये अनुदान किन आधार पर दिये जाते हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कानपुर हार्नेस एण्ड सैडलरी फैक्टरी

†१००५. **श्री राम रतन गुप्त :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर हार्नेस एण्ड सैडलरी फैक्टरी में प्रथम तथा द्वितीय पारी के श्रमिकों द्वारा, उनको अतिरिक्त समय का भुगतान कर, तृतीय पारी चलाई जाती है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब से चल रहा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) सामान्य मजूरी दर के सम्बन्ध में अतिरिक्त समय का भुगतान किस दर पर किया जाता है ;

(घ) सरकार तृतीय पारी उचित ढंग से क्यो नहीं चालू कर सकी जिससे अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और मजूरी बिल में काफी बचत होगी ; और

(ङ) प्रपिरक्षा संस्थानों में कितने अन्य उत्पादन यूनिट नियमित रूप से अतिरिक्त समय के आधार पर चल रहे हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). हार्नेस और सैडलरी फैक्टरी में दो पारियां चल रही हैं और उन दोनों में यथावश्यक अतिरिक्त समय लगाया जाता है। यह व्यवस्था वर्ष १९६१–६२ में आरम्भ हुई थी।

(ग) कारखाना अधिनियम, १९४८ के अधीन उन औद्योगिक श्रमिकों को जो सप्ताह में ४८ घंटे से अधिक कार्य करते हैं अतिरिक्त समय का भुगतान सामान्य दर से दुगने के आधार पर किया जाता है। सप्ताह में ४४३/४ घंटे से ४८ घंटे तक के काम के लिये श्रमिकों को सामान्य दर पर भुगतान किया जाता है।

(घ) दूसरी पारी के लिये भी आयुध कारखानों के महानिदेशक को उपयुक्त कर्मचारी मिलने में कठिनाई हो रही है। अतः इस समय तीसरी पारी चलाये जाने के प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सकता।

(ङ) आयु कारखानों में अतिरिक्त समय काम करना नियमित कर्म नहीं है परन्तु यह केवल सेवाओं की मांगें और अत्यावश्यक मांगों को शीघ्र पूरा करने के लिये किया जाता है। उन सेक्शनों में जहां मशीनों की क्षमता अथवा जन-शक्ति अन्य सेक्शनों के बराबर उत्पादन करने के लिये अपर्याप्त है, अतिरिक्त समय काम कराया जाता है।

केन्द्रीय कागज प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्था

†१००६. **श्री बड़े :**
श्री ब्रह्मजीत :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में एक केन्द्रीय कागज प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्था स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

महाराष्ट्र में खनिज

†१००७. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदर्भ (महाराष्ट्र) में नागपुर और भंडारा जिलो की सीमा पर अधिक खनिज वाले एक प्रदेश का पता लगाया गया है

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वहां पर कौन कौन से खनिज मिले हैं ;

(ग) उस क्षेत्र में पाये गये इन खनिजों में से प्रत्येक की कितनी मात्रा है; और

(घ) इन निक्षेपों को निकालने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**खान और इंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी, हां। उस क्षेत्र में खनिज होने का पता लगा है।

(ख) भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने यहां क्रोमाइट, तांबा, सोना मिला हुआ रेत, लौह-अयस्क और सुरमा-अयस्क का पता लगाया है।

(ग) और (घ). इस समय क्रोमाइट निक्षेप निकाले जा रहे हैं। अन्य निक्षेप निकालना लाभप्रद नहीं है।

नागालैण्ड में दीमापुर के पुरातत्वीय अवशेष

†**१००८. श्री बसुमतारी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरातत्वीय विभाग ने स्मारक संरक्षण अधिनियम के अधीन नागालैंड मेंदीमापुर में कछारी साम्राज्य की ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण और प्राचीन राजधानी को शामिल कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं , तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

तीसरी योजना में लड़कियों की शिक्षा

†**१००९. श्री सद्दिय्या** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में लड़कियों की शिक्षा के विस्तार के लिये कोई विशेष योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है; और

(ग) वर्ष १९६२–६३ में प्रत्येक राज्य और संघ-राज्य क्षेत्र को कितनी वित्तीय सहायता दी जावेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ?

विवरण

(क) जी, हां। ये योजनायें राज्य-क्षेत्र में शामिल कर ली गई हैं।

---

†पूल अंग्रेजी में

(ख) राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की सिफारिश पर सरकार ने लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा के विकास के लिये अपनी योजनायें बनाते समय राज्य सरकारों के विचारार्थ निम्नलिखित विशेष कार्यक्रमों का सुझाव दिया है :

(१) ग्राम्य क्षेत्रों में अध्यापिकाओं के लिये क्वार्टर बनाना ;

(२) ग्राम्य और पिछड़े क्षेत्रों में काम करने वाली अध्यापिकाओं को ग्राम्य भत्ता देना;

(३) विशेषत: सह-शिक्षा स्कूलों में, जब अध्यापिकायें उपलब्ध हों, 'स्कूल मदर्स' की नियुक्ति करना ।

(४) जरूरतमन्द लड़कियों को उपस्थित छात्रवृत्ति (उपहार में), इनाम आदि देना और उपयुक्त मामले में कपड़े देना ;

(५) लड़कियों की औसत उपस्थिति के आधार पर शिक्षकों को उपस्थिति भत्ता देना ;

(६) सह-शिक्षा वाले स्कूलों में स्वच्छता खंड जैसी विशेष सुविधायें देना ;

(७) लड़कियों को शिक्षित बनाने की आवश्यकता के बारे में जनता को समझाना;

(८) लड़कियों की कुछ श्रेणियों को निशुल्क पढ़ाना;

(९) ग्राम्य क्षेत्रों से आने वाली लड़कियों के लिये छात्रावास स्थापित करना ;

(१०) लड़कियों की कुछ श्रेणियों की पूर्ण रूप से फीस माफ़ करना ;

(११) जहां छात्रावास सुविधा नहीं है, निःशुल्क या सहायता-प्राप्त परिवहन सुविधा देना ;

(१२) लड़कियों की विशेष आवश्यकता के लिये विभिन्न पाठ्यक्रम लगाना ;

(१३) शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण संस्थाओं में महिला प्रशिक्षार्थियों को अधिछात्रवृत्ति देना ; और

(१४) अधिक संख्या में अध्यापिकायें प्राप्त करने के लिये प्रौढ़ महिलाओं के लिये संघनित शिक्षा पाठ्यक्रम लागू करना ।

(ग) वर्ष १९६२–६३ के लिये लड़िकियों की शिक्षा के लिये विशेष योजनाओं के लिये राज्यों को राज्य की वार्षिक योजनाओं में सम्मिलित परिव्यय की शत-प्रति-शत केन्द्रीय सहायता दी जायेगी । संघ राज्य -क्षेत्रों के बारे में योजना पर पूरा व्यय सम्बन्धित 'क्षेत्रीय मांगों' से पूरा किया जायेगा ।

भारत के राजपत्र का हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ प्रकाशन

१०१०. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के निश्चय के अनुसार गजट आफ इंडिया के जिन-जिन भागों का अंग्रेजी के साथ हिन्दी में प्रकाशन होना है क्या निर्वाचन आयोग द्वारा उसके लिये आवश्यक व्यवस्था कर ली गई है ; और

(ख) क्या उसके अनुसार कार्यवाही होनी आरम्भ हो गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हिन्दी टाइप और शीघ्रलिपि जानने वाले कर्मचारी

१०११. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्वाचन आयोग में अलग-अलग कितने कर्मचारी हिन्दी टाईपिंग तथा हिन्दी शीघ्रलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और कितने इस समय प्रशिक्षण ले रहे हैं; और

(ख) जो व्यक्ति ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं क्या उन सभी से हिन्दी का काम लिया जा रहा है ?

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) निर्वाचन आयोग के चार कर्मचारी पहिले ही हिन्दी टाईपिंग और हिन्दी शीघ्रलिपि का प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं। निर्वाचन आयोग के कर्मचारियों में से इस समय कोई भी कर्मचारी ऐसा प्रशिक्षण नहीं ले रहा है ।

(ख) तृतीय साधारण निर्वाचनों से सम्बन्धित काम की अधिकता के कारण प्रशासनिक रूप से अब तक यह संभव नहीं हो पाया है कि ऐसे लोगों को हिन्दी में काम करने के अवसर दिये जायें ।

हिन्दी में विभागीय फार्म

१०१२. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा मंत्रालय में अभी ऐसे कौन-से कार्यालय हैं जिन्होंने केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय को विभागीय फार्म हिन्दी अनुवाद के लिये नहीं भेजे हैं; और

(ख) इस प्रकार कार्यालयों से अभी कितने फार्म आने शेष हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) कोई भी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सांस्कृतिक करार

†१०१३. **श्री बड़े** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में अब तक भारत ने कितने देशों के साथ सांस्कृतिक करार किये हैं और इन देशों के क्या नाम हैं ;

(ख) क्या उन सांस्कृतिक शिष्टमण्डलों के, जिनको विदेश भेजा जाता है, सदस्यों के चयन के लिये कोई निर्धारित स्तर है ;

(ग) क्या विदेश जाने से पूर्व इन सदस्यों को निर्देश दे दिये जाते हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) अपने देश में विदेशी सांस्कृतिक शिष्टमण्डलों के स्वागत पर हमने पिछले पांच वर्षों में कितनी धनराशि व्यय की है ; और

(ङ) उन देशों से हमने इसी प्रकार क्या लाभ उठाया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) ९, उदाहरणतः चेकोस्लोवेकिया, ग्रीस, हंगरी, मंगोलिया, नार्वे, पोलैण्ड, संयुक्त अरब गणराज्य, रूस और यूगोस्लाविया ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां ।

(घ) पिछले पांच वर्षों में इस मंत्रालय में १४,४३,८६१ रुपये व्यय किये गये हैं ।

(ङ) लाभ तो कम है परन्तु महत्वपूर्ण है । देशों के बीच आपसी मेल स्थापित होता है, पुराने सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित किये जाते हैं और वर्तमान मंत्री-सम्बन्ध और दृढ़ होते हैं ।

छात्रवृत्ति के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों का चयन

†१०१४. **श्री तिम्मय्या** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१ में विदेशी छात्रवृत्ति के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने विद्यार्थी चुने गये; और

(ख) क्या इस वर्ष छात्रवृत्ति की संख्या में कोई वृद्धि हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :

(क)	अनुसूचित जाति . . .	६
	अनुसूचित आदिम जाति . .	५
	अन्य पिछड़े वर्ग . . .	४
	कुल	१५

(ख) छात्रवृत्ति की संख्या हर वर्ष भिन्न होती है और यह कहना संभव नहीं है कि वर्ष १९६२ में छात्रवृत्ति की संख्या में कोई वृद्धि होगी क्योंकि सभी चयन पूरे नहीं हुए हैं ।

भारतीय विश्वविद्यालयों में अफ्रीकी विद्यार्थी

†१०१५. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा की अन्य संस्थाओं में कितने अफ्रीकी (उनको छोड़कर जो भारतीय उदभव के हैं) विद्यार्थियों का नाम लिखा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रत्येक विश्वविद्यालय में उनकी क्या संख्या है ;

(ग) उन में से कितनों को भारत सरकार से छात्रवृत्ति मिलती है; और

(घ) भारत में अफ्रीकी विद्यार्थियों के कल्याण के लिये और उनको भारतीय संस्कृति को समझने और उसे सराहने के योग्य बनाने के लिये भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् ने क्या कार्य किये हैं?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पुनर्वेलन मिलें

१०१६. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में भारत की पुनर्वलन मिलों की उत्पादन क्षमता जो कि कुछ वर्ष पूर्व निर्धारित की गयी थी और १९५८, १९५९, १९६० और १९६१ के वर्ष में पुनर्वेलन करने वालों को आवंटत किये गये बिलेट्स की मात्रा बताई गई हो ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : पुनर्वेलन मिल के बिल्कुल ठीक-ठीक क्षमता निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि वर्ग या अनुभाग विशेष के बेले जाने से उत्पादन में परिवर्तन आ जाता है । पुनर्वेलन मिलों की उत्पादन क्षमता के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं।

पुनर्वेलन मिलों के लिए बिलेट्स का आवंटन निम्नलिखित था :—

१९५८	३१७,७००	टन
१९५९	४०९,३१५	टन
१९६०	*८०६,०२५	टन
१९६१	४८७,६०९	टन ।

पुनर्वेलन मिलें

१०१७. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब से लोहे और इस्पात पर नियंत्रण का आदेश जारी हुआ है तब से पुनर्वेलन मिलों पर अपनी क्षमता बढ़ाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण है ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). लोहा और इस्पात नियंत्रण आदेश, १९५६ की धारा १६ के अधीन प्रत्येक पुनर्वेलन

---

†मूल अंग्रेजी में

*(१९६० में अत्याधिक सप्लाई का कारण नये इस्पात संयंत्रों में बेलन मिलों की तैयार माल की क्षमता के विकास में समयान्तर था)।

मिल को संयंत्र उपकरण या बिल्डिंग में वृद्धि करने के लिये अनुज्ञा प्राप्त करनी पड़ती है । वर्तमान संयंत्र का सदुपयोग करने से उत्पादन क्षमता को बढ़ाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । बिलेट्स की सम्पूर्ण उपलब्धि को ध्यान में रख कर इकाइयों की क्षमता में विस्तार पर गुणानुसार विचार किया गया है ।

फिर भी ऐसी छोटी इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिये जो स्थानीय उपलब्ध स्क्रेप का उपयोग करती हैं--जिस से बिलेट्स जिस की सप्लाई कम है की मांग में वृद्धि न हो---और जिन में ५० से कम आदमी काम करते हैं को १९६० में अनुज्ञा प्राप्त करने से छूट दे दी गई थी ।

केरल में भूतपूर्व सैनिक

†१०१८. **श्री अ० व० राघवन :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में कितने भूतपूर्व सैनिक बे-रोजगार हैं

(ख) क्या उन के पुनर्वास का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) क्या सरकार सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति के लिये स्थान सुरक्षित रखने की संभावना पर विचार करेगी ; और

(घ) क्या यह सच है कि उनके पंजीयन के समय उनको नौकरी छोड़ने पर रोजगार दिलाने का आश्वासन दिया गया था ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) केरल में काम दिलाऊ दफ्तरों के चालू रजिस्टरों के अनुसार ३३४१ ।

(ख) अन्य राज्यों के भूतपूर्व सैनिकों को प्राप्त पुनर्वास की सुविधायें केरल राज्य के भूतपूर्व सैनिकों को भी उपलब्ध हैं और उनको यथासंभव पुनर्वासित करने के लिये हर प्रयत्न किया जाता है ।

(ग) भारत के संविधान के अधीन भूतपूर्व सैनिकों के लिये कोई संरक्षण नहीं किया जाता ।

(घ) ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था ।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना

†१०१९. **श्री अ० व० राघवन :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अधीन केरल में एक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ; और

(ग) राष्ट्रीय अनुशासन योजना सम्बन्धी गोष्ठी में केरल से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) किसी ने भी नहीं ।

विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन

†१०२०. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के लिये कलकत्ता के श्री एस० पी० जैन के विरुद्ध जांच की नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) यदि जांच पूरी हो गई है तो उसका क्या ब्यौरा है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जांच अभी जारी है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

सामूहिक बीमा योजना

†१०२१. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामूहिक बीमा योजना लागू करने के लिये जीवन बीमा निगम का प्रस्ताव लागू कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) भारत का जीवन बीमा निगम अभी सामूहिक बीमा की योजना लागू करने की संभावना पर विचार कर रहा है।

अफ्रीकी देशों के साथ सांस्कृतिक करार

†१०२२. श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने वर्ष १९५६ से अफ्रीका में किसी देश के साथ सांस्कृतिक करार किये हैं ;

(ख) यदि हां तो इन देशों के क्या नाम हैं और इन करारों का क्या स्वरूप है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो इन करारों के न किये जाने के क्या कारण हैं ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी हां । अब तक एक देश के साथ ।

(ख) संयुक्त अरब गणराज्य । करार में छात्रवृत्तियां और अधिछात्रवृत्तियां दे कर; वैज्ञानिक, प्रविधिक और औद्योगिक संस्थाओं में एक दूसरे के व्यक्तियों को प्रशिक्षण

---

†मूल अंग्रेजी में

देकर ; सांस्कृतिक संस्थायें स्थापित कर के और शैक्षणिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में प्रत्यावर्तन द्वारा भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच सांस्कृतिक सम्बन्धों को दृढ़ करना ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां

†१०२३. **श्री विश्राम प्रसाद :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की वर्तमान प्रतिशतता क्या है ; और

(ख) श्रेणीवार उनकी क्या प्रतिशतता है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) १ जनवरी, १९६१ को प्रतिशतता यह थी :

अनुसूचित जातियां	१४.६३ प्रतिशत
अनुसूचित आदिम जातियां	१.९८ प्रतिशत

(ख) उसी तिथि को श्रेणी-वार प्रतिशतता यह थी :—

	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां
प्रथम श्रेणी	१.४४ प्रतिशत	.२१ प्रतिशत
द्वितीय श्रेणी	२.४४ प्रतिशत	.६७ प्रतिशत
तृतीय श्रेणी	७.४९ प्रतिशत	.९२ प्रतिशत
चतुर्थ श्रेणी	२१.५५ प्रतिशत	२.९८ प्रतिशत

बीजापुर (मैसूर) में कोयले के निक्षेप

†१०२४. **श्री रा० गि० दुबे :**
श्री सं० ब० पाटिल :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता लगा है कि मैसूर राज्य के बीजापुर जिले में तालीकोट के निकट कोयले के निक्षेप और सीमेंट के लिये कच्चा माल है ; और

(ख) क्या सरकार इस मामले पर उचित रूप से जांच पड़ताल करेगी ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग को तालीकोट के समीप कोयले के किसी निक्षेप का पता नहीं चला है । तथापि, सीमेंट की श्रेणी के चूनापत्थर का पता लगा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किये गये कार्य के फलस्वरूप वहां पर लगभग ३००० लाख टन सीमेंट श्रेणी के चूना पत्थर का अनुमान लगाया गया है ।

हड़प्पा और मोहेन्जोदाड़ो काल के स्थान का पता लगना

†१०२५. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय क्षेत्र में हड़प्पा और मोहेन्जोदाड़ो काल के कई स्थानों का पता लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किन बातों से यह खोज की गई ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास):** (क) जी, हां ।

(ख) हड़प्पा काल के बर्तन और अन्य सम्बन्धित वस्तुएं ।

नौसेना पुरस्कार धन

†१०२६. **श्री अ० व० राघवन :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को कितना नौसेना पुरस्कार धन आवंटित किया गया है ;

(ख) यह धन किस आधार पर दावेदारों में बांटा गया ; और

(ग) कितने अफसरों और नाविकों को अभी पारितोषिक धन लेना है और कितनी रकम बकाया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है । **[देखिय परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७]** ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

नागा विद्रोहियों द्वारा भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की कथिक रिहाई

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे श्री स० मो० बनर्जी, श्री नाथ पाई, श्री प्र० चं० बरुआ और श्री प्रिय गुप्त और श्री हेम बरुआ से चार ध्यान दिलाओ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । ये प्रस्ताव नागा विद्रोहियों द्वारा भारतीय वायु सेना के अधिकारियों की कथित रिहाई के बारे में हैं । प्रधान मंत्री इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जलवाहरलाल नेहरू):** हमें रंगून में अपने दूतावास से यह ज्ञात हुआ है कि बर्मा की सरकार ने, उन्हें यह सूचना दी है कि नागा विद्रोहियों ने भारत-बर्मा सीमा पर ५ मई को उन्हें भारतीय वायु सेना के चार अधिकारी सौंप दिये गये हैं। हमें अभी तक इससे अधिक सूचना नहीं मिली है। आशा है कि उन्हें एक या दो दिनों के अन्दर मांडले ले जाया जायेगा। वहां एक दो दिन विश्राम करने या अस्पताल में रहने के बाद उन्हें रंगून ले जा कर दूतावास को सौंप दिया जायेगा। तत्पश्चात उन्हें यहां भेज दिया जायेगा। मैं बर्मा सरकार के प्रति इसके लिये आभार प्रकट करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। **चाइना टुडे** ने जो कि चीनी राजदूतावास का मुख्य पत्र है, पेकिंग से भेजी गयी ३० अप्रैल को नोट सभा पटल पर रखे जाने के पूर्व ही प्रकाशित कर दिया। मेरे विचार से यह गम्भीर मामला है।

मैंने इस सम्बन्ध में एक ध्यान दिलाओ प्रस्ताव की सूचना दी थी; किन्तु उसे अस्वीकृत कर दिया गया है। मैं नहीं जानता कि ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं कई बार माननीय सदस्यों को बता चुका हूं कि यदि वे मेरे निर्णय से असंतुष्ट हों तो वे मेरे कक्ष में आ कर मुझसे इस सम्बन्ध में चर्चा कर सकते हैं। तथापि मैं वहां अपना निर्णय नहीं बदल सकता हूं। न मैं कोई विधि सलाहकार हूं जो कि उन्हें इस मामले में सलाह दे सकूं। हां, यदि वे मेरे कमरे में आयें तो संभव है मैं उनकी सहायता कर सकूं।

†**श्री हेम बरुआ** : मेरा यह सुझाव है कि केवल निर्णय बतलाने के साथ साथ यदि उस निर्णय के कारण भी बता दिये जायें तो बहुत अच्छा हो।

†**अध्यक्ष महोदय** : सदस्य ने विशेषाधिकार भंग का प्रश्न उठाया था तथापि अध्यक्ष की राय में यह विशेषाधिकार भंग का प्रश्न नहीं है। यह सूचना सदस्य को दे दी गई है। निसंदेह सदस्य इस सम्बन्ध में आकर मेरे कक्ष में मुझ से चर्चा कर सकते हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

प्रशुल्क आयोग अधिनियम के अधीन पत्र

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : मैं (१) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमीकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित अमोनियम सल्फेट का उचित प्रतिधारण मूल्य निर्धारित करने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५९)।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—८६/६२]

(दो) सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित अमोनियम सल्फेट का उचित प्रतिधारण मूल्य निश्चित करने के बारे में प्रशुल्क आयोग का अनुपूरक प्रतिवेदन (१९६०)।

(तीन) दिनांक १६ जनवरी, १९६२ का सरकारी संकल्प संख्या फर्टिलाइजर्स १ (१५)/५८—खण्ड २।

(चार) इसके कारण बताने वाला एक विवरण कि उपरोक्त (एक) से (तीन) में उल्लिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति उक्त उप-धारा में निर्धारित अवधि के अन्दर सभा पटल पर क्यों नहीं रखी जा सकी।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—८७/६२]

---

†मूल अंग्रेजी में

रबर अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं (२) रबड़ अधिनियम, १९४७ की धारा २५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १७ फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २०६ में प्रकाशित रबड़ (पहला संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—८८/६२]

कृषि उत्पादन (विकास तथा भांडागार) निगम अधिनियम

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : मैं श्री सु० कु० डे की ओर से, कृषि उत्पादन (विकास तथा भाण्डागार) निगम अधिनियम, १९५६ की धारा ४१ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा भाण्डागार बोर्ड की वर्ष १९६०–६१ के प्रमाणित लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—८९/६२]

मनीपुर लगान और भूमि सुधार अधिनियम और क्षेत्रीय परिषद् अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : मैं निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(एक) मनीपुर लगान और भूमि सुधार अधिनियम, १९६० की धारा १६९ के अन्तर्गत दिनांक ३१ मई, १९६१ के मनीपुर गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या १४०/१२/६०—एम (वी), जिसमें मनीपुर लगान और भूमि सुधार नियम, १९६१ दिये हुए हैं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ९०/६२]

(दो) प्रादेशिक परिषदें अधिनियम, १९५६ की धारा ५४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५ में प्रकाशित प्रादेशिक परिषदें (सदस्यों का निर्वाचन) नियम, १९६२ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०—९१/६२]

केन्द्रीय उत्पादन और नमक अधिनियम

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(क) दिनांक ६ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २७ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (पहला संशोधन) नियम, १९६२ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दिनांक २४ अप्रैल, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५०० में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (छठा संशोधन) नियम, १९६२।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०--९२/६२]

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक एक्ट, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक २१ अप्रैल, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४८९ की एक प्रति जिसमें दिनांक ३ मार्च, १९६२ के जी० एस० आर० संख्या २६९ का शुद्धि-पत्र है ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ९३/६२] ।

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक २१ अप्रैल, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४९० की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०--९४/६२]

सामान्य आयव्ययक--सामान्य चर्चा--जारी

†**अध्यक्ष महोदय :** अब हम वर्ष १९६२-६३ के लिये आय व्ययक (सामान्य) पर चर्चा आरम्भ करेंगे । श्री गजराज सिंह अपना भाषण जारी रखें ।

श्री गणपति राम (मछली शहर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी एक प्रश्न किया था डिप्टी स्पीकर साहब से कि जो बैंक बैंचर्ज हैं और जो इस बजट पर अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं, उनको अभी तक समय नहीं मिल सका है । अब क्या उनको आपकी तरफ से कोई संरक्षण मिल सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : इस बात को जब भी कोई मैम्बर साहब मुझ से पूछते रहे हैं मैं उनसे कहता रहा हूं कि अगर वे किसी पार्टी में शामिल हैं तो उनको चाहिये कि वे अपने ह्विप के पास जायें ।

श्री गणपति राम : कई दिन से ह्विप के पास जाते रहे हैं लेकिन . . .

अध्यक्ष महोदय : ह्विप की शिकायत मैं नहीं सुन सकता हूं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : यह तो माननीय सदस्य की पार्टी की बात है ।

श्री गणपति राम : अगर ह्विप की ही बात है तो. . .

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर , अगर आप ह्विप से सैटिसफाइड नहीं हैं और पार्टी की जो पाबंदियां हैं उनसे बाहर आना चाहते हैं तो मुझे बराहेरास्त लिखें ।

†**श्री गजराज सिंह** (गुड़गांव) : गांवों की प्रगति का सच्चा देशनांक वहां की जनता के बाहर जाने से ज्ञात हो जाता है । यदि जनता अपना गांव छोड़ कर बाहर जाती है तो इसका स्पष्ट ही यह कारण है कि गांवों में समृद्धि और रोजगार नहीं है । हम यही बात देख रहे हैं अतः केवल आंकड़ों की बातें करना गलत है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पहले गांवों में भारत की ९० प्रतिशत जनता रहा करती थी आज यह प्रतिशत अंक घट कर ७५ हो गया है और गांव का प्रत्येक शिक्षित नवयुवक गांव के बाहर जाना चाहता है क्योंकि गांवों में कोई रोजगार नहीं है।

योजना आयोग के एक सदस्य श्री श्रीमन्नारायण ने यह कहा है कि इस बात की तत्काल आवश्यकता है कि आय की विषमता को कम किया जाय। जिस से कि समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना को बल मिले। हमें यह बात स्पष्ट रूप से स्वीकार करनी चाहिये कि नगरों की अनुपार्जित आय को कम करने का कोई साधन नहीं अपनाया गया है। गांवों में जमींदारों पर उन के उत्पादन के आधार पर कर लगता है जब कि शहरों में यह कर आय कर के आधार पर लगाया जाता है मेरा सुझाव है कि गांवों में भी कर इसी आधार पर लगना चाहिये।

सरकार को चाहिये कि नगरों में सम्पत्ति पर एक सीमा विहित की जानी चाहिये। इस संबंध में सरकार को तत्काल कार्यवाही करनी चाहिये।

मेरा इस संबंध में एक सुझाव यह है कि भाखड़ा नंगल जैसी बड़ी योजनाओं से मिलने वाले लाभ पर गांवों को पूर्ववर्तिता दी जानी चाहिये। ऐसे मामलों में छोटे उद्योगों और कृषि की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

निस्संदेह भारत विश्व का सब से गरीब देश है भले ही इस के कोई भी कारण क्यों न हों हमें समस्या का सही हल ढूंढना चाहिये।

भारत में पशुपालन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये इस से देश तरक्की कर सकता है।

श्री नाथ पाई (राजापुर): मेरा मत यह है कि आयव्ययक के अच्छे या बुरे होने की सब से बड़ी पहिचान यह है कि क्या वह हमें उस लक्ष्य के निकट ले जाता है जो कि हम ने अपने समक्ष रखा है। जहां तक समाजवादी समाज के उद्देश्यों का तात्पर्य है मेरे विचार से द्वितीय पंचवर्षीय परियोजना में उन्हें बहुत सुन्दर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। सब से पहिले जनता के लिये रोजगार की व्यवस्था करना और दूसरी विषमता को दूर करना। इसके अतिरिक्त दो अन्य उद्देश्य रखे हैं वह हैं देश का द्रुत गति से औद्योगिकरण और जनता का जीवनस्तर ऊंचा करना।

आश्चर्य की बात यह है कि इन स्पष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भी इस योजना का पुरजोर समर्थन धनी व्यक्तियों ने किया है जिस से यह संदेह होने लगता है कि क्या वास्तव में इस योजना का लाभ गरीब जनता को हुआ है।

सचाई यह है कि इस योजना का लाभ गरीब जनता को नहीं अपितु धनी व्यक्तियों को मिला है। इस बात की पुष्टि के लिये मैं उन थोड़े से आंकड़ों को रखूंगा जिन्हें रखना आवश्यक है।

"कारपोरेट सैक्टर इन इंडिया" नामक अपने निबन्ध में श्री निगम और श्री चौधरी जो कि समवाय विधि अधिनियम के उच्चाधिकारी हैं कहा है कि देश की ३५ प्रतिशत निगमित आस्तियों पर केवल सात परिवारों का अधिकार है। उक्त १० परिवारों के हाथों में ६१९ समवायों का निदेशन है। मेरे विचार से समाजवादी ढांचे के समाज का यह उद्देश्य होना चाहिये कि सम्पति के इस प्रकार के केन्द्रीकरण को

रोका जाय । जून, १९६१ की "इकोनामिक वीकली" में श्री लीडल ने लिखा है कि देश की १० प्रतिशत जनता, कुल आय का ३४ प्रतिशत का उपयोग और उपभोग करती है । इस के साथ मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि २ लाख से अधिक वार्षिक आय वालों की आय में ३३६ प्रतिशत की वृद्धि हुई है । कुछ कम्पनियों को जैसे अम्बिका मिल, मैटूर मिल इत्यादि को १९५८ से १९६१ के बीच १५० प्रतिशत से लेकर १५५ प्रतिशत लाभ रहा है ।

अब मैं इन आंकड़ों की तुलना समाज के दूसरे वर्गों से करता हूं । ३ प्रतिशत नी किसानों के पास देश की कुल जमीन का २७ प्रतिशत है । इस प्रकार आंकड़ों से यह भी पता लगता है कि भूमिहीन श्रमिकों को योजनाओं से लाभ होने के स्थान पर और आघात पहुंचा है । भूमिहीन श्रमिक की आय ४४७ से गिर कर ४३७ हो गयी है और उसकी देनदारी १०५ से बढ़ कर १३८ हो गयी है ।

यह कहा गया है कि पिछले १० वर्षों में हमारी राष्ट्रीय आय में ४२ या उस से अधिक की उन्नति हुई है। साथ ही इसी दौरान में प्रति व्यक्ति की आय में भी १७ प्रतिशत की वृद्धि हुई है । किन्तु यदि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के प्रतिवेदन को देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रति व्यक्ति की प्रति मास आय १० या ११ रुपये से अधिक नहीं है । इस प्रतिवेदन के अनुसार ४ करोड़ व्यक्ति ३० नये पैसे की औसत दैनिक आय पर गुजर करते हैं जब कि अन्य ४ करोड़ व्यक्ति ४ आने की आय पर, २ करोड़ व्यक्ति २ आने की आय पर और ६ करोड़ व्यक्ति ५ आने की आय पर गुजर करते हैं । इसलिये यह सही है कि १९७५ तक हमारी राष्ट्रीय आय दुगुनी हो जायेगी फिर भी भारत गरीबतम देशों में ही बना रहेगा । अभी कुछ दिन हुए कानपुर, अलाहाबाद और दिल्ली की गलियों में ८०० व्यक्ति तड़प तड़प कर मर गये । और हमारी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। क्या यही हमारा समाजवाद है ।

सिद्धान्ततः और कागजों पर हमारी कर प्रणाली बहुत सुसंगठित है किन्तु, उसका कार्य कुछ और ही प्रकट करता है । हमारे यहां नाना प्रकार के कर हैं। आयकर, के सम्पत्तिकर, उपहारकर और व्ययकर हैं । किन्तु जहां तक उन से होनेवाली आय का सम्बन्ध है वह कुछ नहीं है । हम देखते हैं कि व्ययकर से होने वाली आय न के बराबर है । दूसरी ओर धन का अत्यधिक विकेन्द्रीकरण हुआ है । प्रधान मंत्री ने भी यह स्वीकार किया है कि उद्योगपतियों ने इन दिनों पिछले विदेशी शासन के १०० वर्षों से भी अधिक धन जमा किया है । कहने का तात्पर्य यह हुआ कि व्यापारी वर्ग ने कांग्रेस शासन में बहुत लाभ उठाया हुआ है ।

करारोपण की नई पद्धति तो हम ने अपना ली है किन्तु कर इकट्ठा करने की पद्धति वही पुरानी है । कर वसूल करने की प्रणाली नई कराधानप्रणाली के अनुरूप नहीं हैं । व्यापारी बेनामी सौदों के द्वारा कर वसूल करने वालों को धोका देते हैं। इसकी जांच करने के लिये कुछ करना होगा ।

सम्पत्ति कर की वसूली के बारे में भी बड़ा गोलमाल हो रहा है । लोग कर बचाने का पूरा पूरा प्रयत्न कर रहे हैं।

डाक्टर लोग भी हमारे देश में बहुत अधिक हैं। उद्योगपतियों के बाद धन कमाने के क्षेत्र में उनका ही नम्बर आता है। कुल मिलाकर हमारे देश में ७७,००० डाक्टर हैं जिनमें से केवल १७,००० डाक्टर ही कर दे रहे हैं।

कागज पर देखने में तो हमारी कर प्रणाली बहुत अच्छी लगती है किन्तु वसूली कुछ नहीं होती और यही कारण है कि धन एकत्रित करने के लिये हमें और दूसरे साधनों की खोज करनी पड़ती है।

मैं देखता हूं कि व्ययकर समस्त प्रणाली का अभिन्न अंग है तथा उसका तात्पर्य व्यर्थ की खपत पर नियंत्रण करना है। उस से आय भी बहुत कम नहीं थी। उसकी समाप्ति सर्वथा अनुचित है।

जहां तक सरकारी क्षेत्र की बात है हम चाहते हैं कि ये सरकारी उपक्रम बने रहें लेकिन साथ ही ये कार्य भी अच्छा करें। किन्तु हम देखते हैं कि व्याख्यात्मक ज्ञापन की अनुबन्ध संख्या १८ हमें कोई खास बात बताने में असफल रही है। मेरे विचार में यह ज्ञापन उनके लिये बहुत ही हानिकारक है। इस से तो यह प्रकट होता है कि ये सरकारी उपक्रम हानि उठा रहे हैं। इन उपक्रमों में प्रबन्धात्मक कमियां तथा अपव्यय की बहुत सी बातें देखने को मिलती हैं। इनको रोकने के लिये शीघ्रतर कदम उठाने की आवश्यकता है। हम आशा करते हैं कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही भी की जायेगी। इस ज्ञापन में यह नहीं बताया गया है कि इन समवायों को सरकार से कितना ऋण मिलता है और उस पर व्याज कितना है और वास्तविक विनियोजन कितना है आदि। कितना व्याज दिया गया है अथवा कितना नहीं इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। कितना अवक्षयण है। इन सब बातों के न बताने से सरकार की बड़ी बदनामी होती है। एक अन्य विशेषता यह है कि सामाजिक पूंजी जो बस्तियों अस्पतालों और अन्य सुविधाओं के रूप में २० से ३० प्रतिशत तक है, अलग नही की गई है। इस से यह समझा जाता है कि सरकारी क्षेत्र असफल रहा है। वास्तव में बात तो यह है कि यह क्षेत्र असफल नहीं रहा है। अतः हमें किसी को इस बात का अवसर नहीं देना चाहिये कि वह कुछ कह सके। यह बात तो ठीक है कि अभी इस में सुधार की बहुत आवश्यकता है।

अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि यदि हम कोई कर लगायें तो उसे वसूल भी करें, कोई नीति निर्धारित करें तो उसे क्रियान्वित भी करें। हमारे बजट का उद्देश्य असमानता कम करना, अधिक रोजगार देना, और सामान्य व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का होना चाहिये। पहली दो योजनाओं में रोज़गार की व्यवस्था करने वाला हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। जिस ढंग से औद्योगिक क्रान्ति होनी चाहिये थी उस रूप में नहीं हुई है और भारत सरकार अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में पूर्णतः सफल नहीं हुई है।

†**श्रीमती रेणुका राय** (माल्दा) : यह बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि आज वित्तीय नीति और उसके सिद्धान्तों में परिवर्तन हो गया है। इस का उद्देश्य व्यय के लिय केवल धन एकत्रित करना ही नहीं है बल्कि बचत बढ़ाना, निर्यात बढ़ाना है। वित्त मंत्री ने

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती रेणुका राय]

अब ६०.८० करोड़ रुपये के कर प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। इनसे राजस्व की कमी दूर हो जायेगी। तीसरी योजना नितान्त आवश्यक है। इस का उद्देश्य अधिक से अधिक समानता लाना है। धन कर और निगम कर में वृद्धि और मनोरंजन व्यय पर नियंत्रण लगाना बहुत अच्छी बात है। इस से हमारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। मेरा विचार है कि व्यय कर की समाप्ति अनुचित है और इसे लागू किया जाना चाहिये। कर वसूल करने की हमारी व्यवस्था ऐसी बनाई जानी चाहिये कि कर से बचने वालों को पकड़ा जा सके।

कुछ लोगों का विचार है कि अप्रत्यक्ष कर निर्धन लोगों के लिये भार हैं। मेरा भी यही विचार है और मैं चाहती हूं कि ये कर न लगाये जायें क्योंकि ये अनुचित हैं। यदि अब इतनी देर से भी उन करों को समाप्त कर दिया जाये तो अच्छा हो क्योंकि दिये गये आश्वासन के बावजूद मूल्य बढ़ गये हैं। निम्न वर्गों पर आयकर भी खत्म किया जाना चाहिये। चाय, दियासलाई, पेटन्ट दवाइयों, कपड़ा आदि पर जो भी कर लगाये गये हैं उन का प्रभाव निर्धनों पर पड़ता है।

यह बात नहीं है कि जिन वस्तुओं पर कर लगाये जाते हैं उनका मूल्य ही बढ़ता है किन्तु इसके परिणामस्वरूप अन्य वस्तुओं के दाम भी बढ़ जाते हैं। यह बात ठीक है कि मूल्यों के थोक सूचनांक में सुधार हुआ है परन्तु खुदरा मूल्यों में कोई सुधार नहीं हुआ है। मूल्यों के सम्बन्ध में कोई उदासीनता नहीं बरनी चाहिये। खाद्य सम्बन्धी नीति के बारे में भी हमें उदासीन नहीं रहना चाहिये। सिंचाई एवं उर्वरकों के विकास के लिये भी कुछ न कुछ करना होगा।

मुद्रा स्फीति और बढ़ते हुए मूल्यों के बारे में भी सरकार को सतर्कता से काम लेना चाहिये। यह समझ में नहीं आता कि हमारी विदेशी मुद्रा की गंभीर स्थिति के बावजूद भी कुछ लोग साल में चार चार बार सपरिवार विदेश जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उन पर नियंत्रण रखने के लिये प्रभावी कदम उठाये जायें। एक ओर तो विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के लिये विदेश जाने के वास्ते विदेशी मुद्रा तक उपलब्ध नहीं होती दूसरी ओर ये लोग मजे उड़ाते हैं--इन को धन कहां से आता है।

माननीय मंत्रियों से मेरा निवेदन है कि वे अधिक कीमती कारों का उपयोग न करें उन के स्थान पर भारतनिर्मित छोटी कारें ही प्रयोग में लायें।

माननीय मंत्री महोदय जिस ढंग से धन एकत्रित करना चाहते हैं उस को और उपायों से भी एकत्रित किया जा सकता है। कर प्रस्तावों के अधीन १० करोड़ रुपये ऐसे हैं जिसका प्रत्यक्षभार निर्धन लोगों पर पड़ता है।

अन्त में मेरा निवेदन यह है कि केन्द्र तथा राज्य मंत्रालयों को जो आवंटन किया गया है वह व्यपगत नहीं होना चाहिये। गत वर्ष भी कुछ राशि व्यपगत हो गई थी। मैं नहीं चाहती कि इस प्रकार की बातों की पुनरावृत्ति अब न हो।

†**श्री फतहसिंह राव गायकवाड़** (बड़ौदा) : पिछले कुछ वर्षों में गुजरात में कोयले का बहुत भारी अभाव रहा है। विरोधी पक्ष के कुछ सदस्यों ने जन साधारण के पक्ष में जोरदार भाषण दिये परन्तु जन साधारण ने उस दल को लगातार तीसरी बार मत दिया है जिस में उसका विश्वास है। अब जनसाधारण की स्थिति पहले से बहुत अच्छी है। अब वह सचेत हो चुका है और यह जानने लगा है कि उसे क्या मिलना चाहिये। और जब उसे कुछ प्राप्ति हो जाती है तो वह कुछ और पाना

---

†मूल अंग्रेजी में

चाहता है। बस यही असन्तोष का कारण है संसार के इतिहास में किसी भी अन्य देश ने १५ वर्षों की छोटी सी अवधि में इतनी सफलता प्राप्त नहीं की है जितनी कि भारत ने की है। जन साधारण में अब इतनी जानकारी आ गई है कि वह यह सोचने लगा है कि उसे क्या मिलना चाहिये। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम ने बेहद उन्नति की।

मेरे विचार से यह बजट सब से बढ़िया है और इसके लिये वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं। यह बजट समाजवादी समाज के सिद्धान्त के बिल्कुल अनुरूप है।

अप्रत्यक्ष कर, आयकर तथा सम्पत्ति कर ही आय के साधन हैं। सम्पत्ति कर के रूप में धनी लोग ८८ प्रतिशत तक कर देते हैं।

हमारा उद्देश्य समाजवाद का है इस का अभिप्राय यह है कि असमानता को समाप्त करना चाहिये। निर्धन लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाना चाहिये। हमारे देश में अधिकांशतः लोग खेतिहर हैं उन का ही बहुमत है। अतः हमें उनकी पैदावार के लिये अधिक मूल्य देना चाहिये। यदि ऐसा किया गया तो किसान अधिक उत्पादन करने का प्रयत्न करेगा तथा गांवों में रहने का प्रयत्न करेगा और वहीं बना रहेगा। शहरों की ओर नहीं जायेगा।

यदि आय पर ५०,००० रुपये की अधिकतम सीमा लगा दी जाये और समस्त प्रत्यक्ष कर समाप्त कर दिये जाने चाहियें। इससे करदाता की परेशानी दूर हो जायगी और कर वसूल करने वाले का काम कम हो जायेगा। आशा है कि वित्त मंत्री इस पर ध्यान देंगे। अन्त में मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

†**श्रीमती सावित्री निगम** (बांदा) : हमारे वित्त मंत्री जी प्रत्यक्ष-कर में बहुत सावधान रहे हैं। सब बड़े व्यापार केन्द्रों में इस से सन्तोष हुआ है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

आजकल बढ़ती हुई कीमतों की आलोचना करने का रिवाज हो गया है। परन्तु थोक मूल्यों का देराना हाल ही में काफी स्थिर रहा है। थोक मूल्य के देराना और फुटकर मूल्य के देराना में बहुत अन्तर है। जब तक हम बाजारों का नियंत्रण नहीं कर लेते हमें अप्रत्यक्ष-कर नहीं लगाना चाहिये। वित्त मंत्री के आश्वासनों के बावजूद, बाजार में सब वस्तुएं जिन पर कर लगा है महंगी हो गई हैं।

वित्त मंत्री जी ने कहा है कि देश के निर्माण के लिये हमें धन की आवश्यकता है और उस के लिये कुछ कुर्बानी करनी पड़ेगी। मगर कुर्बानी उनसे करवानी चाहिये जो कुर्बानी कर सकते हैं। गरीबों पर कर लगाने की बजाये धनियों पर कर लगाने चाहियें। विलास-वस्तुओं पर कर लगाने के स्थान पर खुली चाय और माचिसों पर कर लगा दिया है।

व्यक्तिगत रूप से आयकर लगाने के स्थान पर परिवार की आय पर कर लगाने से अधिक लाभ होगा।

व्ययकर को दोबारा लागू करना चाहिये। इस से दूसरे करों पर नियंत्रण रहता है। यह कर पूंजी के बनाने में भी काफी सहायक था। अतः इसे दोबारा लाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी मे

[श्रीमती सावित्री निगम]

हमारे अर्थव्यवस्था पर कई बोझ हैं जोकि आर्थिक विकास में बाधा हैं। अमेरिका में अपाहिजों की आय से कर के रूप में तो धन मिलता है वह उनपर व्यय से अधिक होता है। हमें भी कोई ऐसा यत्न करना चाहिये।

हमारे योजना बनाने में दो बहुत बड़े नुक्स हैं। सामाजिक और आर्थिक योजना बनाने और आर्थिक अनुशासन पर आवश्यक बल नहीं है। दूसरा नुक्स यह है कि प्राथमिकताओं के मामले में भी संभ्रम है। और इसका नतीजा यह कि पिछड़े हुए क्षेत्र और पिछड़ रहे हैं और औद्योगिक क्षेत्र और घने होते जा रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में गदी बस्तियां इत्यादि नई समस्याए पैदा हो रही हैं। इस को दूर करने के लिये राज्य योजना मण्डल और जिला योजना मण्डल होने चाहियें तो नीचे से योजनाएं बनाएं।

सभी क्षेत्रों में उद्योग होने चाहियें। पिछड़े हुए क्षेत्रों में यदि बड़े उद्योग नहीं बनाये जा सकते तो छोटे उद्योग बना दिये जाने चाहियें।

हमें तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक खाद्यान्नों में आत्म-निर्भर हो जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जानी चाहिये। भूमि में सुधार के सम्बन्ध में कानून शीघ्र बनाना चाहिये। दो फसलें उगाने की योजना का अधिक प्रयोग करना चाहिये। जब तक प्रति एकड़ दुगुनी या तिगुनी पैदावार नहीं बढ़ाई जाती तब तक हम आत्म निर्भर नहीं होंगे। हमें स्वदेशीय उवरकों का क्षय नहीं करना चाहिये।

श्री व्रजराज सिंह (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन् में पहली बार बोलने के लिए मुझे मौका मिला है इस के लिए मैं आपका आभारी हूं।

हमारे सामने जो बजट पेश किया गया है उसको मैंने देखा। दोनों ओर से कुछ न कुछ कहा गया। हमारी ट्रेजरी बेंचेज ने कहा कि यह समाजवादी बजट है। अपोज़ीशन ने कुछ ऐतराज किया कि शायद यह समाजवादी बजट नहीं। जो कुछ भी हो हम लोक सभा में जिन लोगों के जरिए से चुन कर आये हैं उन साधारण व्यक्तियों को न तो समाजवाद मालूम है और न साम्यवाद मालूम है। वह तो एक दूसरा ही वाद हमारे बीच में देखना चाहते हैं। दूसरी ही बात देखना चाहते हैं, यथार्थवा की बात हमारे बीच में देखना चाहते हैं। किस प्रकार से उन के ऊपर बोझ बढ़ता और घटता है उसी के नाते वह हमें देखते हैं और हमारी गवर्नमेंट को देखते हैं। आज मैं निवेदन करूंगा कि हमें सब से पहले उन साधारण मनुष्यों की ओर देखना है जोकि हमारी जरूरयात की सब से पहली बुनियादी चीज हमें देते हैं। मेरे विचार से हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी कई बार इस ओर इशारा किया। हमारे और मिनिस्ट्रों ने भी इस बात को माना है कि सब से पहली जरूरत हमारे सामने अन्न की है। यदि हम अन्न की समस्या हल कर सके तो बाकी बहुत सी समस्याएं उस के पीछे पीछे हल हो जाती हैं। परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, मैं बतलाना चाहूंगा कि हमें देखना यह होगा कि हमारे अन्न की कमी के लिये जिम्मेदार कौन है? क्या काश्तकार अपना पूरा काम कर पाता है? क्या उसे इस बात की पूरी सुविधायें दी जाती हैं कि वह अन्न में वृद्धि कर के देश के बाकी लोगों, शहर के रहने वालों, का पेट पाल सके?

यहां पर बड़े बड़े सिद्धान्तों और बड़े बड़े आंकड़ों की बातें कही गई हैं, पर में फ़िनांस मिनिस्टर साहब का ध्यान ज़रा इधर दिलाना चाहता हूं कि आज गांवों में खेती के छोट से छोटे यूनिट को हमने जो साढ़े बारह एकड़ मान लिया है। अगर कोई उस से अधिक ज़मीन खरीदना चाहता है, तो उस को खरीदने का अवसर नहीं दिया जाता है --कानून उस को मना कर देता है, उस को रोक देता है।

इस अवस्था में क्या कभी यह सोचा गया है कि उस साढ़े बारह एकड़ में हम किस प्रकार की खेती करें? क्या वहां आधुनिक यंत्रों से खेती करें?--जैसा कि प्रधान मंत्री जी हमें बताते हैं कि आधुनिकतम यंत्रों का प्रयोग किये बग़ैर हम तरक्की नहीं कर सकते। अगर करें, तो मैं पूछूगा कि क्या ऐसे यंत्र उपलब्ध हैं, जो कि साढ़े बारह एकड़ ज़मीन का मालिक अपनी जेब से ख़रीद सके। नहीं हैं।

मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस मामले में काफ़ी मदद कर रही है। वह हमें कर्ज़े बांट रही है और थोड़े से सब्सिडाइज्ड रेट्स पर कुछ यंत्र हमें देती है। लेकिन आप देखें कि उस साढ़े बारह एकड़ की वल्युएशन कितनी आती है। में उत्तर प्रदेश के बारे में जानता हूं कि हमारे यहां प्रति-एकड़ लगान पांच रुपये से अधिक बहुत मुश्किल से ही है। बहुत थोड़े से ऐसे क्षेत्र हैं, जिन में पांच रुपए एकड़ से अधिक लगान है। यदि पांच रुपया साधारण लगान मान लें, तो चूंकि लगान से तीस गुना तक लोन एडवान्स होते हैं, इस लिये हम बारह एकड़ पर राउंड फ़िगर्ज़ में एक दो हज़ार रुपये गवर्नमेंट से मांग सकते हैं। उन दो हजार रुपयों से क्या तरक्की कर ले? ट्रैक्टर ख़रीद लें, नए बैल ख़रीद लें, खाद डाल दें या सिंचाई की सुविधायें पैदा कर लें? क्या कर लें?

जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं--जो इस लोक सभा में भी हैं--, वे जानते हैं कि खेती की तरक्की के लिये हमें कई ओर देखना पड़ता है और केवल एक ओर ही देखने से खेती की तरक्की नहीं हो सकती है, अधिक अन्न पैदा नहीं हो सकता है। आगे की तरक्की करने की बात तो दूर रही, एक खेतिहर के पास, जो पीछे का खाया हुआ है, खर्च किया हुआ है और पिछली फ़सल का गंवाया हुआ है, उस को पूरा करने की शक्ति नहीं होती। अगर यह थोड़ा सा रुपया उसे दे भी दिया गया और उस ने थोड़ी तरक्की की भी, तो उस का नतीजा यह निकलता है कि जब उस रुपए की वसूली का समय आता है, तो जो चीज़ें उस ने कर्ज से ख़रीदी हैं, उन को वह बेचन पर मजबूर हो जाता है। इतना ही नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वे चीजें बेचने पर भी उस कर्ज का सूद पूरा नहीं होता है। हम ने उस से अपेक्षा तो यह की थी कि वह तरक्की करेगा और ज्यादा अन्न पैदा करेगा, लेकिन इस प्रकार हमने उसे और मुसीबत में डाल दिया।

मैं अर्ज़ करूंगा कि आज बाहर के मुल्कों से जितना भी कर्ज़ा ले कर हम ने तरक्की की है--तरक्की करने का ढंढोरा पीटा है, और क्षेत्रों में चाहे जो कुछ भी हुआ हो, खेती के क्षेत्र में उस से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। इस के साथ ही साथ कर्ज़ा लेने की आदत खुद तो हम ने अपना ही ली, वह आदत ग्रामीण जनता को भी दे दी। अब वे लोग भी कर्ज़ा लेना सीख गए हैं। हमें बताया जाता है कि आत्म-निर्भरता ही उन्नति का साधन है, लेकिन आत्म-निर्भरता के सिद्धान्त का सब से पहले खंडन करती है हमारी सरकार और उस के बाद वह आदत धीरे धीरे हम लोगों तक पहुंचा देती है।

सिंचाई के कुछ नए साधन उपलब्ध करने के अलावा जो हमारे सिंचाई के पुराने तरीके हैं, नहरें और तलाब आदि, उन में कोई सुधार नहीं हो सका है। अगर नई योजनायें इस बारे में नहीं बनती हैं, और कुछ नहीं होता है, तो कम से कम पुराने साधनों को कम सुधारा ही जाता। आज स्थिति क्या है? हम नहरों के भरोसे यह इन्तजार करते हैं कि वैशाख के महीने में कुछ चारा बो देंगे। नहर एक बार आई भी। हम ने पलेवा किया और चारा बो दिया। लेकिन दूसरी बार बैठ रह गए, क्योंकि नहर देर से आई। तो जब जानवरों के लिये चारा चाहिये था, उस वक्त अकाल पड़ गया। चारा भी गया, खेत भी गया और आबपाशी भी पड़ गई। फ़ायदा कुछ नहीं हुआ।

खेती के सुधार के लिये, जिस के बारे में हम कहते हैं कि वह हमारी सब से पहली ज़रूरत है, सरकार ने कुल ८० करोड़ रुपये लगाए हैं। अगर हम उस रुपए को अपने तीस करोड़ खेतिहार बन्धुओं

[श्री व्रजराज सिंह]

में बांटे, तो एक व्यक्ति पर लगभग दो रुपये आते हैं। फ़िनांस मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में कहा है कि हमारा इंडस्ट्रियलाइज़ेशन भी कभी पनप नहीं सकता, अगर हम ने खेती को न पनपाया। आज हम लोग कनसल्टेटिव में बैठे थे। वहां भी इस बात को बार-बार कहा गया। उस के बाद प्रधान मंत्री जी से परिचय करने के लिये एक मीटिंग की गई थी। उन्होंने भी कहा कि किसी भी मुल्क में, किसी भी प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइज़ेशन पनप नहीं सकता, जब तक कि वहां की खेती सुधरी न हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस अवस्था में हमारे सब नेता लोग यह जानते हुए भी ऐसा क्यों करते हैं वो खेती की ओर थोड़ा ध्यान देते हैं और इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की और अधिक।

हम देखते हैं कि इस देश में तीन स्टील अंडरटेकिंग्ज़ में १,००० करोड़ रुपया लगाया गया है। वह शायद अपनी जगह पर कम है, पर मेरा तो इशारा सिर्फ़ इतना है कि एग्रीकल्चर के लिये उतना तो होना ही चाहिये। मैं समझता हूं कि उस से कम होना बंदर-बांट है। जब वे मानते हैं, हम को बताते हैं, सब समझते हैं और फिर भी ऐसा करते हैं, तो इस के लिये कौन उत्तरदायी है ?

मैं निवेदन करूंगा कि अगर इस प्रकार की तरक्की के लिये हम ने बाहर के मुल्कों से कर्ज़ा लिया और अपने स्टर्लिन्ग बैलेंसिज़ को खत्म किया, तो अच्छा नहीं किया-- अपने साथ भी अच्छा नहीं किया और देश के साथ भी अच्छा नहीं किया मुझे आप के सामने अधिक आंकड़ों की बात नहीं कहनी है। मैं केवल इतना ही निवेदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि हमारे मिनिस्टर लोग आंकड़ों के खिलवाड़ में भावनाओं को पीछे ढकेल देते हैं ; वे आंकड़ों से यह सिद्ध कर देना चाहते हैं कि हमने अपने व्यापार के लिये, अपने लोगों के रोज़गार के लिये, देश के खेतिहरों के लिये, साधारण जनता के लिये सब कुछ कर डाला है। मैं फिर यही निवेदन करूंगा कि साधारण जनता आपके आंकड़े देखना नहीं चाहती, साधारण जनता आपके "बाद"--देखना नहीं चाहती, आपके इज्म देखना नहीं चाहती, वह चाहती है पुख्ता तरक्की, वह चाहती है कि दिन-ब-दिन उसको सुख, चैन और आराम मिले। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पर, यहां तक कि रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ों पर जैसे चाय बीड़ी साइकल के छोटे पार्टस कपड़े तम्बाकू टैक्स बढ़ाते हैं और टैक्स बढ़ाने की नौबत आती है तो मैं यही कहूंगा कि हमारे बजट ने और बजट बनाने वालों ने भी देश के साथ, आम जनता के साथ इंसाफ नहीं किया है।

अगर हम अपनी सुरक्षा को देखें, तो क्या पता चलता है। चूंकि कम समय दिया गया है और मैंने काफी समय खेती पर ही लगा दिया है और दूसरी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया है और वैसे भी मेरा बहुत ज्यादा ध्यान उनकी तरफ नहीं था, इस वास्ते मैं संक्षेप में ही इसका जिक्र कर सकता हूं। जब हमारा सुरक्षा व्यवस्था की ओर ध्यान जाता है तब मुझे ऐसा लगता है कि कहने को तो हम अपने देश को भारतमां कह कर पुकारने के लिये तैयार हैं मगर वह केवल जुबानी जमा खर्च है जो केवल कागज़ों तक और लैक्चरों तक ही सीमित है। हमने अपनी भावनाओं को इतना ऊंचा करके नहीं रखा है कि एक मां की गोदी के लाल के सम्मुख मां के एक अंग को भी अगर कोई विदेशी छू दे तो जैसी कसक एक लाल को होनी चाहिय, वैसी कसक हमारे दिल में नहीं होती है।चीन की तरफ से हमला चलता आ रहा है। एक बहुत बड़े क्षेत्र को चीन ने दबा लिया है पर आज भारतमां के लाल कुछ नहीं कर रहे हैं, चैन से बैठे हैं। मैं अर्ज़ करूंगा कि भावना की कमी है, सुरक्षा के साधनों की कमी नहीं है। यदि एक बार हम में यह भावना आ जाए कि यह हमारे देश की मिट्टी कोरी मिट्टी नहीं है बल्कि हमारी मां का अंग है तो शायद हम उस शान्ति से सोते नहीं रह सकेंगे, जिस शान्ति से हम सब सो रहे हैं। काश्मीर की तरफ आप देखें। नागालैंड की तरफ देखें जहां पर

लोग धीरे धीरे हमारी टैरिटरी से हो कर बाहर पाकिस्तान की ओर चले जाते हैं । पाकिस्तान से कितने ही होस्टाइल इधर आ कर चैन से रहते हैं, डाक्स में काम करते हैं फिर भी वे यहां बड़े आराम से और चैन से रहते हैं । पड़ौसी देशों में भी हमारे जहां प्रेस रिप्रिजेंटेटिव हैं, उनको निकाल कर बाहर कर दिया जाता है । पर हमारी तरफ से कोई इस तरह की बात नहीं की जाती है। हम समझते हैं कि हम बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं कि उसका जवाब नहीं देते ।

मुझे एक और चीज निवेदन करनी है । हमारे यहां लूम रनर्ज का व्यापार चलता है । यहां दिल्ली में भी और चारों ओर यह चलता है । यह देश व्यापी चीज है । तीन प्रकार की लूम्ज़ अब तक चलती रही हैं । विशेषतः मैं जिसके बारे में निवेदन करने जा रहा हूं वे ऊनी कपड़े की लूम्ज़ के बारे में निवेदन करने जा रहा हूं । एक लूम वाले जो लोग थे उनके ऊपर कोई लैवीज़ नहीं लगायी जाती थी और वे शान्ति से काम करते थे । नतीजा यह होता था कि उन्हें हर चीज़ मंहगी मिलने पर भी फायदा होता था । यार्न वे अपने आप नहीं बुनते थे, यार्न वे मिलों से खरीद कर लाते थे और मिल वालों को जहां यार्न की कीमत नौ रुपये पड़ती थी वहां इन गरीब आदमियों को १६ रुपये में यार्न मिलता था । इतना होने पर भी वे कपड़ा मिल वालों से कहीं सस्ता और ज्यादा बेच लेते थे । दूसरी प्रकार की जो लूम्ज़ थीं वे चार या चार से ज्यादा वाली थीं । वे लोग स्पिनिंग करते थे, और स्पिनिंग के बाद वीविंग भी करते थे, बुनाई भी करते थे । उन लोगों के ऊपर थोड़ा सा टैक्स पड़ता था । पर इससे बड़ी एक तीसरी कैटेगरी थी जो कि यह सारा काम करती थी और इनके ऊपर साढ़े ग्यारह परसेंट के करीब टैक्सिस पड़ते थे । अब हमारी सरकार ने नई योजना के अन्तर्गत इन सब के ऊपर दस परसेंट का टैक्स लैवी कर दिया है । इसका क्या नताजा निकलता है ? इसका नतीजा यह निकलता है कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जो कि अपने आप यार्न करती हैं, बनाती हैं, अपने आप डाई करती हैं, कलरिंग करती हैं, अपने आप फिनिशिंग करती हैं और अपने आप उसको बना करके बाज़ार में बेचती हैं, उनको तो आराम हो गया मगर जो एक लूम वाला था, उसकी बिल्कुल मौत हो गई, वह बिल्कुल तबाह हो गया । मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा कि, यह केस शायद उनके पास भेजा गया है, वह इसको ज़रा गौर से देखें और कुछ करने की कृपा करें । ओवर-आल बजट को भी मैं चाहता हूं कि वह ज़रा देखें और अगर वह उसमें सुधार कर सकते हैं, तो सुधार करने की कोशिश करें । मालूम नहीं कि हमारी इस चिल्लाहट से कुछ सुधरने वाला है या नहीं । पर यदि वह थोड़ा भी इसमें सुधार कर सकते हैं, तो उनकी इस बात का जनता बड़ा स्वागत करेगी ।

†**श्री कमल नयन बजाज** (वर्धा): वित्त मंत्री जी के भाषण और 'इकनामिक रिविऊ' ने आश्वासन का वातावरण पैदा कर दिया है । मैं दान पर से मुक्ति-सीमा में वृद्धि का स्वागत करता हूं । इससे विफल और दूसरी सामाजिक कल्याण की कार्यवाहियों को सहायता मिलेगी ।

व्यय-कर का हटाया जाना एक बहुत अच्छी वस्तु है । इससे भ्रम की भावना दूर हो जायगी । मैं सम्पदा कर में वृद्धि का स्वागत करता हूं ।

श्री नाथ पाई जी ने कहा कि देश में १ से १०० प्रतिशत की असमता है । मेरे विचार में कम होगी । रूस में भी यहां सब सरकार के नौकर हैं इतनी असमता होगी । वहां भी आय-कर कम था । आय-कर तो आय तथा धन को बढ़ाने के लिये है । यदि कर देने के उपरान्त धन इकट्ठा हो जाए तो सम्पदा-कर देने वाले अधिक हो जाएंगे और यह अच्छा है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री कमल नयन बजाज]

अंग्रेजों के राज्य में देश का विकास नहीं हो रहा था। अब कोई एतराज़ नहीं करेगा यदि हम यह निर्णय कर लें कि हम देश का विकास शासकीय क्षेत्र में होगा। गैर-सरकारी क्षेत्र में नहीं। परन्तु शासकीय क्षेत्र में हमारी सफलताएं कम हुई हैं। हमें इसे बेहतर बनाना चाहिए। शासकीय क्षेत्र के बिना गैर सरकारी क्षेत्र भी नहीं तरक्की कर सकता।

आज हम सरकारी क्षेत्र का प्रबन्ध असैनिक कार्यवाहियों द्वारा करते हैं। उनमें से कई बहुत योग्य और दियानतदार हैं। परन्तु सरकारी क्षेत्र का प्रबन्ध व्यापार के ढंग से करना चाहिए। यदि हम अच्छे लोगों को देश की सेवा के लिए कहेंगे तो मेरे विचार में देश में देश प्रेम की भावना की कमी नहीं है।

हमने जो निजी थैलियों के बारे में वचन दिए हैं उनका पालन करना चाहिए। कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण निजी थैलियों का हिसाब फिर से किया जा सकता है। निजी थैलियां राजाओं के दायित्व का ध्यान करके निश्चित की गई थीं। यदि वह अपने दायित्व को नहीं मानते, तो वही निजी थैली जारी नहीं रखनी चाहिए।

†**श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** (कचार) : परिवहन और संचार और औद्योगीकरण का नीचा स्तर आसाम की दो महत्वदूर्ण समस्यायें हैं।

कचार में केवल एक मात्र उद्योग बुरी दशा में है। मैं चाय पर शुल्क की कमी का स्वागत करती हूं। कागज का गुद्दा, कागज और रेयन इत्यादि उद्योग चलाने के लिए लाइसैंस दिये गये थे, परन्तु वे लाइसैंस वापस कर दिये गये हैं। ऐसे उद्योगों को शुरू करने के लिए सर्वेक्षण करने के लिए एक क्षेत्रीय विकास समिति बनाई जानी चाहिए।

परिवहन और संचार की ठीक व्यवस्था न होने का लोगों के दिन प्रति दिन के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। आसाम बाकी भारत से अलैहदा है और सारी अर्थ व्यवस्था तेज और सस्ते परिवहन पर आश्रित है। इसलिए परिवहन और संचार की समस्या का समाधान करना चाहिए।

कचार में अभी तक शरणार्थियों की समस्या हल नहीं हुई है। मेरी जानकारी के अनुसार मुश्किल से चौथाई शरणार्थियों को बसाया है। बाकियों की दशा खराब है। इन शरणार्थियों का पुनर्वास का सरकार का उत्तरदायित्व है।

राष्ट्रीय एकता का ध्यान रखते हुए पहाड़ी लोगों की समस्या का समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों की पहाड़ी लोगों को दूसरे लोगों से अलैहदा रखने की नीति अभी तक चलती रही है। इन क्षेत्रों में सरकार को परिवहन और संचार की समस्या का हल करना चाहिए। कारनाफुली बांध जो पाकिस्तान सरकार बना रही है और मिज़ो और कछार जिलों का बहुत सा क्षेत्र बैठ जाएगा। सरकार को कारनाफुली बांध के कारण विस्थापित जातियों को बसाने का प्रबन्ध करना होगा।

मैं आसाम में भाषा-प्रतिवाद के विषय पर कुछ कहूंगी। इस समस्या के पीछे राज्य की आर्थिक समस्याएं हैं। आर्थिक विकास के बिना राष्ट्रीय एकता नहीं हो सकती। यह समस्या इस लिए है कि शिक्षित लोगों को नौकरी नहीं मिलती। आसाम में भाषा प्रतिवाद को समाप्त करने के लिए तेजी से वहां का आर्थिक विकास होना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री मानसिंह पू० पटेल** (मेहसाना) : भारत जैसे बड़े देश के लिए ७० क रोड़ रुपये का करावान प्रस्तावना छोटी ही है। मेरे विचार में चाय, तम्बाकू इत्यादि पर कर आम आदमी पर प्रभाव डालेगा। दूसरी ओर के माननीय सदस्य सब कराधान प्रस्तावनाओं के विषय में शंका रखते हैं और उनका विरोध करते हैं। इस विषय में वे उद्योगपतियों से सहमत हैं जो सब कराधान प्रस्तावनाओं के विरुद्ध हैं ।

मंत्री महोदय ने जो आय-व्ययक प्रस्तुत किया है, उसमें दिये गये प्रस्तावों से सभी प्रकार के लोगों को चाहे वे उद्योगपति हों या जन साधारण यह आशा होती है कि तीसरी योजना क्रियान्वित की जायेगी और देश की समृद्धि बढ़ेगी ।

मैं अनुभव करता हूं कि अब भी समाज के अमीर तबके पर अधिक कर लगाये जा सकते हैं। इसके साथ शहरी आय की एक अधिकतम सीमा भी निश्चित कर देनी चाहिए । यह सीमा प्रत्यक्ष विधान द्वारा लगायी जा सकती है ।

मैं राजाओं की निजी थैलियों को बन्द करने के पक्ष में नहीं हूं । किन्तु सिद्धान्त के रूप में देश में किसी व्यक्ति को आयकर से मुक्त नहीं होना चाहिये। यदि इन निजी थैलियों पर कर लगाने के सम्बध में कोई संवैधानिक प्रतिबंध है, तो वित्त मंत्री को उचित विधान प्रस्तुत करना चाहिए। कर की राशि ४ करोड़ से अधिक नहीं होगी किन्तु यह सिद्धांत लागू तो होना चाहिये कि इस देश में विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति कर से मुक्त न हों। निजी थैलियों पर भी सामान्य कर ढांचा लागू किया जाना चाहिए ।

मेरा सुझाव है कि पूर्व प्रयोजनों के लिये दान के सम्बध में छूट कम आय वाले व्यक्तियों के लिए २० प्रतिशत तक बढ़ा देनी चाहिये ।

विमुक्तियों की सूची देखते हुए मेरा खयाल था कि सहकारी संस्थाओं को कुछ रियायतें दी जायेंगी ताकि वे अपनी पूंजी बढ़ा सकें । और अपना विस्तार कर सकें ।

वित्त मंत्री को मेरा सुझाव है कि वे सहकारी संस्थाओं की पिछली १ या २ वर्ष की आय की जांच करें और उनकी कठिनाइयों को दूर करें ।

अन्त में, मैं जनसंख्या में वृद्धि का जिक्र करना चाहता हूं । मैं समझता हूं कि इस वृद्धि को रोकने के उपाय करना आवश्यक है, क्योंकि यदि ऐसा न किया गया तो हमारी योजनायें असफल रह जायेंगी। इस समय तक इस दिशा में कोई ठोस पग नहीं उठाये गये । मैं समझता हूं कि यदि जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिये कानून भी बनाना पड़े, तो बनाया जाना चाहिये ।

†**श्री मत्तु गोंडर** (तिरुपत्तूर) : हमारे देश में खाद्यान्न की कमी है और हम भारी कीमत पर से विदेशों से आयात कर रहे हैं। यही राशि देश में खर्च करके हम देश में ही अधिक अन्न पैदा कर सकते हैं। प्रति एकड़ उपज बढ़ा कर। मद्रास में प्रति एकड़ उपज सब से अधिक है, यदि और राज्य भी मद्रास के स्तर पर आ जायें तो हमारे पास काफी खाद्य हो जायेगा। इस समय हम श्रमिक या किसान को सस्ता खाद्य देने में असमर्थ हैं। इसका उपाय यह है कि सरकार खाद्यान्न सीधा कृषक से खरीदे और गरीब उपभोक्ताओं को सहायता प्राप्त दामों पर दे। ग्रामीण जीवन को अधिक आकर्षक बनाने के लिये हमें कृषि को आकर्षक बनाना होगा । इसके लिए हमें खाद्यान्न के मूल्य बढ़ाने के बजाय, मूल्यों में सहायता देकर, इसे उपभोक्ता के पास सस्ते दामों पर बेचना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मत्तु गोंडर]

कृषि की दो मुख्य समस्यायें हैं--पानी और खाद प्राप्त करना । अधिक रासायनिक खाद से भूमि खराब हो जाती है । इस लिए हरी खाद का प्रयोग आवश्यक है इसे बड़ी मात्रा में प्राप्त करने के लिए खली का निर्यात बन्द करना अत्याबश्यक है । ऐसा करने से इसका मूल्य भी कम हो जायेगा ।

कृषि में काम आने वाली बिजली की दरें और भी कम करनी चाहिये । सरकार नई किस्म के भारी बुलडोज़र खरीदे और उनके पुर्जे भी रखे । इन के प्रयोग की फीस भी कम से कम कर देनी चाहिये ।

जहां संभव हो, नये खाद के कारखाने खोले जायें । मद्रास में और अन्यराज्यों मे अनेक कारखाने होने चाहिये ।

बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रम के लिए ९.४५ करोड़ रुपये की रकम रखी गई है किन्तु इस में मद्रास का कोई हिस्सा नहीं । १९६१ में मद्रास में कायरी के कारण सख्त बाढ़ आई थी, जिससे बहुत नुकसान हुआ था । अब काबेरी पर एक बांध बनाया जा रहा है, यह बांध बाढ़ नियन्त्रण योजना के अधीन बनाया जाना चाहिये ।

हमें आशा है कि सेलम में लोहा और इस्पात उद्योग स्थपित कर दिया जायेगा, क्योंकि यह एक अविकसित ज़िला है ।

पीने के पानी और नालियों के लिए १२ करोड़ रुपये रखे गये हैं किन्तु मद्रास के कई भागों में पानी की कमी है । लोगों की यह कठिनाई दूर करनी चाहिये ।

साधारण किसानों के लिए नियन्त्रित मूल्यों पर सीमेंट खरीदना लगभग असंभव हो गया है । किन्तु यह चोर बाज़ार में तुरन्त खरीदा जा सकता है । सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिये और व्यापारियों को आदेश देना चाहिये कि वे केवल उन लोगों को सीमेंट बेचें, जिन्हें स्थानीय पदाधिकारियों से प्राधिकार पत्र दिया गया हो । जहां तक संभव हो, अधिकाधिक सीमेंट के कारखाने खोले जाये ।

जहां तक वित्तीय असमानताओं का सम्बन्ध है, ये बढ़ती ही जा रही है । बड़े बड़े व्यापारी करापवंचन कर रहे हैं । सरकार इसको रोकने के पूरे प्रयत्न नहीं कर रही है ।

सरकार समाज़वाद समाज़ स्थापित करने के लिए बचन बद्ध है, किन्तु आश्चर्य की बात है कि बड़े बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया । करों का प्रभाव मध्यवर्ग या कम आये वाले लोगों पर अधि क पड़ रहा है क्योंकि सामान्य प्रयोग की वस्तुओं सिगरेट, तम्बाकू, दियासलाई के मूल्य बढ़ रहे हैं ।

मद्रास राज्य के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं हो रहा । दक्षिण का भी उत्तर की तरह औद्योगीकरण करना चाहिये और वहां के लोगों का जीवनयापन स्तर ऊंचा करना चाहिये ।

श्रीमती कमलाचौधरी (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय,सदन में प्रस्तुत किए गये सन् १९६२-६३ के बजट का में स्वागत करती हूं और माननीय वित्त मंत्री महोदय का धन्यवाद करती हूं ।

प्रकट रूप में यह घाटे का बजट है किन्तु मंत्री महोदय का विश्वास है कि राजस्व का कुल घाटा १५० करोड़ रुपये से घटकर केवल ८९ करोड़ रह जाएगा जिसे राज्यकोष की हुंडियों के विस्तार द्वारा वे पूरा करना चाहते हैं । यह प्रसन्नता की बात है । वित्त मंत्री महोदय के भाषण का अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि आय व्यय की समीक्षा करके यह बजट एक संतुलित बजट है । वह दूसरा दृष्टिकोण है कि हमारे विपक्षी पार्टियों के माननीय सदस्यों ने यह बजट समाजवादी समाज के ढांचे के प्रतिकल बताया है ।

देश में चालू तीसरी पंचवर्षीय योजना के खर्च के दृष्टिकोण से यदि हम इसकी समीक्षा करें, विश्लेषण करें तो अप्रत्यक्ष करें, जो २७ करोड़ रुपये के हैं केवल दस लाख जन संख्या पर होंगे। इस भार को इस देश की जनता अपने त्याग के बल पर संभाल लेगी। ४४ करोड़ जनसंख्या में ऐसे व्यक्तियों की संख्या सीमित है जो प्रत्यक्ष कर दे सकते हैं। ७१ करोड़ रुपय के करों में से २७ करोड़ की धनराशि प्रत्यक्ष करों से प्राप्त होती है। शेष ४४ करोड़ रुपये की धन राशि से देश की ४४ करोड़ जनसंख्या प्रभावित होगी।

सभी लोग हमारे देश के यह अनुभव करते हैं कि देश की जनता करों के बोझ से दबी हुई है। किन्तु यह भावना, कि जनता के खून पसीने की कमाई हमारी पंचवर्षीय योजना में व्यय होगी और इससे देश का विकास होगा, हमारे देश की जनता में यथेष्ट मात्रा में है और हमें याद रखना चाहिए कि इस भावना को जन्म राष्ट्र पिता महात्मा गांधी ने दिया था। एक तरफ हम विकास के कार्य को कर रहे हैं इसमें कोई सदेह नहीं। मैं इस बात को मानती हूं कि स्वतत्रता के पश्चात् हमारे देश ने जितनी प्रगति की है वह इस अल्प काल में यथाशक्ति कोई भी सरकार जितनी प्रगति कर सकती वैसी प्रगति हमारी हुई है। मुझे वह समय याद है जब कि हमको यह देश विदेशी सत्ता से मिला, टूटा फूटा देश था आज भी जिस तरफ भी दृष्टि उठाते हैं कायाकल्प की आवश्यकता मालूम देती है। १५ साल में जिस देश में एक सुई का भी निर्माण नहीं होता था आज टैंकों का निर्माण, हवाई जहाजों का निर्माण हो रहा है और बड़े बड़े बांध बने हैं। इससे हम श्रद्धान्त होते हैं। अपने इस भारत को जिसको कि हम कह सकते हैं कि यह निर्माण का भारत है, देखकर हमारा मस्तक उन्नत होता है।

किन्तु दूसरी तरफ हम यह भी देखते हैं कि हमारी दो पंचवर्षीय योजनाएं सफल हो चुकी हैं, तीसरी को सफल करने का प्रयास है। हमारे वित्त मंत्री महोदय के भाषण में हमें विश्वास मिलता है कि इस योजना में शायद हमारा देश आत्म निर्भर हो सके। हमें विदेशों से बहुत अधिक कर्ज जो लेना पड़ता है वह न लेना पड़े। कुछ लोग इस बात की आलोचना करते हैं। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने अपने भाषण में इसकी चर्चा की कि हमारी सरकार ने स्वयं भी ऋण लेना सीख लिया है विदेशों से और देश की जनता को भी ऋण लेना सिखा दिया है। मैं इसे दूसरे दृष्टिकोन से देखती हूं। मेरे विचार से यदि हमें विदेशों से इतना ऋण न मिलता तो सारा भार जो हमारे विकास का है, जो प्रगति पर खर्चा हुआ है, वह सब हमारी जनता के ऊपर करों के रूप में पड़ता। हमारे देश की जनता की जो परिस्थिति है वह छिपी नहीं है। हमारा इतना विशाल देश है। इन साधनों के बिना हम इसकी प्रगति की बात कैसे सोच सकते हैं। इस टूटे फूटे देश में जो कुछ किया जा सकता था वह किया गया। किन्तु १५ वर्ष के अल्प काल में मैं यह मानती हूं कि प्रगति हुई है।

किन्तु दूसरी तरफ मुझे यह भी दिखाई देता है कि बहुत बड़े निर्माण करने की हमें आवश्यकता है। एक तरफ हम दिल्ली को देखते हैं, गगनचुम्बी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े क्लब, ये दिल्ली की रंगीनियां, हमारे शासन का विस्तार, प्रशासन के बड़े बड़े कार्यालय, और दूसरी तरफ जब हम अपने ग्रामों में जाते हैं तो हमें देख के कष्ट होता है कि ग्रामों की स्थिति में जितनी अधिक प्रगति होनी चाहिए थी वह नहीं हुई है। हमारे जो भविष्य के कर्णधार हैं उन बच्चों के लिए चिकित्सा का प्रबन्ध नहीं है। गरीबों के रहने के वास्ते मकान नहीं है। अभी भी वे जहालत में घिरे हुए हैं।

हमारी सरकार ने शहरों में प्रगति करने के लिए और शहरों की कमी को पूरा करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। उन अनेक योजनाओं में से मैं एक योजना का जिक्र करना चाहूंगी। हमारी इस राजधानी में जो दुग्ध वितरण की सरकार की योजना है मैं उसके सम्बन्ध में कुछ निवेदन करूंगी। मैं मेरठ के जिसक्षेत्रसे यहां आई हूं वह मेरठ जिला हमारे उत्तरप्रदेश राज्य का वह जिला है

[श्रीमती कमला चौधरी]

जहां कि दूध का उत्पादन् और कृषि की पैदावार सब से अधिक है लेकिन इस दिल्ली दुग्ध सप्लाई योजना के कारण हमारे ग्रामों में यह हालत होगई है कि आज दूध के दर्शन नहीं मिलते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे जोकि देखा जाये तो दूध पर ही निर्भर रहते हैं उनको आज दूध मयस्सर नहीं होता क्योंकि आज पैसे की तंगी के कारण धनभाव के कारण जितना भी दूध वहां पर होता है वह सब खिच कर यहां दिल्ली में चला आता है। आज यदि देखा जाय तो हमारे ग्रामीण भाइयों की जो पेय रह गयी है वह चाय ही रह गई है। भले ही घरों में मनों दूध पैदा हो उसको बेच देते हैं और केवल थोड़े से दूध को अपने घर में रख कर बच्चे को भी चाय ही पिलाना चाहते हैं। उस चाय के ऊपर हमारे इस बजट में टैक्स लगाया गया है। मैं चाय की कोई हामी नहीं हूं। यह बात हो सकती है कि यह पेय पदार्थ जिसका कि प्रचार हमारे देश में अभी बहुत दिनों से नहीं है, हमारे देश की जनता, हमारे ग्रामीण भाई तो दूध पीनेमें विश्वास रखते थे, दूध,दही की हमारे यहां सुना है कभी नदियां बहती थीं लेकिन जो जमाना देखा है उस में भी दूध का बाहुल्य देखा है। आज दूध की कमी है और लोग चाय ही पीते हैं तो हमारी सरकार को चाहिए और उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगी कि अगर यह चाय का प्रचार बन्द करना है और इस को हमारी सरकार गलत समझती है तो उसके लिए आवश्यक प्रचार होना चाहिए। लेकिन अगर चाय का प्रचार बन्द नहीं करना है और सरकार उसके ऊपर टैक्स लगाती है तो इसके साफ मानी यह है कि हमारे देश की आम जनता के ऊपर उसका बोझ पड़ेगा। आज यह कह देना कि टैक्स थोड़ा है और १२ चाय के के प्यालों पर एक नया पैसा ही है, यह बात जो आज हम अपने बाजारों की हालत देखते हैं, जो प्रवृति देखते हैं व्यापारियों की वस्तुओं के दाम किस तरह से बढ़ाना चाहते हैं उसमें कुछ विश्वास की बात नहीं लगती है। उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने तम्बाकू के ऊपर कर लगा कर एक सामाजिक व्यसन के निवारण की ओर संकेत किया है। तम्बाकू वह वस्तु है जिससे इस विज्ञान के युग में डाक्टरों की राय है कि बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं और देखा जाय जो वह जीवन के लिए उपयोगी वस्तु भी नहीं है। आलस में और समय काटने के लिए लोग उसका सेवन करते हैं। मैं तो कहूंगी कि हमारे समाज में आज सिग्रेट, बीड़ी आदि का इतना अधिक प्रचार है कि हमारे श्रमिकों और हमारे ग्राम वासियों के बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर उस का बुरा असर पड़ रहा है। जहां मैं इस कर का स्वागत करूंगी वहां मंत्री महोदय से यह भी कहना चाहूंगी कि शराब को महंगा करें यह मैं मानती हूं कि मदिरा से हमें बहुत बड़ी आय होती है। कुछ जगह यह प्रयोग भी किया गया कि मदिरा का वहिष्कार हो। अगर उसको आज बहुत ज्यादा महंगा कर दिया गया होता तो शायद हमारे समाज का अधिक कल्याण होता। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यदि आज होते तो मैं महसूस करती हूं कि सब से अधिक दुःख उन्हें यह देख कर होता कि इस राष्ट्रीय सरकार के जमाने में भी आज शराब बिकती है। मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने शराब पर पिकेटिंग कर के जेल की यातना सही है और मैं अपने हृदय की बात कहती हूं कि आज के जमाने में हमारे समाज में यह जो मदिरा का प्रचार बढ़ रहा है वह मुझे दुखदायक मालूम होता है.....।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या का समय समाप्त हो रहा है।

श्रीमती कमला चौधरी : बस एक मिनट में मैं समाप्त किये देती हूं।

वित्त मंत्री महोदय ने दियासलाई आदि वस्तुओं पर जो और टैक्स लगाये हैं मैं समय न होने के कारण उन का विवरण नहीं देना चाहती। लेकिन एक बात कहना चाहती हूं कि सूत पर जो टैक्स लगाया गया है उस से हमारे हैंडलूम का जो कपड़ा बनता है उस के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और उससे

भी कुछ अधिक आय हमारी सरकार की बढ़ने वाली नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगी कि मंत्री महोदय इस पर पुनर्विचार करें।

राष्ट्रीय आय में वास्तविक अर्थ में ५ वर्ष में ३० प्रतिशत की वृद्धि करनी है। इसका उद्देश्य हमें स्वतः उत्पादनशील अर्थ व्यवस्था के लक्ष्य तक पहुँचाना है किन्तु मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे उत्पादन की मुख्य वस्तु जो है वह कृषि है। मैं यह नहीं कहती कि कृषि में सुधार नहीं हुआ है। हमारे काश्तकारों को खेती के साधन उपलब्ध हो रहे हैं लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इसको केवल यह कह कर कि प्रान्तीय विषय है, टालने की बात नहीं है बल्कि सोचने की बात है। मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में यह कहा है कि इतनी आय होते हुए भी हम ग्रामवासियों की नौकरी की मांग, बिजली की मांग, पीने के पानी की मांग और स्कूलों की उन की मांग कोपूरा नहीं कर सकते हैं। मेरा निवेदन यह है कि यह प्रमुख समस्याएं हमारे देश की हैं। आज हम इस दिल्ली को देखें या शहरों को देखें, उन को जाने दीजिय, ग्रामों में हम जाते हैं तो वहां पर स्कूलों की कमी पाते हैं . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्या अपना भाषण समाप्त करें।

श्रीमती कमला चौधरी : दो मिनट मैं और चाहूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : और समय देना मुश्किल है क्योंकि और भी बहुत से लोग बोलने वाले हैं।

श्रीमती कमला चौधरी : जसी आप की इच्छा।

हमारे प्रान्त की सरकार ने इस तरह की योजना बनाई है कि प्रारम्भिक स्कूल ५०० की जनसंख्या के ग्रामों में खोल दिये जांय लेकिन स्त्रियों की शिक्षा का आज भी वहां कोई प्रबन्ध नहीं है। इसलिए हम को यह बात सोचनी चाहिए।

मेरे बहुत से प्वाइंट्स बोलने से रह गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय शायद हिन्दी के भाषण को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते इसलिए मैं और अधिक न कह कर अन्त में यह बात कह कर अपना भाषण समाप्त करना चाहती हूं कि समाजवादी समाज की व्यवस्था की बात अगर हम करते हैं और समाजवादी समाज हमें बनाना है तो उस के लिए सब से अधिक जरूरी बात यह है कि देश में जो एक जबर्दस्त असमानता है उस असमानता को हमें दूर करना होगा। उस के लिए हमारी सरकार को सोचना चाहिए।

अन्त में मैं इस राजस्व बिल का समर्थन करती हूं और उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ।

†**श्री म० प०स्वामी** (टंकासी) : यह कहना गलत है, जैसा कि कुछ विरोधी पक्ष के सदस्यों ने कहा है, कि आय-व्ययक पूंजीवादी है। यदि हम गहरी नजर से देखें तो मालूम होगा कि यह अमीर और गरीब में फासला कम करता है और करारोपण प्रस्तावों द्वारा रोजगार को बढ़ावा देता है। यह बात वित्त मंत्री के लिए श्रेयस्कर है कि आय-व्ययक का आधार विशाल है और करारोपण का भार लोगों पर कर देने की शक्ति के अनुसार है। इस का सब से अच्छा पहलू यह है कि निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए १ करोड़ पये रखे गये हैं। यह सच है कि बहुत सी वस्तुओं के लिए निर्यात-वर्धक परिषदें स्थापित की गई हैं और उन्होंने अच्छा काम किया है। किन्तु अभी कुछ और वस्तुओं के लिए परिषदें चाहियें जैसा कि बगान उद्योग के उत्पाद के लिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री म० प० स्वामी]

आय-व्ययक में आय-कर के बारे में जो छूटें दी गई हैं, उन से निस्संदेह लोगों को कुछ राहत मिलेगी किन्तु विकास के संसाधनों में कोई कमी नहीं होगी ।

निगम कर में वृद्धि करने से पूंजी विनियोग में कोई बाधा नहीं पड़ेगी ।

योजना के व्यय के लिए विभिन्न राज्यों को दिये जाने वाले धन के वितरण के सम्बन्ध में, राज्य-सरकारों द्वारा ग्रामों, पिछड़ी हुई जातियों और औद्योगिक श्रमिकों की मांगों की अपेक्षा की जा रही है, क्योंकि उन का कहना है कि उन्हें केन्द्रीय सरकार से अनुदान नहीं मिलते ।

संघ सरकार ने वे अनुदान बन्द कर दिये हैं, जो मद्रास राज्य को हरिजनों को अपने मकान बनाने के लिए दिये जाते थे । मैं चाहता हूं कि योजना आयोग अपनी नीति बदले और यह अनुदान पुनः जारी कर दे ।

पिछड़ी हुई जातियों की दशा सुधारने के सम्बन्ध में, मैं श्री ढेबर से सहमत हूं कि उन्हें आवश्यक वस्तुएं संभरित करने के लिए समय-सीमा निश्चित कर देनी चाहिये । मैं केन्द्रीय सरकार और गृह मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि पिछड़े हुए वर्ग की सूची को संशोधित किया जाये और पिछड़े वर्ग की सब श्रेणियों को समान सुविधाएं दी जायें ।

†**श्री व० गो० नायडू** (तिरूवल्लूर) : मैं आय-व्ययक का समर्थन करता हूं । इस सदन में तथा राज्यों में यह धारणा है कि खाद्यान्न के मूल्य बढ़ रहे हैं । इसके अनेक कारण हैं एक यह है कि उत्पादन व्यय बढ़ गया है । इस के लिए आवश्यक है कि हमारे फ़ार्म जल्दी से यंत्रीकृत किय जायें और हमें मशीनरी तथा पुर्जे मिलने चाहियें उर्वरक की स्थिति बहुत खराब है । मद्रास राज्य को जितना उर्वरक आवंटित किया गया था, उसमें से उसे ५० प्रतिशत भी नहीं मिल सका । मेरा निवेदन है कि जिन राज्यों को उर्वरक की आवश्यकता है, उन्हें दिया जाये । जो थोड़ी मात्रा दी जाती है, वह भी समय पर नहीं दिया जाता । उर्वरक के साथ सरकार को कीड़े मारने की दवा भी संभरित करनी चाहिए ।

अन्त में, मैं सिंचाई को लेता हूं । मद्रास में सिंचाई की व्यवस्था अन्य राज्यों की तरह अच्छी नहीं है । केन्द्रीय सरकार को इस विषय में हमारी सहायता करनी चाहिये ।

†**श्री यलमंदा रेड्डी** (मारकापुर) : हमें इस आय-व्ययक को तृतीय योजना के उद्देश्यों और उसकी सफलताओं की कसौटी पर कसना चाहिये । तभी हम सही नतीजा निकाल सकेंगे ।

कृषि के क्षेत्र में तृतीय योजना का लक्ष्य देश को आत्म-निर्भर बनाना था । लेकिन उत्पादन के आंकड़े देखिये । १९५४ में प्रति व्यक्ति १३.४ औंस कृषीय उत्पादन सुलभ था और ८.२ लाख टन हमने विदेशों से आयात किया था । और १९६० में भी प्रति व्यक्ति सुलभता १३.८ ही रही, और हम ने ३४.४ लाख टन खाद्यान्न का आयात किया । कृषीय उत्पादन में कुल मिलाकर .८ प्रतिशत वृद्धि हुई है । लेकिन इस बीच जनसंख्या और भी तेजी से बढ़ गई है ।

आयातों पर निर्भर रह कर, हम अपनी खाद्य समस्या नहीं सुलझा सकते । यदि यही हाल रहा तो हमें ५० साल तक भी आयात करने की आवश्यकता से छुटकारा नहीं मिल सकेगा । आवश्यकता इस बात की है कि कृषीय अर्थ-व्यवस्था में आमूल-मूल परिवर्तन किया जाय । उसके लिये बड़े उग्र किस्म के भूमि-सुधार किये जाने चाहिये ।

---

†। । । ग्रेजी में

हमारे देश में भूमि-सुधारों को एक मखौल बना दिया गया है। आंध्र प्रदेश में जोत की अधिकतम सीमा इतनी ऊंची निर्धारित की गई है कि ५ व्यक्तियों के परिवार को इतनी भूमि मिल जाती है कि उनकी आय ७०,००० रुपये तक हो जाती है। दूसरी ओर देश के ७ करोड़ खेतिहर मज़दूरों के लिये न तो भूमि है और न उचित वेतन ही। पी० एल० ४८० के अन्तर्गत अमरीकी सहायता लेकर देश की खाद्य समस्या को हल नहीं किया जा सकता।

औद्योगिक उत्पादन में थोड़ी वृद्धि तो हुई है, पर उत्पादन की वृद्धि की गति पिछले वर्ष के मुकाबले कम रही है। १९५९ में उत्पादन की गति ८.७ प्रतिशत थी, लेकिन १९६१ में ७ से ८ प्रतिशत तक ही रही है।

तृतीय योजना में प्रादेशिक विकास के असंतुलन को दूर करने की बात कही गई है। बात ठीक है। पहली दो योजनाओं में इसका कोई प्रयास नहीं किया गया था। मैं ने रेलवे आयव्ययक की चर्चा के समय रेलवे मंत्री से पूछा भी था कि देश में बनने वाली ७७८ नई लाइनों में से एक भी आन्ध्र प्रदेश या आसाम, इत्यादि राज्यों में क्यों नहीं रखी गई ? लेकिन माननीय मंत्री ने इसका कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। उद्योगों और विद्युत् के बारे में भी इसी तरह कुछ राज्यों की उपेक्षा की जा रही है। इस नीति पर चल कर केन्द्र समूचे देश की जनता का विश्वास प्राप्त नहीं कर सकता।

गोदावरी और कृष्णा नदियों के जल के वितरण की समस्या भी दो वर्ष से केन्द्र के विचाराधीन पड़ी है। उसके कारण कई राज्यों की परियोजनाओं पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार वंशधारा परियोजना के बारे में उड़ीसा सरकार और आन्ध्र प्रदेश की सरकार में पिछले दस वर्ष से मतभेद चल रहा है। इस तरह से केन्द्र राज्यों की क्या सहायता कर पायेगा ?

उड़ीसा सरकार और आन्ध्र प्रदेश की सरकार के बीच अपर सिलेरू परियोजना को लेकर भी कुछ मतभेद खड़ा हो गया था। लेकिन अभी तक केन्द्र उसका भी कोई निबटारा नहीं करा सका है। केन्द्र इस प्रकार राज्यों की ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है।

रायलसीमा का भी एक उदाहरण है। पिछले सौ वर्ष से रायलसीमा में बार-बार अकाल पड़ते आ रहे हैं। वह क्षेत्र अकालों के लिये ही सारे देश में प्रसिद्ध हो गया है। इस बार भी अनन्तपुर ज़िले में भीषण अकाल पड़ा था। वहां पीने का पानी भी ट्रकों में भेजा जाता है। लेकिन देश स्वतन्त्र होने के पन्द्रह वर्ष बाद तक भी केन्द्र वहां अकाल की समस्या के लिये कुछ भी नहीं कर पाया है। फिर लम्बे-लम्बे दावे करने से क्या लाभ ?

केन्द्र ने ऐसे अकालग्रस्त क्षेत्रों को भी कोई प्राथमिकता नहीं दी है। सरकार को उनकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

आन्ध्र प्रदेश में नागार्जुनसागर परियोजना है। उससे देश में एक लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ जायेगा और उन क्षेत्रों में अकाल की समस्या हल की जा सकेगी। लेकिन केन्द्र उस परियोजना पर स्वयं खर्च करने के लिये तैयार नहीं है, जैसा कि दामोदर घाटी निगम पर उसने किया है। दामोदर घाटी निगम की भांति, नागार्जुनसागर परियोजना को भी सरकार अपने हाथ में ले सकती है। केन्द्र को वे सभी परियोजनायें अपने हाथ में ले लेनी चाहिये जिनको केन्द्रीय सरकार ही अधिक कार्यक्षमता से पूरी कर सकती है। तभी खाद्य समस्या हल की जा सकेगी।

द्वितीय योजना के आरम्भ के समय बताया गया था कि देश में ५३ लाख व्यक्ति बेरोजगार हैं। तृतीय योजना के आरम्भ के समय उनकी संख्या ९० लाख हो गई थी। १९६०-६१ में भी ३२ लाख बेरोजगार व्यक्तियों का पंजीयन हुआ है। बेरोजगारी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ

[श्री यलमंदा रेड्डी]

है। यह कहना ग़लत है कि औद्योगिक विकास के साथ-साथ बेरोजगारी की समस्या भी हल होती जायेगी। इसलिये कि अमरीका, कनाडा और जापान जैसे औद्योगिक रूप से विकसित देशों में भी बेरोजगारी व्यक्तियों की संख्या लाखों तक पहुंचती है। बेरोजगारी की समस्या का हाल असल में सरकार के दृष्टिकोण पर निर्भर रहता है। इसलिये प्रधान मंत्री का यह कथन तथ्यों से प्रमाणित नहीं होता कि औद्योगिक तथा वैज्ञानिक विकास से बेरोजगारी की समस्या हल की जा सकती है।

और मूल्यों की समस्या दिन-दिन विकटतर होती जा रही है। १९६० में खाद्यान्नों के मूल्य का देशनांक ११७ था, १९६१ में वह ११७.८ और १९६२ में ११८.३ पहुंच गया है। मेरा ख्याल है कि सरकार कभी भी मूल्यों में स्थायित्व पैदा नहीं कर पायेगी।

करों का भार भी दिन-दिन असहनीय होता जा रहा है। योजनायें शुरू होने के बाद के दस वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष कराधान में केवल ५९ प्रतिशत, लेकिन अप्रत्यक्ष कराधान में २५० प्रतिशत वृद्धि हुई है। इससे स्पष्ट है कि आम जनता पर, निचले स्तरों पर करों का भार अत्यधिक बढ़ता जा रहा है।

समवायों ने बेतरह मुनाफे कमाये हैं, फिर भी उन पर लगने वाले करों में केवल ५ प्रतिशत वृद्धि हुई है। देश में सम्पदा बढ़ने के बाद भी, सम्पदा कर की वसूली में ३ करोड़ रुपये की कमी हो गई है।

आय की असमानतायें बढ़ती जा रही हैं। राष्ट्रीय आय के साथ प्रति व्यक्ति आय का अनुपात तो बढ़ा है, लेकिन करों का अनुपात उनसे कहीं अधिक बढ़ गया है।

तृतीय योजना में आर्थिक शक्ति के समान वितरण की बात कही गई है। पर ऐसे कोई लक्षण नहीं दिखते कि यह सरकार उस लक्ष्य को कभी भी पूरा कर पायेगी। सरकार तृतीय योजना में निरुपित नीति की उपेक्षा कर रही है। यह स्पष्ट है।

सरकार हथ-करघा बुनकरों द्वारा प्रयुक्त होने वाले कपड़े पर २५ नये पैसे प्रति किलोग्राम उपकर लगा रही है। पहले तो सरकार हथकरघा बुनकरों की सहायता के लिये उनको आर्थिक सहायता दिया करती थी। वस्त्र-नियंत्रण की योजना बिलकुल निकम्मी बना दी गई है। यह उपकर लगाने से हथकरघा उद्योग को बड़ी चोट पहुंचेगी और २ करोड़ बुनकरों की जीविका संकट में पड़ जायेगी। मेरा अनुरोध है कि यह उपकर न लगाया जाये।

माननीय मंत्री ने कहा है कि अब मांग और सम्भरण के बीच अधिक संतुलन है। यदि होता तो खाद्यान्नों के आयात की आवश्यकता न पड़ती। तब हम चीनी निर्माताओं से क्यों कहते हैं कि चीनी के उत्पादन में वृद्धि न करें। यदि हम अमरीका के साथ अपने देश के पिछले दस वर्ष के व्यापार को देखें, तो स्पष्ट हो जायेगा कि हमारा भुगतान शेष अन्तर बढ़ता जा रहा है।

हां, केवल समाजवादी देशों के साथ हमारा व्यापार संतुलित ढंग से चल रहा है। इसलिये हमें अपनी आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था की ओर से भी कोई अधिक आत्मतुष्टि नहीं होनी चाहिये। हमें उसमें परिवर्तन करना चाहिये।

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीब० रा० गत)** : उपाध्यक्ष महोदय पिछले चुनाव में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में यह प्रचार शुरू किया गया था कि भारत सरकार ने बहुत अपव्यय किया है और इसके समर्थन में लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के उद्धरण दिये गये थे। सारा आंदोलन मेरे विरुद्ध था क्योंकि मैं १० साल से वित्त मंत्रालय से सम्बद्ध रहा हूं। मैं ने इसका उत्तर नहीं दिया,

बल्कि इस का उत्तर लोगों ने दिया जिन्होंने मुझे बहुमत से सफल बनाया । मेरे विरोधियों की जमानतें जब्त हो गई थीं ।

मेरे मित्र श्री कामत ने कहा है कि प्रतिवर्ष लेखापरीक्षा रिपोर्टों में अपव्यय की बहुत सी मिसालें दी जाती हैं, किन्तु विधि मंत्रालय और भारत सरकार इस सम्बन्ध में कुछ नहीं करते । कुछ और सदस्यों ने भी यही प्रश्न उठाया है । मैं इस अवसर पर इस का उत्तर देना चाहता हूं क्योंकि इस से सरकार के बारे में बहुत गलतफहमी फैलती है ।

मैंने समिति की पिछले तीन वर्षों की रिपोर्टों के आंकड़े इकट्ठे किये हैं १९५९-६० में ३,२०९ करोड़ रुपये के कुल व्यय में से घाटा या अन्य अनियमित व्यय, जिस का लेखा परीक्षा रिपोर्टों में उल्लेख है, केवल २.५० करोड़ रुपये था । १९५७-५८ के तत्सम्बन्धी आंकड़े । २,७५६ करोड़ रुपये और ३.२४ करोड़ रुपये, १९५८-५९ के ३,०२९ करोड़ रुपये और ३.९१ करोड़ रुपये । इन की प्रतिशतता इस प्रकार है :

१९५७-५८	.१२
१९५८-५९	.१३
१९५९-६०	.०८

इन आंकड़ों से पता चलता है कि अनियमितताएं बहुत ही कम हैं और और भी कम होती जा रही हैं । मुझे विश्वास है कि अगले वर्षों में अर्थात् १९६०-६१, १९६१-६२ और १९६२-६३ में ये और भी कम हो जायेंगी ।

इतने बड़े व्यय में, अनियमित व्यय बहुत ही कम है । यह बताना लोक-लेखा समिति का कर्त्तव्य है कि इन को कम किया जाये । दूसरी बात यह है कि विधि मंत्रालय या अन्य मंत्रालय यह अनुभव करते हैं कि ऐसा करना आवश्यक है । इस के लिए प्रयत्न भी किये जा रहे हैं ।

इस लिए यह आरोप कि अत्यधिक अपव्यय हो रहा है, बिल्कुल गलत है । यह भी ग़लत है कि सरकार लेखापरीक्षा रिपोर्टों के बारे में कोई कार्यवाही नहीं करती क्योंकि ये रिपोर्ट लोक-लेखा समिति के सामने रखी जाती हैं । समिति प्रशासनीय मंत्रालयों से स्पष्टीकरण मांगती है और वे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं । फिर यह विधि मंत्रालय के पास आती है और उन पर कार्यवाही की जाती है । इस लिए प्रक्रिया ऐसी है कि चाहे अनियमित व्यय की चाहे कितनी मदें हों, उन पर पूरा ध्यान दिया जाता है और दूर किया जाता है । यद्यपि मैं यह नहीं कह सकता कि ये शून्य तक पहुंच जायेंगी, तथापि हमारी कोशिश यह होगी कि इन्हें कम से कम किया जाये ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री उ० मू० त्रिवेदी ने कहा है कि चांदी शोध कारखाने का व्यय बिल्कुल व्यर्थ है । उन्होंने तथ्य जानने का प्रयत्न नहीं किया । तथ्य ये हैं कि यह कारखाना हम ने इस लिए शुरू किया था कि हम अमरीकी सरकार को वह चांदी वापस कर सकें, जो युद्ध के दौरान हम ने उससे ली थी । इस को वापस करने में किसी न किसी कारण विलम्ब होता रहा । हमें अपने सब वायदे पूरे करने हैं । जब हम ने देखा कि एक तरीका यह हो सकता है कि पुराने विमुद्रीकृत चांदी के सिक्कों से चांदी निकाल कर उन्हें दे दी जाये । इस लिए चांदी शोध कारखाना स्थापित किया गया था । चांदी निकालने के लिए प्राविधिक प्रवीणता उपलब्ध करने के लिए हमने दुनिया भर में खोज की अन्त में पश्चिम जर्मनी की डीमेग कम्पनी ने कहा । कि वह एक संयन्त्र स्थापित कर सकेगा । उन्होंने मान लिया पर उनको भी अनुभव नहीं था । कारखाना स्थापित करने मे हमें और भी कठिनाइयां पेश

आई जैसा कि स्थान के बारे में, पानी के साफ़ होने के बारे में इस से कुछ विलम्ब हुआ । जब कारखाना चालू हुआ तो मालूम हुआ कि मूषा में त्रुटि है। इस को ठीक किया गया। अब १८ महीनों से कारखाना पूरी क्षमता से चल रहा है । इस ने ८० लाख औंस शोधित चांदी निकाल ली है । और हम सारी चांदी वापस कर रहे हैं ।

†**श्री हनुमन्तैया** (बंगलौर नगर) : कारखाने का प्रारंभिक और अवर्तक व्यय क्या है ?

†**श्री ब० र० भगत**: यह जानकारी मेरे पास नहीं है ।

जो चांदी निकाली जायेगी उसका मूल्य लागत और संचालन व्यय से कहीं अधिक होगा । सारी चांदी निकालने में ७ साल लगेंगे । उसके बाद, संयन्त्र ऐसा बनाया गया है कि हम तांबा निकाल सकेंगे । सदन को ज्ञात है कि देश में तांबे की कमी है । इस लिए चांदी का काम समाप्त होने के बाद इस कारखाने के लिए पर्याप्त काम रहेगा । इस लिए वर्तमान दृष्टि से या भविष्य की दृष्टि से इस पर होने वाला व्यय व्यर्थ नहीं है ।

अब मैं अपव्यय और गैर-विकासात्मक व्यय की वृद्धि को लेता हूं । कुछ सदस्यों ने कहा है कि करों के साथ साथ व्यर्थ का व्यय भी बढ़ता जा रहा है । मैं स्वयं व्यर्थ व्यय को रोकने के हक में हूं । किन्तु मैं यह गलत धारणा दूर करना चाहता हूं कि गैर विकासात्मक व्यय बहुत तेजी से बढ़ रहा है । मैं इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े दूंगा । किन्तु यह नहीं भूलना चाहिये कि पिछले १० वर्षों मे देश बहुत शीघ्रता से विकसित हो रह है, जैसा कि पहली और दूसरी योजना से विदित होता है । व्यय, खासकर विकासत्मक व्यय, योजना व्यय तेजी से बढ़ रहा है और सदन को उस पर आपत्ति नहीं है । किन्तु यह भी अनिवार्य है कि प्रशासनीय व्यय और कुछ गैर-विकासात्मक व्यय भी बढ़ें, चूंकि प्रशासन के विकसित होने, नियोजित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि, वेतन तथा भत्तों में बढ़ोत्तरी आदि सत्र से ऐसे व्यय में वृद्धि होती है ।

सदन को ज्ञात है कि हम व्यय के वर्गीकरण को आधुनिक बनाने की चेष्टा करते रहे हैं और विकासात्मक तथा गैर-विकासात्मक व्यय की मदों में फेर बदल करते रहे हैं । गैर-विकासात्मक व्यय में भी कुछ मदें ऐसी होती हैं, जो कि वास्तव में विकासात्मक होती हैं या विकास की आवश्यकताओं से पैदा होती हैं । इस लिए ऐसे व्यय में कुछ वृद्धि होने से डरना नहीं चाहिये ।

यदि आप पिछले अर्थात् १९५५-५६ से १९६१-६२ तक के व्यय में आंकड़ों को देखें, तो व्यय में कुल वृद्धि जो राजस्व से पूरी की गई है, ५४३ करोड़ रुपये है यह वर्गीकरण के अनुसार 'गैर-विकासादत्मक व्यय' की यह मद का योग है । इस आंकड़े से हमें डरना नहीं चाहिये, क्यों कि यदि आप इसकी जांच करें, तो मालूम होगा कि १३० करोड़ रुपये प्रतिरक्षा के लिये था । सदन सहमत होगा कि प्रतिरक्षा व्यय अनिवार्य होता है और इसका समर्थन करेगा ।

दूसरी मद १६२ करोड़ रुपये की राष्ट्र निर्माण के कार्यों जैसा कि सामाजिक सेवाओं, लोक निर्माण विभाग द्वारा इमारतें बनाने के लिये खर्च की गई । यद्यपि दूसरी योजना के दूसरे भाग में इस व्यय में कुछ कमी हुई है, फिर भी समाजिक सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं हैं । यद्यपि इन से आय नहीं होती और इन्हें गैर-विकासात्मक कहना पड़ता है, फिर भी यह व्यय अत्यावश्यक है ।

तीसरी मद १६० करोड़ रुपये की जो कि 'भारत व्यय के अन्तर्गत आती है, हमारे दायित्वों के रूप में आते हैं । एक मद हमारे लोक ऋण की है, जो कि योजनाओं के कारण बढ़ता जा रहा

---

†मूल अंग्रेजी में

है, क्योंकि हम अधिकाधिक ऋण ले रह हैं और उनका सूद भी बढ़ गया है। इस अवधि में इसमें ४३ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। फिर, वित्त आयोग के पंचाट के अनुसार या संविधान के अन्तर्गत हमें १०६ करोड़ रुपये राज्यों को देने पड़ते हैं।

ये सब दायित्व हैं, जिनके कारण ५४३ करोड़ रुपये का व्यय होता है और जिस के कारण हम पर अपव्यय का आरोप लगाया गया है।

†**श्री नाथ पाई** : क्या व्याख्यात्मक ज्ञापन के पृष्ट १११ में दिया गया पुलिस पर किया गया व्यय जो कि ४ गुना बढ़ गया है, विकासात्मक व्यय है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : इसका उत्तर तो गृह मंत्री देंगे परन्तु मैं इतना बता सकता हूं कि यह व्यय अधिकतर सीमान्त क्षेत्र में पुलिस पर हुआ है, जो कि बड़ी मद है। मुझे आशा है कि सदन को सीमान्त क्षेत्र की पुलिस पर कुछ रकम खर्च करने में संकोच नहीं होगा।

आर्थिक पहलुओं को लेते हुये, श्री मुरारका ने निर्यात का प्रश्न उठाया था। यह सच है कि पिछले १० वर्षों में हमारे निर्यात नहीं बढ़े हैं बल्कि उसी स्थान पर हैं। हम उन्हें बढ़ाने के सब उपाय कर रहे हैं। सदन अनुभव करेगा कि निर्यात एसी चीज नहीं जो कुछ वर्षों में बढ़ जाय। हमें इसके लिये संस्थात्मक प्रबन्ध करने पड़ते हैं और उत्पादन का स्वरूप बदलना पड़ता है। हमें कई कदम उठाने पड़ते हैं। मैं मानता हूं कि जो कदम अब तक उठाये गये हैं, वह इतने रचनात्मक नहीं हैं, किन्तु इसका अर्थ यहनहीं है कि कोई कदम उठाये ही नहीं गये, उन्होंने स्वयं माना है कि चाय के निर्यात के संबंध में एक ठोस कदम उठाया गया है। अन्य ठोस कदम भी उठाये गये हैं।

पिछले दो या तीन वर्षों में हमने इस प्रकार के पग उठाये हैं : निर्यात पर प्रतिबन्ध हटाना, निर्यात शुल्कों में कमी, उत्पादन तथा सीमा शुल्कों में छूट देने की योजनायें निर्यात कर्ताओं के लिये आयात, किया हुआ तथा देशी माल तथा कलपुर्जों का संभरण निर्यात वर्धक परिषदों की स्थापना, गुण प्रकार नियंत्रण तथा माल भेजने से पहिले नियंत्रण, निर्यात ऋण प्रतिभूतियां आदि। इन उपायों से हमारा निर्यात बढ़ेंगे। इन से निर्यात करने की इच्छा भी जागृत हुई है और हमारे उद्योग अब अपना माल विदेशी मंडियों में भेजने का प्रयत्न कर रहे हैं। सरकार निर्यात को प्रोत्साहन देने के प्रश्न को सदा विचाराधीन रखेगी।

किन्तु एक बात याद रखनी चाहिये कि हम वे वस्तुयें निर्यात नहीं कर सकते, जो हमारे पास नहीं हैं। आन्तरिक मंडी में मूल्यों का ख्याल रखना पड़ता है, इस लिये निर्यात बढ़ाने के लिये पहली आवश्यक बात यह है कि कृषि और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाया जाय। यह हमारे अनुभव से प्रतीत होता है। मूंगफली के तेल को लीजिये। दो प्रकार की मांग हैं--आन्तरिक मांग और निर्यात करने से विदेशी मुद्रा कमाने की मांग। यदि हम एक बड़ा भाग आन्तरिक उत्पादन का निर्यात कर दें तो इसका प्रभाव मूल्यों पर पड़ेगा।

उत्पादन बढ़ाने के अलावा, हमें निर्यात बढ़ाने के लिये कुछ और कार्यवाही भी करनी होगी। हमें अच्छी किस्म का माल तैयार करना होगा और उन मूल्यों पर जो मंडी में मुकाबिला कर सके। इसके साथ हमारे उत्पादन का ढांचा ऐसा होना चाहिये कि अन्य देशों की मांगों के बदलने के साथ बदल सकें। किसी एक नमूने को अपनाना ठीक नहीं। मूल्यों की प्रणाली, व्यय की प्रणाली, गुण प्रकार की प्रणाली और उत्पादन ढांचे की प्रणाली को संयोजित करने में समय लगेगा। किन्तु हम ने मशीनरी

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री ब० रा० भगत]

तैयार कर ली है और हम रचनात्मक कदम उठा रहे हैं और उपाय कर रहे हैं। हम छूट भी दे रहे हैं। इसलिये निकट भविष्य में ही, हम तीसरी योजना में निर्धारित निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे ।

अब मैं योजना के लक्ष्यों की ओर आता हूं। कहा गया है कि योजना के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में बड़ी सुस्ती से कार्य हो रहा है। इससे हमारी अर्थ-व्यवस्था पर भी प्रभाव हुआ है और विदेशी विनिमय सम्बन्धी स्थिति भी खराब हुई है। यदि ऐसा न होता तो आज स्थिति काफी सुधरी हुई होती। यह बात किसी हद तक ठीक ही है। दूसरी योजना में जो लक्ष्य निर्धारत किये गये थे वह कई एक बड़े उद्योगों में पूरे नहीं किये जा सकते। विशेष रूप से इस्पात, सीमेंट, कोयला और बिजली के मामले में हम अपने पग को पूरी तरह आगे नहीं रख सके। परन्तु इसका कदापि यह अर्थ नहीं लिया जाना चाहिये कि हमने कोई प्रगति ही नहीं की, दूसरी योजना में हमने १६० लाख का लक्ष्य निर्धारित किया था और ९१.६ लाख टन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था। अन्तर बहुत ज्यादा था अत: योजना के तीसरे और चौथे वर्ष में पुनरीक्षण किया गया था। इस दिशा में लक्ष्य को कम करके ११० लाख टन कर दिया गया। यह ठीक है कि द्वितीय योजना कई एक औद्योगिक उपक्रमों के लक्ष्यों में पुनरीक्षण करना पड़ा। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि इसी योजना के अन्तर्गत देश में औद्योगिक ढांचे का निर्माण किया गया है। इसी काल में मुख्य-मुख्य उद्योगों का विकास हुआ है। शुरू-शुरू में सबसे बड़ी कठिनाई विदेशी विनिमय की थी। यह कठिनाई हल होते ही सब कुछ हो सकता है। इसके लिये कई दिशाओं में दौड़ धूप करनी पड़ती है। बड़ी-बड़ी कठिनाइयां होने के बावजूद लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये बहुत प्रयत्न किया गया है और हमने ७५ प्रतिशत से ८५ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त भी किये हैं। यह ठीक है कि हमें शत प्रतिशत सफलता प्राप्त नहीं हुई, परन्तु सुस्त चाल का आरोप लगाने से पहिले हमें यह जरूर सोचना चाहिये कि हमारे मार्ग में कठिनाइयां कितनी थीं। विदेशी विनिमय का प्रश्न था, योग्य कर्मचारियों का प्रश्न था, प्राविधिक विशेषज्ञों का प्रश्न था, परन्तु इसके बावजूद जो भी हमने सफलता प्राप्त की है वह किसी भी देश के आर्थिक विकास के इतिहास में अभूतपूर्व है। तीसरी योजना में हम और आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे, पर जितना भी धन बच सकेगा उतनी राशि बचाने का प्रयत्न करेंगे। निर्यात की ओर भी ध्यान दिया जायेगा और सरकारी उपक्रमों की व्यवस्था में भी सुधार किये जायेंगे ।

योजना के अन्तर्गत ४५० करोड़ रुपये सरकारी उपक्रमों में लगाये गये हैं। इस सम्बन्ध में जो आलोचना की गई है वह ठीक ही है। यह सच है कि सरकारी उपक्रमों से काफी नफा प्राप्त नहीं हो रहा। परन्तु हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि वह नफे के एक पर्याप्त भाग को विस्तार के अभिप्राय से तथा अपनी रक्षित निधि को सुदृढ़ करने के लिये प्रयोग में ला दिये गये हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि निश्चय ही सरकारी उपक्रमों में सुधार की आवश्यकता है। इन्हें पूरी क्षमता से चलाया जाना चाहिये। चालू वर्ष में हमें २.५८ करोड़ रुपये का नफा हुआ है जब कि इन उपक्रमों में सात सौ करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है। सरकारी उपक्रमों में सेवा निवृत्ति की आयु उच्च प्रबन्धक नियुक्तियों के सम्बन्ध में ६० वर्ष है। वैज्ञानिक तथा प्रविधिक कर्मचारियों को, जहां कहीं उच्च अनुभव की आवश्यकता हो, काल में वृद्धि दी जाती है। यदि सेवा निवृत्ति की आयु बढ़ा दी जाये तो नौजवानों को अवसर मिलेगा ।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं एक दो और बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं जिनका उल्लेख श्री गुह ने किया है। यह विवाद गलत है कि हमने अपनी ऋण सम्बन्धी नीति में परिवर्तन कर दिया है। भारत का रक्षित बैंक अपनी नीति को लचकीले ढंग से चलाता रहा है। जिन वस्तुओं के बारे में

उच्च मूल्यों का दबाव था, उनके मामले में ऋण को संकुचित करने की नीति अपनाई गई है। चुने हुये ऋण नियंत्रण की नीति क्रियाकारी सिद्ध हुई है। यह सच नहीं है कि बैंकों के ऋण को प्राप्य बनाने के लिये पूरी स्वतन्त्रता दी गयी है। ऋण नीति का उद्देश्य व्यापार की न्यायोचित आवश्यकताओं की पूर्ति रहा है तथा यह भी कि ऋण को सट्टे तथा समाज विरोधी कार्यों में न प्रयोग किया जाये।

अब मैं उस बात की ओर आता हूं जिसका उल्लेख बहुधा माननीय सदस्यों ने किया है। यह कीमतों की बात है। कीमतों का प्रश्न उत्पादकों तथा उपभोगताओं दोनों को प्रभावित करता है। इस दृष्टि से यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मूल्यों के मामले में दूसरी योजना में भी बड़ी गम्भीरता से विचार किया गया था क्योंकि हम निरन्तर योजनायें बना कर अपने आर्थिक ढांचे में परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस दिशा में हमारे दो उद्देश्य हैं। एक यह कि मूल्यों सम्बन्धी मुद्रा स्फीति को रोकना है क्योंकि यदि एक दम कीमतें बढ़ जायें तो इसके बहुत बुरे परिणाम निकल सकते हैं। यद्यपि विकसित हो रही अर्थ-व्यवस्था में मूल्यों को बढ़ने से रोकना बस की बात नहीं होती। फर भी हम यह चाहते हैं कि कीमतों के बड़ने पर पूरी तरह नियन्त्रण किया जाय। चाहे यह बढ़ौत्री कृषी सम्बन्धी हो अथवा औद्योगिक सम्बन्धी और चाहे इसका सम्बन्ध विभिन्न प्रकार के निर्यातों से हो। कीमतों की वृद्धि को विकसित अर्थ-व्यवस्था के साथ-साथ चलना चाहिये।

दूसरी बात जो इस दिशा में सरकार प्राप्त करना चाहती है वह यह है कि उचित मूल्यों के ढांचे की व्यवस्था की जाये। कीमतें बढ़े तो इसका प्रभाव सभी वर्गों के लोगों पर पड़ता है। अतः मूल्यों में वृधि को रोकने के लिये इसके ठीक करने वाले सभी उपाय किये जाने चाहियें। कहा गया है कि अप्रत्यक्ष कराधान के कारण चीजों की कीमतें बढ़ी हैं। यह भी कहा गया है कि बजट प्रस्थापनाओं के फलस्वरूप कीमतें बढी हैं। परन्तु यह बात नराधार है। मैंने इस सम्बन्ध में आंकड़े एकत्रित किये हैं।

प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कराधान के सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में स्थिति स्पष्ट की है। एक बात स्पष्ट ही है कि यदि व्यक्तिगत आय बढेगी तो राजस्व में सीधे करों में अधिक वृद्धि होगी। रूस जैसे देश में व्यक्तिगत आय का कोई महत्व नहीं, वहां आय कर का कोई प्रश्न नहीं होता। वहां सारा राजस्व प्रत्यक्ष करों से ही प्राप्त होता है। इससे मध्यम वर्ग के अथवा गरीब लोगों पर प्रभाव होता है ऐसी बात नहीं। न ही इससे कोई अर्थ व्यवस्था ही प्रभावित होती है। अप्रत्यक्ष करों वाली चीजों के तो दाम विशेषतः बढ़ा भी नहीं। अतः यह बात बिलकुल निराधार है कि हमारी कर नीति के कारण कीमतें बहुत बढ़ गई है।

यह सच है कि द्वितीय योजना की अवधि में कीमतों पर बहुत दबाव पड़ा है। यह भी स्मरण रखना होगा कि योजना के आरम्भिक वर्षों में खाद्यान्नों का उत्पादन कम होने से खाद्यान्नों की कीमतों पर काफी दबाव पड़ा और बाद में कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि होने के कारण पूरे पांच वर्ष की अवधि में कीमतों पर दबाव पड़ता रहा। तथापि हमने कीमतों को स्थिर रखने का पूरा प्रयत्न किया। यदि आप तीसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भिक वर्षों में कीमतों का देशनांक देखें तो आपको ज्ञात होगा कि कीमतों का देशनांक जो कि जुलाई १९६१ में १२८.६ था वह दिसम्बर में घट कर १२२.९ हो गया। इसके बाद से थोक कीमतों का स्तर अल्पाधिक रूप से स्थिर रहा है।

हम चाहते हैं कि कीमतों में स्थिरता आये। यद्यपि हम जानते हैं कि विकासशील अर्थ-व्यवस्था में ऐसी कई बातें हो जाती हैं जिनका सबंध कीमतों से रहता है। वस्तुतः इस अवधि में न केवल भारत में अपितु सारे संसार में कीमतों की वृद्धि हुई है। यह फर्स्ट सिटी बैंक आफ न्यू-यार्क के द्वारा ४३ देशों में किये गये अध्ययन का परिणाम है भारत में कीमतों में वृद्धि २.१ प्रतिशत हुई है। इस प्रकार

[श्री ब० रा० भगत]

कीमतों की यह वृद्धि कई यूरोपीय देशों से कम हुई और दक्षिण अमेरिका के विकासशील देशों की अपेक्षा तो यह बहुत कम थीं।

इस प्रकार वस्तुतः हमने कीमतों में स्थिरता रखने का काफी सफल प्रयत्न किया है। तथापि हमें इस बात को भी कम महत्व नहीं देना चाहिये कि प्रत्येक देश में सामाजिक अवस्थाओं में अंतर होता है। सरकार इस बात से अवगत है कि कीमतों की वृद्धि के अनुपात में समाज की सहनशीलता की सीमा बहुत कम है। इसका एक प्रमाण यह भी है कि कोरिया युद्ध के आरम्भ और अंत में यहां बहुत ऊंची कीमतें थीं। अतः हमें इस संबंध में बहुत सावधान रहना चाहिये। योजना तथा विकासशील अर्थ-व्यवस्था के हितों को ध्यान में रखते हुए कीमतों को स्थिर रखना जरूरी है।

मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य पिछले दस वर्षों में हुई प्रगति को देखें। मैं इस बात की ओर सभा का ध्यान इस कारण आकर्षित करना चाहता हूं कि इससे भ्रांति दूर हो सके। सभा योजना की क्रियान्विति के संबंध में बहुत चैतन्य रही है। हमने गलतियां भी की हैं तथा कई क्षेत्रों में हमारे लक्ष्य पूरे नहीं हो सके हैं। तथापि समूचे चित्र को देखने पर आपको ज्ञात होगा कि इसमें निराश होने का कोई कारण नहीं है। अपितु हमें चाहिये कि हम तीसरी योजना को क्रियान्वित करने के लिये कमर कस लेवें।

इस अवधि में हमने बुनियादी उद्योगों की नींव डाल ली है। कृषि की अच्छी प्रगति हो रही है। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में सर्वांगीण क्रांति हो रही है। हमने कई सामाजिक संस्थाओं को जन्म दिया है। हमें चाहिय कि हम उन्हें सुदृढ़ बनावें तथा जनशक्ति तथा टैक्नीकल जानकारी को बढावा देवें जिससे कि हम आगे बढ़ सकें।

तथापि हम और अधिक तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि सभा देश के सामने आत्मविश्वास प्रगट करे कि हम तीसरी योजना को क्रियान्वित करने के लिये कटिबद्ध हैं। निसंदेह हमारे मार्ग में कई बाधायें आयेंगी। मैं चाहता हूं कि देश की सभी दल कंधे से कंधा लगा कर योजना को क्रियान्वित करने में कमर कस लेवें।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, १० मई, १९६२/२० बैशाख, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

बुधवार, ९ मई, १९६२
१९ वैशाख, १८८४ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१५९७–१४२०
तारांकित प्रश्न संख्या		
५४७	अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन .	१५९७—९९
५४८	केन्द्रीय मद्य निषेध समिति . .	१५९९—१६०१
५४९	डाक द्वारा शिक्षा और शाम को लगने वाले कालिज	१६०२—०४
५५०	अमरीका द्वारा भारत को दिये जाने वाले ऋण .	१६०४–०५
५५१	मद्य-निषेध	१६०६–०७
५५२	हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड में सवारी-डिब्बों का निर्माण	१६०७—११
५५३	लोक-सभा तथा राज्य-विधान सभाओं के लिये एक साथ मतदान	१६११—१३
५५४	हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में संयुक्त परिषद्	१६१३–१४
५५५	योग का चिकित्सीय महत्व . .	१६१५–१६
५५६	यूरोपीय साझा बाजार	१६१६–१८
५५८	लोहे के मूल्य .	१६१८–१९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
६	अंकलेश्वर पाईप लाईन में दरार . .	१६१९–२०
प्रश्नों के लिखित उत्तर	. .	१६२०—८७
तारांकित प्रश्न संख्या		
५५७	गरीब छात्रों को छात्रवृत्तियां .	१६२०
५५९	रूरकेला इस्पात संयंत्र . .	१६२१
५६०	हैलीकोप्टरों का निर्माण .	१६२१

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमश :)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
५६१	मद्रास हाई प्रेशर बायलर संयंत्र	१६२१–२२
५६२	तांबा गलाने का संयंत्र . . .	१६२२
५६३	राजभाषा (विधायी) आयोग के लिये नियुक्तियां .	१६२३
५६४	बरौनी की तेल पाइप लाइन . .	१६२४
५६५	मनीपुर में नागा आदिम जातियों के व्यक्तियों की नजरबन्दी	१६२४
५६६	सरकारी अलकालाइड कारखाना, गाजीपुर . .	१६२४
५६७	राष्ट्रीय सेना छात्र दल की महिला पदाधिकारियों के लिये कालिज	१६२४–२५
५६८	भावात्मक एकता	१६२५
५६९	जमशेद इंजीनियरिंग एण्ड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी .	१६२५
५७०	फ्रांस में भारतीय इंजीनियरिंग विद्यार्थी	१६२६
५७१	दिल्ली में पुरातत्वीय सुरंग	१६२६
५७२	प्राभिलेख विधान समिति .	१६२७
५७३	बिहार के लिये लोहे की नालीदार चादरें	१६२७
५७४	नागालैंड में सड़कों का विकास	१६२७
५७५	इस्पात संयंत्रों में उत्पादन	१६२८
५७६	टेक्निकल छात्रवृत्तियां	१६२८–२९
५७७	राष्ट्रीय प्रोफेसर . . .	१६२९
५७८	दिल्ली के माडर्न स्कूल में राष्ट्रीय अनुशासन योजना	१६२९
५७९	अध्यापकों द्वारा सक्रिय राजनीति में भाग लिया जाना	१६३०
५८०	दिल्ली में चीनी राष्ट्रजन	१६३०
५८१	निकोबार द्वीप में व्यापार	१६३०–३१
५८२	चीनी राष्ट्रजन .	१६३१
५८३	कोयले के लिये माल डिब्बे . .	१६३१
५८४	अम्बाला के पास विमान दुर्घटना	१६३२
५८५	तलचर (उड़ीसा) में तापीय बिजली घर	१६३२
५८६	नजफगढ़ नाला	१६३२
५८७	निर्वाचन . . .	१६३३
५८८	झरिया कोयला खानों में आग .	१६३३–३४
५८९	'लोटस एंड रोबोट' नामक पुस्तक . . .	१६३४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमश :)

अतारांकित प्रश्न संख्या		
५९०	इस्पात संयंत्रों मे श्रम विधियां	१६३४
५९१	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लि०	१६३४–३५
५९२	'ट्रेनर' विमानों का निर्माण	१६३५
५९३	नामरूप (आसाम) में उर्वरक संयंत्र	१६३५
५९४	उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर निर्माण करने वाली फैक्टरी	१६३६
५९५	कोयले का परिवहन	१६३६
५९६	बाल संग्रहालय	१६३७
५९७	साधनकसौटी	१६३७–३८
५९८	"रात्रि को सफेद कपड़े पहनो" आन्दोलन	१६३८
५९९	कांच उद्योग के लिये कोयला	१६३८–३९
६००	सेना के नियमित कमीशनों के लिये पदोन्नतियां	१६३९
६०१	"आजाद भवन" दिल्ली के सामने मकानों का गिराया जाना	१६३९
६०२	उच्च शिक्षा की ग्राम्य संस्थायें	१६३९–४०
६०३	सरकारी कर्मचारियों की काम की दशा सम्बन्धी अन्तर्विभागीय समिति	१६४०
६०४	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड	१६४०–४१
६०५	"हिन्दुस्तान मशीन टूल्स" में निर्मित खरादें	१६४१
६०६	पाथरडीह (बिहार) में कोयला धोने का कारखाना	१६४१
६०७	विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन	१६४१–४२
६०८	राष्ट्रीय अनुशासन योजना	१६४२
६०९	मल का ढोना	१६४२–४३

अतारांकित प्रश्न संख्या		
९२४	दिल्ली में मृत महिला के पास पाया गया धन	१६४३
९२५	भारतीय ग्रन्थों का अनुवाद	१६४३
९२६	" इंडियन लिटरेचर" का प्रकाशन	१६४४
९२७	भारतीय छात्रों को विदेशी छात्रवृत्तियां	१६४४
९२८	मध्य प्रदेश का भूगर्भीय सर्वेक्षण	१६४४–४५
९२९	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण	१६४५

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर --(क्रमश :)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

६३०	स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई	१६४६
६३१	महात्मा गांधी ग्रामीण विद्योदय कालेज .	१६४६
६३२	नवसाक्षरों के लिये साहित्य . .	१६४६–४७
६३३	पंजाब में अनुसूचित जातियों के लिये मकान .	१६४७
६३४	विस्थापित राजनैतिक पीड़ित व्यक्ति .	१६४७
६३५	विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक अनुसन्धान . .	१६४८
६३६	सरकारी कर्मचारियों को उचित मूल्य पर वस्तुओं की सप्लाई	१६४८
६३७	गजेटियर	१६४८–४९
६३८	राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता	१६४९
६३९	नये पैसे के सिक्के . . .	१६४९–५०
६४०	उत्तर प्रदेश के अध्यापकों को महंगाई भत्ता .	१६५०
६४१	विभिन्न करों की बकाया रकमें . . .	१६५०
६४२	विदेशी मुद्रा की स्थिति	१६५०–५१
६४३	औद्योगिक कर्मचारियों को छुट्टी	१६५१
६४४	लोक सहायक सेना और राष्ट्रीय सेना छात्र दल	१६५१–५२
६४५	संग्रहालय शास्त्र सम्बन्धी गोष्ठी . .	१६५२
६४६	उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिये सस्ते मकान	१६५२
६४७	हिन्दी टाइप और शोर्टहैंड का प्रशिक्षण . .	१६५२–५३
६४८	सिन्दखेड़ा गांव (विदर्भ) में पुरातत्वीय खोज .	१६५३
६४९	बाल धूम्रपान के विरोध में आन्दोलन	१६५३
६५०	दिल्ली में मद्य निषेध	१६५३
६५१	आन्ध्र में तांबे की खानें	१६५४
६५२	भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड	१६५४
६५३	सिन्दरी उर्वरक कारखाना	१६५४–५५
६५४	अफीम का पकड़ा जाना	१६५५
६५५	तिब्बती शरणार्थियों की नाट्य मंडली . . .	१६५५
६५६	हिन्दी में नोट और ड्राफ्ट लिखना .	१६५५–५६
६५७	राष्ट्र भाषा के रूप में संस्कृत	१६५६
६५८	तांबा परियोजना खेतरी . . .	१६५६
६५९	केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय म पंजाबी भाषा में पुस्तकें	१६५६–५७

विषय पृष्ठ

लिखित उत्तर--जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या

९६०	नागालैंड में सैनिक कर्मचारी .	१६५७
९६१	सेना-न्यायालय (कोर्ट मार्शल) के मामले .	१६५७
९६२	आरमी बेस वर्कशाप .	१६५७
९६३	विदेशों में भारतीय प्रविविक व्यक्ति	१६५७–५८
९६४	दिल्ली में मद्य निषेध . . .	१६५८–५९
९६५	भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में अनुसूचित जातियों के लोग .	१६५९
९६६	मनीपुर में स्कूल	१६५९–६०
९६७	आन्ध्र के लिये लोहा और इस्पात	१६६०–६१
९६८	आन्ध्र में लौह-अयस्क	१६६१
९६९	काकिनाडा स्थित ई० एस० डी० (एम०) के कर्मचारियों को ओवर-टाइम वेतन .	१६६१–६२
९७०	कोयले के वेगन . .	१६६२
९७१	त्रिपुरा में मतदाता के रूप में दर्ज किये गये नाम ..	१६६२
९७२	अगरतला, त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों के खिलाफ दायर मुकदमे . .	१६६३
९७३	त्रिपुरा के लिये राजपत्र (गजट)	१६६३
९७४	आदिम जाति की छात्राओं की वृत्तिका	१६६४
९७५	त्रिपुरा में व्यापक प्राथमिक शिक्षा	१६६४
९७६	त्रिपुरा के सब-डिवीजनों में क्षेत्र समितियां .	१६६४
९७७	त्रिपुरा के विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये ऋण	१६६५
९७८	त्रिपुरा को नालीदार लोहे की चादरों का संभरण .	१६६५
९७९	त्रिपुरा के लिये कोयला	१६६५–६६
९८०	दिल्ली में जनगणना	१६६६
९८१	विवाह-विच्छेद के लिये याचिकायें	१६६६–६७
९८२	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस	१६६७
९८३	विदेशी प्रकाशनों पर प्रतिबन्ध . . .	१६६७
९८४	भिलाई इस्पात संयंत्र में महिला कर्मचारी .	१६६७–६८
९८५	यात्री किराया कर का राज्यों के बीच वितरण .	१६६८

लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
९८६	आदिम जाति के स्नातक	१६६८
९८७	बीकानेर में सीमेंट का कारखाना	१६६८–६९
९८८	राजस्थान में भूतपूर्व हरिजन सैनिकों को भूमि दिया जाना	१६६९
९८९	बिजली की भट्टी की खरीद	१६६९
९९०	अखिल केरल पुस्तकालय सम्मेलन	१६६९–७०
९९१	केरल ग्रन्थशाला संगम को सहायता	१६७०
९९२	दिल्ली में अकालियों के खिलाफ मुकदमे	१६७०
९९३	वैशाली में संग्रहालय	१६७१
९९४	असैनिक सेवा में सैनिक अधि कारी	१६७१–७३
९९५	चुनाव याचिकायें	१६७३
९९६	अफीम का पकड़ा जाना	१६७३–७४
९९७	जम्मू और काश्मीर में कोयले के निक्षेप	१६७४
९९८	सैनिक कर्मचारियों का कार्यालय	१६७४–७५
९९९	सैनिक प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा (राजस्थान)	१६७५–७६
१०००	नये मैसूर में वरिष्ठता का निर्धारण	१६७६
१००१	मैसूर में सीमेंट के कारखाने	१६७६
१००२	खानों का राष्ट्रीयकरण	३६७६
१००३	भारतीय प्रशासनिक सेवा पदाली (केडर)	१६७७
१००४	संस्कृत और आदिम जाति की भषाओं के विकास के लिये अनु-दान	१६७७
१००५	कानपुर हार्नेस एण्ड सैडलरी फैक्टरी	१६७७–७८
१००६	केन्द्रीय कागज प्रौद्योगिकीय अनुसन्धान संस्था	१६७८
१००७	महाराष्ट्र में खनिज	१६७८–७९
१००८	नागालैंड में दीमापुर के पुरातत्वीय अवशेष	१६७९
१००९	तीसरी योजना में लड़कियों की शिक्षा	१६७९–८०
१०१०	भारत के राजपत्र का हिन्दी और अंग्रजी में साथ-साथ प्रकाशन	१६८०–८१
१०११	हिन्दी टाइप और शीघ्रलिपि जानने वाले कर्मचारी	१६८१
१०१२	हिन्दी में विभागीय फार्म	१६८१
१०१३	सांस्कृतिक करार	१६८१–८२

विषय पृष्ठ

लिखित उत्तर--जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१०१४ छात्रवृत्ति के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों का चयन १६८२

१०१५ भारतीय विश्वविद्यालयों में अफ्रीकी विद्यार्थी १६८२-८३

१०१६ पुनर्वेलन मिलें . . १६८३

१०१७ पुनर्वेलन मिलें १६८३-८४

१०१८ केरल में भूतपूर्व सैनिक . १६८४

१०१९ राष्ट्रीय अनुशासन योजना . १६८४-८५

१०२० विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन १६८५

१०२१ सामूहिक बीमा योजना १६८५

१०२२ अफ्रीकी देशों के साथ सांस्कृतिक करार . . १६८५-८६

१०२३ केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियां . . १६८६

१०२४ बीजापुर (मैसूर) में कोयले के निक्षेप . १६८६-८७

१०२५ हड़प्पा और मोहन्जोदड़ो काल के स्थान का पता लगाना १६८७

१०२६ नौसेना पुरस्कार धन . १६८७

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . १६८७

श्री स० मो० बनर्जी ने नागा विद्रोहियों द्वारा भारतीय वायु सेना के चार अफसरों की कथित रिहाई की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र १६८८-९०

(१) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमीकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित अमोनियम सल्फेट का उचित प्रतिधारण मूल्य निर्धारित करने के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५९) ।

(दो) सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित अमोनियम सल्फेट का उचित प्रतिधारण मूल्य निश्चित करने के बारे में प्रशुल्क आयोग का अनुपूरक प्रतिवेदन (१९६०) ।

(तीन) दिनांक १६ जनवरी, १९३२ का सरकारी संकल्प संख्या फर्टि-लाइजर्स १ (१५)/५८—खण्ड २ ।

(चार) इसके कारण बताने वाला एक विवरण कि उपरोक्त (एक) से (तीन) में उल्लिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति उक्त उप-धारा में निर्धारित अवधि के अन्दर सभा पटल पर क्यों नहीं रखी जा सकी ।

(२) रबड़ अधिनियम, १९४७ की धारा २५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १७ फरवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २०६ में प्रकाशित रबड़ (पहला संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति ।

(३) कृषि उत्पादन (विकास तथा भाण्डागार) निगम अधिनियम, १९५६ की धारा ४१ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा भाण्डागार बोर्ड की वर्ष १९६०-६१ के प्रमाणित लेखे और उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(४) निम्नलिखित अधिसूचना ओं की एक-एक प्रति :—

(एक) मनीपुर लगान और भूमि सुधार अधिनियम, १९६० की धारा १६९ के अन्तर्गत दिनांक ३१ मई, १९६१ के मनीपुर गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या १४०/१२/६०—एम (वी), जिसमें मनीपुर लगान और भूमि सुधार नियम, १९६१ दिये हुए हैं ।

(दो) प्रादेशिक परिषदें अधिनियम, १९५६ की धारा ५४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५ में प्रकाशित प्रादेशिक परिषदें (सदस्यों का निर्वाचन) नियम, १९६२ ।

(५) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति:—

(क) दिनांक ६ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २७ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (पहला संशोधन) नियम, १९६२ ।

(ख) दिनांक २४ अप्रैल, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५०० में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (छठा संशोधन) नियम, १९६२ ।

(६) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा ४ और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक एक्ट, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक २१ अप्रल, १९६२ की अधिसूचना संख्या

जी० एस० आर० ४८६ की एक प्रति जिसमें दिनांक ३ मार्च, १९६२ के जी० एस० आर० संख्या २६६ का शुद्धि-पत्र है ।

(७) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक २१ अप्रैल, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४९० की एक प्रति ।

सामान्य आय-व्ययक--सामान्य चर्चा १६९०-१७१४

सामान्य आयव्ययक, १९६२-६३ पर सामान्य चर्चा जारी रही ।

चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गुरुवार, १० मई, १९६२/२० वैशाख, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

सामान्य आयव्ययक, १९६२-६३ पर सामान्य चर्चा

GMGIPND—LS III—743 (Ai) LSD—10-7-62—150